







सिविल सर्विसेस मासिक

— फरवरी 2020 —

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के दर्ती समाधान एक ट्यून घर



- कीटनाशक प्रबंधन अधिनियम
- लक्षद्वीप में अनुसूचित जातियों के अधिकार
- आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20
- योजना पत्रिका का सार
- कुरुक्षेत्र पत्रिका का सार
- बजट 2020–21
- 5 जी हैकेथॉन
- प्लास्टिक पैकेजिंग प्रदूषण
- जी 20 बैठक
- राखीगढ़ी
- कोविड-19



विषय-सूची

प्रारंभिक परीक्षा

नीति एवं शासन

नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति	1
भारतीय चुनाव आयोग सिल्वर अवार्ड से सम्मानित	1
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020	3
TTAADC	3
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018	5
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हाय)	7
लक्षद्वीप कि अनुसूचित जनजातियों को अधिवास के अधिकार	8

अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20	8
थालियोनॉमिक्स	11
केंद्रीय बजट 2020–21	12
बौद्धिक संपदा सूचकांक (इंटरनेशनल प्रोपर्टी इंडेक्स)	14
वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 15 वे वित्त आयोग की रिपोर्ट	14
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा	15
पहियों पर मधुमक्खी पालनगृह	16
अटल नवाचार मिशन (अटल इनोवेशन मिशन)	18
एस डी जी सम्मेलन 2020	18
प्रधानमंत्री किसान (केआईएसएएन) मोबाइल एप	19
ICoSDiTaus–2020	22

विज्ञान एवं तकनीक

आदित्य–एल 1	23
कोविड – 19	24
नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम का आयोजन	26
डार्कनेट	27
डिकेडल पूर्वानुमान प्रणाली	28
स्टार बेतेल्यूज	29
5 जी हैकाथॉन	30

पर्यावरण

क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेटथुनबेर्गा	31
जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13 वां सम्मेलन (सीओपी) 13	32
विषेली हवा – जीवाश्म ईंधन को उपयोग करने की कीमत	33
भारतीय पैगोलिन	35
प्लास्टिक पैकेजिंग प्रदूषण	35
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2	36

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

उत्तरी यूरोपीय पर्यावरण बांध (नॉर्दर्न यूरोपीयन एनवायरमेंट डैम – एनईईडी)	36
भारत–दक्षिण कोरिया संबंध	37
मालदीव राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया	37
भारत–पुर्तगाल संबंध	38
‘लखनऊ घोषणा’	39
जी 20 बैठक	41
भारत एवं ऑस्ट्रेलिया संबंध	41

आंतरिक सुरक्षा

इन्द्रधनुष अभ्यास	42
15 वां वित्त आयोग	43
डेफएक्सपो इंडिया – 2020	43
आईएनएस शिवाजी	44
नौसेना अभ्यास ‘मिलन’	44

कला एवं संस्कृति

राखीगढ़ी	44
मुंबई–जेरूसलम उत्सव	44
चिनडु यक्षगानाम	45
मेदराम जात्रा	45

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

कुंभाभिषेकम समारोह	46
1,500–वर्ष–पुरानी पटिटका की खोज	47
फ्यूचर ऑफ अर्थ (पृथ्वी का भविष्य), 2020	48

सामान्य अध्ययन II

महिलाएं सशस्त्र अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए पात्र हुई	49
असिस्टेंट रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी – एआरटी विनियमन विधेयक	50
कृत्रिम (सरोगेट) माँ	51
‘पदोन्नति में आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है’	53
भारतीय राजनीति में अपराधीकरण	53
चिकित्सा उपकरणों को दवाओं का दर्जा प्राप्त	54
देश में प्रत्येक 100 आंगनवाड़ी लाभार्थियों में, केवल 7 शहरी क्षेत्रों में हैं।	55
वर्ल्डवार्ल्ड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर सूचकांक (WEFFI) 2019 रिपोर्ट	57
यूएस–तालिबान समझौता	61

सामान्य अध्ययन III

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन	62
बिस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास – 2020	63
प्रौद्योगिकी समूह	63
भारतीय जीनोम परियोजना (जीआईपी)	64
चीन पर हैकिंग के आरोप	65
चिकित्सा डेटा लीक	66
SyRI – सिस्टम रिस्क इंडिकेटर	66

योजना एवं कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं का सार

बजट – 2020

नीति एवं शासन

नए सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति

समाचार –

- संजय कोठारी, वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव, को एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है।
- समिति ने बहुमत से, पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का, जो वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में सेवारत है को केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भी चुना है।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग एक स्वायत्त भ्रष्टाचार प्रहरी है।
- यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है इसकी जिम्मेदारियों में केंद्र सरकार में सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी, विभिन्न प्राधिकरणों को योजना बनाने, क्रियान्वयन, समीक्षा करने एवं उनके सतर्कता कार्यों में सुधार करने की सलाह, देना शामिल है।
- केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना के अधिकार के तहत किया गया था एवं सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण इसके अधिकार क्षेत्र में हैं।

परिसीमन आयोग का गठन

समाचार –

- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के लगभग छह माह बाद, सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू किया है।
- परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 के अनुसार, केंद्र द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होते हैं— सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एवं मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त तथा पदेन सदस्य के रूप में राज्य निर्वाचन आयुक्त।

परिसीमन –

- परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले निर्वाचन क्षेत्रों की प्रादेशिक सीमा या सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।

याद रखने योग्य तथ्य –

- भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है जिसके आदेशों में कानून का बल है एवं इसे किसी भी अदालत के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।
- परिसीमन आयोग चार बार 1952, 1962, 1972 तथा 2002 में स्थापित किया गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) 2020 का अखिल भारतीय सम्मेलन

समाचार –

- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन में देश भर से कैट के सभी 17 बैचों, कैट बार एसोसिएशन के सदस्यों एवं प्रतिष्ठित न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों ने भाग लिया, जिन्होंने 2020 के लिए द्रिव्यूनल एवं प्राथमिकताओं के कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।
- सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने की थी।
- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख को जल्द ही कैट के अंतर्गत लिया जाएगा।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) –

कैट को संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत संसद के एक अधिनियम अर्थात् प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वारा स्थापित किया गया है। यह सरकार के नियंत्रण में संघ या अन्य प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती/नियम एवं शर्तों के संबंध में शिकायतों एवं विवादों को स्थगित करने का आदेश देता है।

भारतीय चुनाव आयोग सिल्वर अवार्ड से सम्मानित

समाचार –

- भारत के चुनाव आयोग (ECI) को वर्ष 2019–20 में डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया की रिइंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

- यह पुरस्कार उन परियोजनाओं की पहचान करता है, जिनमें वर्कफ्लो का विश्लेषण एवं पुर्नडिजाइन शामिल है एवं जिसके परिणामस्वरूप दक्षता, प्रक्रिया की प्रभावशीलता, लागत, गुणवत्ता, सेवा वितरण या इनमें से एक संयोजन से संबंधित परिणामों में सुधार हुआ हो।
- यह पुरस्कार भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा मुंबई में 7-8 फरवरी, 2020 को 23 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

22वें विधि आयोग की स्थापना

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 वें विधि आयोग की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति दे दी।
- विधि आयोग जटिल कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है।
- पिछले आयोग का कार्यकाल अगस्त 2019 में समाप्त हो गया था।
- 22वां विधि आयोग ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब आवश्यकता नहीं है अर्थात् वे अप्रासंगिक हैं तथा जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है।
- आयोग मौजूदा कानूनों की जांच करेगा एवं सुधारों के सुझाव देगा। यह गरीब लोगों की सेवा में कानून एवं कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- आयोग संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों का भी सुझाव देता है।
- कानून मंत्रालय अब नए पैनल को सूचित करेगा, जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा।
- पूर्णकालिक अध्यक्ष होने के अलावा, आयोग में चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य-सचिव शामिल हैं।
- कानून मंत्रालय में कानून एवं विधायी सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
- एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के प्रमुख होंगे।

भारत का विधि आयोग –

- यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित एक गैर-वैधानिक निकाय है।
- 1955 में मूल रूप से गठित, आयोग को हर तीन साल में पुनर्गठित किया जाता है एवं अब तक, 277 रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई हैं।

दूरस्थ मतदान प्रणाली (रिमोट वोटिंग सिस्टम)

समाचार –

- आधार-लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का मॉडल, जो मतदाताओं को देश के किसी भी हिस्से से अपने वोट डालने में सक्षम बनाएगा – भले ही वे किसी भी स्थान से मतदान करने के लिए पंजीकृत हों या विदेश में हों। इस मॉडल को चुनाव आयोग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- मॉडल को मार्च 2020 में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है एवं यदि अनुमोदित हो, तो एक प्रोटोटाइप को वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में लागू किया जा सकता है।
- यदि परियोजना को ईसीआई द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, तो चुनाव कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कानून मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।

महादयी नदी जल विवाद

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में गोवा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के बीच महादयी नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार की याचिका को अनुमति दी है।
- ट्रिब्यूनल ने महादयी नदी बेसिन से कर्नाटक को 13.42 टीएमसी, महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी तथा गोवा को 24 टीएमसी पानी दिया गया था।
- कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण को कलसा-बंडूरी नाला परियोजना से 7.56 टीएमसी पानी छोड़ने की मांग याचिका टायर की थी।

महादयी/मंडोवी न्यायाधिकरण –

- महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) एक न्यायाधिकरण है जो नदी महादयी जल आवंटन पर विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया है।
- जुलाई, 2002 में, गोवा राज्य ने उत्तर अधिनियम के तहत द्रिव्यनल के गठन के लिए अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (संशोधित) की धारा 3 के तहत अनुरोध किया।
- महादयी नदी के पानी का बंटवारा कर्नाटक एवं गोवा की सरकारों के बीच विवाद का कारण है।
- कर्नाटक की राज्य सरकार ने कलसा-बंडूरी नाला परियोजना के हिस्से के रूप में महादयी नदी से मलप्रभा बेसिन तक कुछ पानी निकालने का प्रस्ताव दिया है।

कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन

समाचार –

- संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति वर्ग में बेलगावी एवं धारवाड़ जिले में रहने वाले परिवारा, तलावारा एवं सिद्धी समुदाय के लोगों को शामिल करने की अनुमति दी गई। राज्यसभा इसे पहले ही 12 दिसंबर 2019 को पारित कर चुकी है।
- कर्नाटक में एसटी की सूची में संशोधन किए गए हैं। बेलगावी तथा धारवाड़ की सिद्धी जनजातियों को उत्तर कन्नड़ जिलों में रहने वाले लोगों के अलावा एसटी श्रेणी में भी शामिल किया जाएगा।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है यह कानून देश में जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देगा।
- नए ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है, ताकि उन्हें सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिलें। किसानों को उपलब्ध कीटनाशकों, उनकी उपयोगिता, कमजोरियों, एवं उन डीलरों जिनसे यह कीटनाशक खरीदना चाहते हैं से कीटनाशक खरीदने के जोखिम के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा।
- विधेयक मौजूदा, कीटनाशक अधिनियम, 1968, जो अब प्रासंगिक नहीं रह गया है तथा जिसको बदलने की आवश्यकता है, की जगह लेना चाहता है।

- इसे पर्यावरण एवं लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव क्षमता का आकलन करने के साथ-साथ किसानों को असाध्य एवं उप-मानक कीटनाशकों से बचाने की बढ़ती चिंता की पृष्ठभूमि के बीच लाया गया है।
- बिल में कम गुणवत्ता या कीटनाशक की वजह से कोई भी कृषि नुकसान होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरर्स/डीलर्स एवं सरकार द्वारा निवेशक फंड से इकट्ठा किए गए जुर्माने का इस्तेमाल केंद्रीय फंड बनाने के लिए किया जाएगा।

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC)

समाचार –

- त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (TTAADC) ने तीन जनजातीय कबीलों के प्रथागत कानूनों को संहिताबद्ध करने का संकल्प लिया है। काउंसिल ने मिजो जातियों, कांचीसिंह एवं मेलसॉन्ग की लंबे समय से चली आ रही मांगों के निवारण के लिए कानून बनाने के लिए दो अलग बिल पेश किए हैं।
- कई कबीले TTAADC से संपर्क कर रहे हैं, जिसे संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित किया गया था, ताकि वे अपने संबंधित प्रथागत कानून को संहिताबद्ध कर सकें। त्रिपुरा में 19 आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन कुछ बहुत कम आबादी के साथ बचे हैं।
- संहिताकरण के बाद भी, प्रथागत कानून में सीमित अधिकार क्षेत्र है एवं यह केवल चुने हुए नागरिक कानून के मामलों से निपट सकता है। पूर्वोत्तर भारत के कई आदिवासी समूहों के प्रथागत कानून लिखित संरचना में नहीं हैं।
- TTAADC ने पहले 2018 में ब्रु (रियांग) समुदाय के कानून को पेश करने की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार के कानून विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसे लागू किया जाना बाकी है।

TTAADC –

- TTAADC एक स्वायत्त जिला परिषद है जो त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरी बहुल क्षेत्रों का प्रशासन करता है।
- स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्रम में परिषद को कुछ प्रशासनिक एवं कानूनी अधिकार सौंपना है।

मेजर पोर्ट प्राधिकरण बिल, 2020

समाचार –

- कैबिनेट ने मेजर पोर्ट प्राधिकरण बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, जो देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को संचालित करने वाले 1963 के कानून की जगह लेगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बंदरगाहों की समग्र क्षमता को बढ़ाना है।
- अब प्रमुख बंदरगाहों 'को विभिन्न पोर्ट-संबंधित सेवाओं के साथ-साथ निजी डेवलपर्स जो उनके साथ एक दल के रूप में कार्य करते हैं, के लिए शर्तों का निर्धारण करने में शामिल होने का मौका मिलेगा।
- प्रत्येक बंदरगाह अब एक पोर्ट प्राधिकरण द्वारा शासित होगा जिसमें विभिन्न बंदरगाह सेवाओं के लिए संदर्भ शुल्क तय करने की शक्तियां होंगी।
- विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के निर्णयों की समीक्षा के लिए शीर्ष स्तर पर एक सहायक बोर्ड के निर्माण का भी प्रस्ताव है। इस बोर्ड के पास पोर्ट अधिकारियों एवं पीपीपी ऑपरेटरों के बीच विवादों को हल करने का जनादेश भी होगा।

कानून विवाद में फंसे बच्चे

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस को लॉकअप या जेल में कानूनन विवाद के चलते बच्चों को हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है।
- कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर, यदि पकड़ा गया, तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या एक नामित बाल कल्याण अधिकारी की देखरेख में तुरंत रखा जाना चाहिए।
- बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सामने पेश किया जाना है। एक बार जब एक बच्चे को जेजेबी के समक्ष पेश किया जाता है, तो जमानत नियम है।
- यदि किसी कारण से जमानत नहीं दी जाती है, तो एक बच्चे को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है। उसे या तो एक अवलोकन घर में या सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- कानून को बच्चों की सुरक्षा एवं उन्हें जेल में बंद करने या पुलिस हिरासत में रखने के लिए नहीं है।

ई-गवर्नेंस पर 23 वीं राष्ट्रीय अवधारणा

समाचार –

- ई-गवर्नेंस पर 23 वां राष्ट्रीय सम्मेलन – सार्वजनिक सेवा वितरण में कार्रवाई की रणनीति के लिए नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, उद्योग, शिक्षा के लिए एक मंच, 7-8 फरवरी 2020 के बीच मुंबई में आयोजित किया गया।
- दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- सम्मेलन का विषय था— भारत 2020— डिजिटल परिवर्तन।
- ई-गवर्नेंस पर मुंबई घोषणा को सत्र में सर्वसम्मति से अपनाया गया है। घोषणा पत्र 2019 के शिलॉन्ग घोषणा में उल्लिखित ई-गवर्नेंस के लिए रोडमैप को आगे ले जाना चाहता है।

उद्देश्य –

- विशेषकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं भूमि में, डिजिटल प्लेटफॉर्म, का उपयोग करके सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार।
- उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एवं मशीन लर्निंग का उपयोग करके सफल ई-गवर्नेंस समाधानों का प्रसार।
- संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार के लिए कदमों को प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल सेवाओं में अधिक विश्वास निर्माण का समर्थन करनाय भारत को एक वैश्विक क्लाउड हब के रूप में विकसित करना।
- ई-ऑफिस के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना एवं सार्वजनिक खरीद प्रणाली में सुधार करना।

इज ऑफ लिविंग इंडेक्स एवं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019

समाचार –

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2020 को इज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआई) एवं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स (एमपीआई) 2019 को लॉन्च किया गया, ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन किया जा सके एवं उन्हें योजना बनाने के लिए सबूतों का उपयोग करने के लिए सशक्त बना कर उनके प्रदर्शन को लागू किया जा सके एवं उसकी निगरानी की जा सके।
- इससे नगरपालिकाओं को शहर प्रशासन के अंतराल को भरने एवं अपने नागरिकों के लिए शहरों के रहने की जगह में सुधार करने के लिए, बेहतर नियोजन एवं प्रबंधन में मदद मिलेगी।
- पहली बार, इज ऑफ लिविंग इंडेक्स असेसमेंट के हिस्से के रूप में, मंत्रालय की ओर से एक सिटीजन परसेप्शन सर्वे किया गया था (जो कि इज ऑफ लिविंग इंडेक्स के 30 प्रतिशत अंकों का वहन करता है)। यह मूल्यांकन, अभ्यास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह शहरों में जीवन की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों की धारणा को सीधे पकड़ने में मदद करेगा।
- यह सर्वेक्षण, जिसे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रशासित किया गया, को 1–29 फरवरी 2020 के बीच किया गया है। फेस-टू-फेस साक्षात्कार वाले ऑफलाइन संस्करण 1 फरवरी से शुरू होंगे एवं ऑन-लाइन संस्करणों के समानांतर चलेंगे।
- इसे अधिक मात्रा में एसएमएस एवं सोशल मीडिया में व्यापक कवरेज के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018 को बरकरार रखा, जिससे 20 मार्च, 2018 का फैसला जिसमें दलित सुरक्षा कानून के कड़े प्रावधानों को कमजोर किया गया था अपने आप निरस्त हो गया।

- 1 अक्टूबर 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर समीक्षा याचिका में 20 मार्च के फैसले को वापस ले लिया था। इसने 20 मार्च के फैसले में सभी एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को 'झूठा या बदमाश' करार दिया था।
- यह 'बुनियादी मानवीय गरिमा' के खिलाफ था। 20 मार्च के फैसले ने 1989 के मूल कानून को यह यह कहते हुए कमजोर कर दिया था कि वे निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ झूठी आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए अपने प्रावधानों का उपयोग कर रहे थे।
- 20 मार्च 2018 अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी थी। 1989 के मूल अधिनियम में अग्रिम जमानत का प्रावधान है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पारित

समाचार –

- मध्य प्रदेश एवं पुदुचेरी विधानसभाओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से अनुरोध किया गया कि वह इसे रद्द कर दे क्योंकि यह संविधान के लोकाचार का उल्लंघन करता है।
- प्रस्ताव के अनुसार, अधिनियम धार्मिक आधार पर अवैध प्रवासियों के बीच अंतर करता है। यह संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष एवं सहिष्णु प्रकृति खतरे में पड़ जाएगी।
- मध्य प्रदेश से पहले, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। छत्तीसगढ़ अपनी विधानसभा के बजट सत्र में इसी तरह का कदम उठाने जा रहा है।

NISG एवं MGSIPA के मध्य ज्ञापन पर हस्ताक्षर

समाचार –

- सिविल सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए ई-गवर्नेंस समाधानों का लाभ उठाने के लिए महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, पंजाब (MGSIPA) एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंमेंट (एनआईएसजी) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
- एमओयू कंप्यूटर एवं इंटरनेट-आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग में एनआईएसजी की उस भूमिका को बताता है, जो एनआईएसजी बुनियादी सुविधाओं, हाउडवेयर, विशेष कर्मियों एवं अन्य संगठनों के नागरिक अधिकारियों एवं सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण में साझा करने के माध्यम से राज्य के डिजिटल परिवर्तन में निभा सकता है।
- एमओजीआईपीए एवं एनआईएसजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करना अपनी तरह की पहली पहल है एवं इससे सहयोगी तरीके से अभिनव समाधान खोजने के लिए संयुक्त ढांचे का उपयोग करना सुनिश्चित होगा।
- यह समझौता एमजीएसआईपीए को ई-गवर्नेंस के लिए अपने थिंक टैंक सेंटर के माध्यम से पंजाब राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों में ई-सरकार सेवाओं पर ज्ञान साझा करने एवं क्षमता निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा।

विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति

समाचार –

- सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत लोगों के लिए सभी समूहों में पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति देकर राहत दी है। इसने पुष्टि की कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों में विकलांग व्यक्तियों को 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।
- विकलांगों के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत दिया गया है। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 जोर देता है कि 'रोजगार विकलांग लोगों के सशक्तीकरण एवं समावेश में एक महत्वपूर्ण कारक है'।

- राजीव कुमार गुप्ता निर्णय (2016) ने कहा था कि जहां भी विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान की गई है, वहां 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार ने हालांकि फैसले को चुनौती दी थी, जिससे बड़ी बेंच के संदर्भ में बात हुई। सरकार ने इंदिरा साहनी मामले का उल्लेख किया था, जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण था एवं पदोन्नति में आरक्षण निषिद्ध था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार किया कि साहनी निर्णय केवल पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। विकलांग व्यक्तियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए मंत्रियों के समूह का गठन

समाचार –

- केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में मंत्रियों का एक समूह (GoM) 9,400 से अधिक शत्रु संपत्तियों के निपटान की निगरानी करेगा, इससे सरकारी खजाने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये आने की संभावना है।
- दो अन्य उच्च-स्तरीय समितियां, एक कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एवं दूसरी केंद्रीय गृह सचिव की सह-अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो दुश्मन संपत्ति अधिनियम के तहत भारत में शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन में निहित अचल संपत्ति के निपटान के लिए भी स्थापित की जाएगी।
- पाकिस्तान एवं चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा शत्रु संपत्तियों को पीछे छोड़ दिया गया।
- शत्रु संपत्तियों के निपटान के लिए एक अंतर-मंत्रालय समूह का गठन किया जाएगा एवं यह केंद्रीय गृह सचिव एवं निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के सचिव द्वारा सह-अध्यक्षता किया जाएगा।
- एसेट मोनेटाइजेशन (सीजीएम) पर सचिवों का एक कोर ग्रुप कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा।
- केंद्र सरकार एक वैकल्पिक तंत्र का गठन कर सकती है जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री शामिल हैं।

'ग्राम न्यायालय'

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों (जैसे गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा) को निर्देश दिया है कि वे चार सप्ताह के भीतर ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी करें।
- शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालयों को भी कहा।
- कई राज्यों ने ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिसूचनाएँ जारी की हैं, लेकिन वे सभी केरल, महाराष्ट्र एवं राजस्थान को छोड़कर और कहीं काम नहीं कर रहे हैं।
- 2008 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, ग्राम न्यायालय की स्थापना गांव के लोगों को जमीनी स्तर पर न्याय प्रदान करने के लिए की गई थी।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008

- यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली के त्वरित पहुँच के लिए ग्राम न्यायालय या ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद का एक अधिनियम है।
- अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ। वित्तीय बाधाओं, वकीलों, पुलिस एवं अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा के कारण अधिनियम को ठीक से लागू नहीं किया जा सका है।
- 03 सितंबर 2019 तक, 5000 अदालतों के लक्ष्य के खिलाफ देश में केवल 208 कार्यात्मक ग्राम न्यायालय हैं।
- ग्राम न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी करते हैं, जिनके पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्ति, समान वेतन एवं लाभ होंगे। इस तरह की न्यायाधिकारी को राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमब्हाय)

समाचार –

- मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमब्हाय) के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है।
- योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए इंदौर जिले को प्रथम स्थान मिला है।

- मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं की मजदूरी के नुकसान के एवज में पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना एवं गर्भावस्था के दौरान उनके उचित आराम एवं पोषण सुनिश्चित करना है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है।
- मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 14 लाख 55 हजार से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। पहली किस्त का भुगतान लगभग 13 लाख 40 हजार महिलाओं को किया गया है, जबकि दूसरी किस्त लगभग 12 लाख एवं तीसरी किस्त का भुगतान 8 लाख 80 हजार लाभार्थियों को किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन

समाचार –

- हाल ही में नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिष्ठित वकीलों एवं विदेशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया।
- एक दिवसीय सम्मेलन का विषय है – 'न्यायपालिका एवं बदलती दुनिया'। इसके अलावा, सम्मेलन में 'जंडर जस्ट वर्ल्ड' का विषय पेश किया गया।
- उन्होंने भारत सरकार द्वारा सेन्य सेवा में महिलाओं की भर्ती, लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया में बदलाव, खानों में रात में काम करने की स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण के लिए सौहार्द के साथ-साथ लैंगिक समानता लाने के लिए किए गए परिवर्तनों एवं इंटरनेट युग में निजता के अधिकार का संरक्षण पर चर्चा की।
- शीघ्र न्याय देने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल दिया गया। सरकार ने देश की हर अदालत को ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट से जोड़ने का प्रयास किया है।
- अब तक, देश में 1500 अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, समाज को मजबूत करने के लिए कई नए कानून बनाए गए हैं।
- केंद्र ने अदालती प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की स्थापना की है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं मानवीय विवेक के तालमेल से भारत में न्यायिक प्रक्रियाओं को और गति देने मिलने की उम्मीद है।

ई-कोर्ट

- ई-कोर्ट परियोजना 'भारतीय न्यायपालिका' – 2005 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना' द्वारा प्रस्तुत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति (2004 स्थापित) के आधार पर परिकल्पित की गई थी।
- ई-कोर्ट परियोजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –
 - अदालतों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित, स्थापित एवं कार्यान्वित करना।
 - कुशल एवं समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करना।
 - अपने हितधारकों को सूचना पहुंच की पारदर्शिता प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
 - न्यायिक वितरण प्रणाली को सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से बढ़ाने के लिए।

लक्ष्मीप कि अनुसूचित जनजातियों को अधिवास के अधिकार

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी को अधिवासियों के अधिकारों को प्रदान करने के लिए लैकड़िव, मिनिकोय एवं अमिदी द्वीप समूह भूमि राजस्व एवं किरायेदारी विनियमन में संशोधन को मंजूरी दी।
- लक्ष्मीप द्वीप में ज्यादातर एसटी आबादी शामिल है एवं उनके पास अधिवास अधिकार नहीं थे।
- उन्हें अधिभोग अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। निर्णय आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रधान मंत्री की सुशासन पहलों के हिस्से के रूप में हुआ।
- लक्ष्मीप एक द्वीपसमूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, पांच जलमग्न किनारे, तीन भित्तियां हैं।

अर्थव्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20

समाचार –

- केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 प्रस्तुत किया।
- विषय 'भारत की आकांक्षा: अर्थव्यवस्था – 5 ट्रिलियन की' – थीम के साथ – धन निर्माण' है।
- 2019–20 के सर्वेक्षण ने एडम स्मिथ के धन सृजन के 'अदृश्य हाथ' पर ध्यान केंद्रित किया है।
- ऐतिहासिक रूप से, भारतीय अर्थव्यवस्था 'भरोसे के हाथ' के बजाए 'बाजार के अदृश्य हाथ' पर निर्भर थी।
- सर्वेक्षण बाजार के अदृश्य हाथ से होने वाले भारी लाभों को दर्शाता है। उदारीकरण के बाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं जीडीपी में प्रति व्यक्ति में हुई वृद्धि दर इसका सबूत है।
- धन संचय की सराहना करने के लिए अर्थशास्त्र (चाणक्य द्वारा लिखित ग्रंथ) एवं थिरुक्कलुर में किया गया आठवान, शायद, एक संकेत है जो समान रूप से व्यवसाय समुदाय को आत्मसात करने के उद्देश्य से है।
- नवीनतम सर्वेक्षण, निजीकरण एवं मुक्त उद्यम के गुणों पर मार्गरेट थैचर द्वारा दिए गए स्पष्ट उद्धरण पर आधारित पहला सर्वेक्षण है।

आर्थिक स्थिति की अवस्था

1. सकल घरेलू उत्पाद

- वैश्विक विनिर्माण, व्यापार एवं मांग के लिए एक कमजोर वातावरण के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी विकास दर के साथ धीमा होकर 2019–20 की पहली छमाही में 4.8 प्रतिशत हो गई।
- वास्तविक उपभोग की सुस्त वृद्धि से प्रेरित वास्तविक निश्चित निवेश में तीव्र गिरावट ने जीडीपी विकास को कम कर दिया है।
- सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्ष 2019 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक कठिन वर्ष था, जो 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से 2.9 प्रतिशत की सबसे धीमी गति से बढ़ रही थी।

- 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 6–6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ जीडीपी वृद्धि दर का दोनों और नीचे की तरफ (वैश्विक व्यापार संघर्ष जारी रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि अमेरिका-ईरान तनाव से बढ़ती है, जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है, जिससे बॉन्ड की पैदावार बढ़ गई है) एवं ऊपर की तरफ (सिंतंबर के कॉर्पोरेट कर की दर में कटौती, विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए शुरू हुई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से वित्तीय शक्ति में वृद्धि एवं जोखिम में कमी आई) जाने का जोखिम है।

2. मुद्रास्फीति की दर

- 2019–20 की दूसरी छमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.3 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2019 में 7.4 प्रतिशत हो गई।
- दिसंबर 2019 में सीपीआई-कोर एवं डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में वृद्धि मांग दबाव के निर्माण का सुझाव देती है।

3. सीएडी एवं राजकोषीय घाटा

- भारत का सीएडी 2018–19 में जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से घटकर 2019–20 (अप्रैल-दिसंबर) में जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया। 2019–20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत एवं वर्ष के लिए प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.2 प्रतिशत अनुमानित है (प्राथमिक घाटा व्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है)। नवंबर 2019 तक राजकोषीय घाटा बजटीय स्तर के 114.8 प्रतिशत पर था। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की तत्काल प्राथमिकता को देखते हुए चालू वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को शिथिल करना पड़ सकता है।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

- कृषि क्षेत्र की वृद्धि में उत्तार-चढ़ाव आया है—यह 2014 में -0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 15 से 6.3 प्रतिशत हो गई एवं फिर 2019–20 में घटकर 2.8 प्रतिशत रह गई। कृषि में सकल स्थिर पूँजी निर्माण 2013 में सकल मूल्य वर्धित (GVA) के 17.7 प्रतिशत से घटकर 2017–18 में GVA का 14 से 15.2 प्रतिशत हो गया।
- राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान धीरे-धीरे 2019–20 में 16.5 प्रतिशत घटकर 2014–15 में 18.2 प्रतिशत हो गया है।

- किसान की आय दोगुनी करने के लिए ऋण की पहुंच, बीमा कवरेज एवं कृषि में निवेश जैसे मुद्दों को संबोधित करना होगा। भारत में अपेक्षाकृत कम कृषि मशीनीकृत है किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- भारत के खाद्य प्रबंधन को विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करते हुए खाद्य सम्पदी के युक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए।
- जुलाई 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, खाद्य सम्पदी बिल 2014–15 में 1,13,171.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018–19 में 1,71,127.5 करोड़ रुपये हो गया है।

उद्योग एवं बुनियादी ढांचा

- 2018–19 में 6.9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2019–20 में समग्र औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 2.5 प्रतिशत अनुमानित है। 2019–20 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के 2.0 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। 2018–19 में, जीवीए में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 29.6 प्रतिशत था।
- औद्योगिक उत्पादन 2018–19 के दौरान 5 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 के लिए 0.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- 2019–19 के दौरान 4.9 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 0.9 प्रतिशत थी।
- भारत को 2024–25 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर खर्च करने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर दिसंबर 2019 में जारी की गई रिपोर्ट में भारत में कुल बुनियादी ढांचे के निवेश, वित्त वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान 102 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र –

- 2018–19 में 7.5 प्रतिशत की तुलना में 2019–20 में सेवा क्षेत्र के 6.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र के 2019–20 में भारत के छठे। में 55.3 प्रतिशत के योगदान का अनुमान है। वर्तमान में, सेवा क्षेत्र 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सकल राज्य मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण, वित्तीय एवं अचल संपत्ति सेवाओं से संबंधित सेवाओं जैसे उप-क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान मंदी देखी गई।

- भारत के समग्र निर्यात में सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़ रही है। 2018 में दुनिया के वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 3.5 प्रतिशत था, दुनिया के व्यापारिक निर्यात में इसका हिस्सा 1.7 प्रतिशत था।

मानव विकास एवं रोजगार –

- मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2018 में 129 थी। 2014–20 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित) पर व्यय जीडीपी के 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में जेब खर्च में 2013–14 के 64.2 प्रतिशत से 2016–17 में 58.7 प्रतिशत की गिरावट आई।
- सर्वेक्षण में खाद्य सुरक्षा कार्यों की स्थिरता पर जोर दिया गया है –
 - बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल की ओर ध्यान देना।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत दरों एवं कवरेज पर दोबारा गौर करना।
- सर्वेक्षण ने यह भी कहा कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार की आवश्यकता है।
- अर्थव्यवस्था में कुल औपचारिक रोजगार 2011–12 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2017–18 में 10 प्रतिशत हो गया। 2011–18 की अवधि के दौरान, नियमित वेतन/वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच 2.62 करोड़ नई नौकरियां सृजित की गईं। श्रम कार्यबल में महिला भागीदारी में गिरावट आई, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

शिक्षा का निजीकरण –

- सर्वेक्षण नीतिगत पहल के रूप में सभी स्तरों पर शिक्षा के निजीकरण का प्रस्ताव करता है।
- तेजी से उद्यमशीलता पर ध्यान देना एवं फलस्वरूप धन सृजन करना।
- यह साक्षरता स्तर को स्टार्ट-अप गतिविधि से जोड़ता है एवं देश के पूर्वी हिस्सों का उदाहरण देता है, जहां साक्षरता दर लगभग 59.6 प्रतिशत है एवं नई फर्मों की सबसे कम दर भी है।

बाजार में भरोसा रखें

- भारत की \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाजार के अदृश्य हाथ को मजबूत करने पर निर्भर करती है। एवं इसे व्यापार-समर्थक नीतियों को सुगम बनाकर सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से भरोसे के साथ किया जाना चाहिए। इसमें शामिल हैं

- (i) नए प्रवेशकों के लिए समान अवसर प्रदान करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम करना एवं व्यवसाय करने में आसानी,
- (ii) उन नीतियों को समाप्त करना जो सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से बाजारों को अनावश्यक रूप से कमजोर करती हैं,
- (iii) रोजगार सृजन के लिए व्यापार को सक्षम करना, एवं
- (iv) बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में लाना। जबकि प्रो-बिजनेस नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रो-क्रॉनी नीतियां जो विशिष्ट निजी हितों का समर्थन करती हैं एवं शक्तिशाली प्रवेशकों को दूर किया जाना चाहिए।
- सर्वेक्षण में पाया गया कि उन मामलों को समाप्त करना जहां सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक है, प्रतिस्पर्धी बाजारों को सक्षम बनाएगा एवं इससे निवेश एवं आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उदाहरण के लिए, भोजन के सबसे बड़े खरीदार के रूप में सरकार के उभार से बढ़ती सब्सिडी का बोझ, मांग एवं आपूर्ति की आपूर्ति के बीच विचलन एवं फसल विविधीकरण की दिशा में एक समस्या पैदा हुई है।
- भारत ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 2014 के 142 वें स्थान से 2019 में 63 वें स्थान पर छलांग लगाई है। भारत ने विभिन्न मानकों में आगे बढ़ना जारी रखा है जैसे कि व्यापार शुरू करने में आसानी (रैंक 136), संपत्ति दर्ज करना (रैंक 154), करों का भुगतान (रैंक 115), एवं अनुबंधों को लागू करना (रैंक 163)। ये पैरामीटर आगे सुधार की गुंजाइश प्रदान करते हैं।

निर्यात –

- निर्यात में वृद्धि, वैश्विक निवेश तथा उत्पादन में मंदी, कमजोर बाहरी मांग, व्यापार तनाव, सेवा निर्यात के कमजोर होने के कारण कम रही है।
- नेटवर्क उत्पादों का निर्यात 2025 तक भारत को \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक मूल्य वर्धित वृद्धि में एक चौथाई योगदान दे सकता है।
- नेटवर्क उत्पाद उन उत्पादों को संदर्भित करते हैं जहां उत्पादन बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित वैश्विक मूल्य शृंखला में होता है। यह ऐसे इन इंडियाश पहल में 'असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' को एकीकृत करके प्राप्त किया जा सकता है। यह 2025 तक 4 करोड़ अच्छी तनखावाह वाली नौकरियां एवं 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकता है।

जमीनी स्तर पर उद्यमिता –

- जिला स्तर पर उद्यमशीलता का जमीनी स्तर पर धन सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत विश्व बैंक के अनुसार बनाई गई नई फर्मों की संख्या में तीसरे स्थान पर है।
- सेवाओं में नई फर्म का निर्माण विनिर्माण, बुनियादी ढांचे या कृषि की तुलना में काफी अधिक है।
- सर्वेक्षण नोट करता है कि जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता केवल आवश्यकता से प्रेरित नहीं है।
- एक जिले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि सकल घरेलू जिला उत्पाद (GDDP) में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
- जिला स्तर पर उद्यमशीलता का जमीनी स्तर पर धन सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- भारत में नई फर्मों का जन्म विषम है तथा यह कई जिलों एवं क्षेत्रों में फैला हुआ है।
- साक्षरता एवं शिक्षा जिले में स्थानीय उद्यमशीलता को प्रभावित करती है –
 - प्रभाव बहुत अधिक होता है यदि साक्षरता 70 प्रतिशत से अधिक होती है।
 - पूर्वी राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार 59.6 प्रतिशत) के साथ नई फर्म के स्थापना की दर भी सबसे कम रही है।

विदेशी कर्ज –

- 2019 में विदेशी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 20.1 प्रतिशत के बराबर रहा।

बैंकिंग क्षेत्र –

- देश को US \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बहुत बड़े बैंकों की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से, कम से कम आठ बैंकों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर पर शीर्ष 100 बैंकों में शामिल हों, यह देखते हुए कि देश में अभी ऐसा केवल एक बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, दुनिया के शीर्ष 100 बैंकों में 55 वें स्थान पर है।
- यह देखते हुए कि भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं, वे अपने साथियों की तुलना में प्रदर्शन मेट्रिक्स में काफी पिछड़ गए हैं, सर्वेक्षण में कहा गया है कि इन संस्थाओं ने वर्षों से सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी को नष्ट कर दिया है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां एक बड़ी अर्थव्यवस्था को अपने विकास का समर्थन करने के लिए एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है, वहीं पीएसबी के बीच ऋण वृद्धि में 2013 के बाद से काफी गिरावट आई है एवं 2016 के बाद से भी कमजोर है। नए निजी बैंकों के लिए ऋण वृद्धि, हालांकि, स्वस्थ बनी रही।
- टिप्पणी करते हुए कि कमजोर क्रेडिट विकास ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, सर्वेक्षण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता बढ़ाने का आव्हान किया क्योंकि वे नए निजी क्षेत्र के बैंकों के समान बाजार में काम करते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण ने एनबीएफसी के लिए एक इस्वास्थ्य स्कोरर और सूचकांक के उपयोग का सुझाव दिया है जो आसन्न तरलता जोखिमों के शुरुआती संकेतों का पता लगाने में मदद कर सकता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश –

- 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण के पश्चात औसतन, निजीकृत उद्यम विभिन्न मापदंडों, जैसे शुद्ध मूल्य, शुद्ध लाभ एवं शुद्ध लाभ मार्जिन के मामले में अपने साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- सीपीएसई की रणनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश से धन बनाने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए, उच्च लाभप्रदता लाने के लिए आक्रामक विनिवेश किया जाना चाहिए।

थालियोंनॉमिक्स

- सर्वेक्षण आम व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित एक ऐसी चीज का उपयोग करने का प्रयास करता है जिसका एक व्यक्ति हर दिन सामना करता है – भोजन की थाली।
- एक कार्यकर्ता के 1 दिन के वेतन से थाली प्राप्त करने की क्षमता बढ़ी है, जिससे आम व्यक्ति के बेहतर कल्याण का संकेत मिलता है।

केंद्रीय बजट 2020–21

समाचार –

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में बजट 2020–21 पेश किया। बजट का केंद्रीय विषय – ‘सभी नागरिकों के जीवनयापन में आसानी’ तथा यह तीन प्रमुख विषयों पर आधारित था
- एस्प्रेशनल इंडिया – स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर नौकरियों तक पहुँच के साथ जीवन के बेहतर मानक
- सभी के लिए आर्थिक विकास – ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ’
- कैरिंग सोसाइटी— मानवीय एवं दयालु दोनोंय विश्वास के एक भाग के रूप में अंत्योदय

केंद्रोय बजट उद्दश्य –

- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं के निर्बाध वितरण को प्राप्त करना।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार करना
- आपदा जोखिम के माध्यम से जोखिम का शमन करना।
- पेंशन एवं बीमा पैठ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा।

अर्थव्यवस्था

- सरकार ने 2020–21 में 30,42,230 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो 2019–20 के संशोधित अनुमान से 12.7 प्रतिशत अधिक है।
- विनिवेश से उच्च अनुमानित राजस्व की वजह से प्राप्तियां (शुद्ध उधार के अलावा) 16.3 प्रतिशत बढ़कर 22,45,893 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- सरकार ने 2020–21 में 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी विकास दर (यानी, वास्तविक विकास एवं मुद्रास्फीति) को मान लिया है। 2019–20 के लिए नॉमिनल जीडीपी विकास दर वृद्धि का अनुमान 12 प्रतिशत था।
- राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत पर लक्षित है, जो 2019–20 में 2.4 प्रतिशत के संशोधित अनुमान से अधिक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत पर लक्षित है, 2019–20 में संशोधित अनुमान 3.8 प्रतिशत से कम है। ध्यान दें कि सरकार का अनुमान है कि 2019–20 में राजकोषीय घाटे (3.3 प्रतिशत) के लिए अपने बजटीय लक्ष्य एवं 2020–21 में मध्यम अवधि के राजकोषीय लक्ष्य 3 प्रतिशत का उल्लंघन होगा।

- इसमें ऑफ-बजट उधार (2020–21 में जीडीपी का 0.9 प्रतिशत) शामिल नहीं है।
- उच्चतम आवंटन के साथ शीर्ष 13 मंत्रालयों में, संचार मंत्रालय (129 प्रतिशत) में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, इसके बाद कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण (30 प्रतिशत) एवं गृह मंत्रालय (20 प्रतिशत) रहे हैं।

कृषि

- 16 कार्बवाई बिंदुओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
- एक्शन पॉइंट में ट्रेनों (किसान रेल) एवं उडानों (कृषि उदयन) को चलाने एवं किसानों को पानी की कमी से राहत प्रदान करने के लिए दूर के बाजारों तक किसानों की पहुँच प्रदान करने के उपाय शामिल हैं।
- इसमें बागवानी क्षेत्र में बेहतर विपणन एवं निर्यात के लिए—वन—प्रोडक्ट वन—डिस्ट्रिक्ट ‘भी शामिल होगा। यह योजना उत्तर प्रदेश में पहले से ही क्रियाशील है।
- ध्यान, जैविक कृषि पोर्टल (ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादों के बाजार), शून्य-बजट प्राकृतिक खेती, पीएम—कुसुम पर भी है।
- 2020–21 के लिए कृषि—ऋण उपलब्धता 15 लाख करोड़ रुपए है।
- 20 लाख किसानों को स्टैंडअलोन सौर पंप स्थापित करने में मदद करना। अपने पावर ग्रिड को सोलर करने के लिए अन्य 15 लाख किसानों की मदद करना।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता

- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए।
- पीपीपी मॉडल का उपयोग करके निजी क्षेत्र के साथ टीयर-2 एवं टीयर-3 शहरों में अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव।
- 2024 तक सभी जिलों को जनऔषधि केंद्र योजना का विस्तार।

शिक्षा

- 2021 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपए तथा कौशल निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए का आवंटन।
- स्थानीय स्थानीय शहरी निकायों द्वारा नए इंजीनियरों को 1 वर्ष की इंटर्नशिप प्रदान करना।

- एनआईआरएफ रेंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किए हुए संस्थानों द्वारा विशेष रूप से गरीब छात्रों के लिए स्नातक स्तर के संपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों का प्रबंधन।
- एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय तथा एक राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान।
- एशिया एवं अफ्रीका के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एंड सेट नामक परीक्षा।

आधारिक संरचना

1. इन्क्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 103 लाख करोड़ की घोषणा।
- गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी।
- विनिवेश से आय केवल पूँजीगत व्यय में जाएगी एवं राजस्व व्यय में नहीं।

2. परिवहन

- बजट में 2021 में परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए 1.7 लाख करोड़ प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय रसद नीति जल्द ही जारी की जाएगी।
- चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेसवे शुरू किया जाए।
- सरकार 2024 तक 12 राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन प्रदान करेगी।

3. रेलवे

- 27,000 किमी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य।
- भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी सौर ऊर्जा क्षमता की योजना।
- UDAN योजना के अंतर्गत 2024 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड में 5 नए स्मार्ट शहर।

संस्कृति एवं पर्यटन

- भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव।
- 5 पुरातात्विक स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है-
 - राखीगढ़ी (हरियाणा)
 - हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
 - शिवसागर (असम)
 - धोलावीरा (गुजरात)
 - आदिचन्द्रलूर (तमिलनाडु)

- लोथल (गुजरात) में समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
- रांची में जनजातीय संग्रहालय
- मुद्रा संग्रहण एवं व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाना है।

वित्तीय क्षेत्र

- बैंक जमा बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता कर दिया गया है।
- सरकार सिविल अपराधों को कम करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है।
- सरकार सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने योजना बना रही है।
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अर्धचालक पैकेजिंग के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योजना।
- 4 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन।
- उच्च निर्यात ऋण संवितरण के लिए निर्विक योजना शुरू की गई।
- अंत सुविधा को समाप्त करने के लिए एक निवेश क्लीयरेंस सेल की स्थापना।
- आरंभिक जीवन निधि प्रस्तावित, जिसमें बीज कोष भी शामिल है, जिसमें प्रारंभिक अवस्था के विकास एवं आरंभिक अवस्था का विकास शामिल है।
- डैडमे के लिए ऑडिट सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो गई।
- गैर-निवासी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियां पूरी तरह से खोली जाएं।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (४८) की सीमा उसके बकाया स्टॉक के 9 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई।
- ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी पात्रता सीमा घटकर-
 - 500 करोड़ से 100 करोड़ रुपये संपत्ति के आकार के आधार पर तथा
 - 1 करोड़ रुपये से 50 लाख रुपए रेन के आकार के आधार पर, हो गई है।

कर

- एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई है। जो लोग छूट के साथ पुराने शासन में रहना चाहते हैं, वे जारी रख सकते हैं।

- 70 से अधिक कटौती को हटा दिया गया है।
- कंपनियों को अब लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटाइजेशन

- उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए ज्ञान अनुवाद कलस्टर (नॉलेज ड्रांसलेशन कलस्टर)।
- पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए निजी क्षेत्र को सक्षम करने की नीति।
- क्वांटम टेक्नोलॉजीज एवं एप्लिकेशन पर राष्ट्रीय मिशन के लिए पांच वर्षों में 8000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- भारत के आनुवांशिक परिदृश्य का मानचित्रण— एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो नई राष्ट्रीय विज्ञान योजनाएँ शुरू की जानी हैं।

शासन

- सभी गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एक कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर एवं विशेषज्ञ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए)। प्रत्येक जिले विशेषकर एस्प्रेशनल जिलों में एक केंद्र बनाया जाएगा।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी पर नई राष्ट्रीय नीति एवं आधुनिक डेटा संग्रह, एकीकृत सूचना पोर्टल एवं सूचना के समय पर प्रसार के लिए एक रोड-मैप तैयार करना।
- वर्ष 2022 में जी 20 प्रेसीडेंसी की भारत में मेजबानी की तैयारी शुरू करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए।

बौद्धिक संपदा सूचकांक (इंटरनेशनल प्रोपर्टी इंडेक्स)

समाचार —

- इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2020 को यू.एस. चैंबर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र (GIPC) द्वारा जारी किया गया है।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं —

- अमेरिका, यूके, स्वीडन, फ्रांस एवं जर्मनी शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाएं हैं।
- सूचकांक के इस संस्करण में तीन नई अर्थव्यवस्थाओं, डोमिनिकन गणराज्य, ग्रीस एवं कुवैत को जोड़ा गया है।

- इस वर्ष के सूचकांक में 53 देशों को स्थान दिया गया जिसमें से भारत 40 वें स्थान पर रहा, भारत ने आईपी एवं कॉपीराइट मुद्दों की सुरक्षा के स्कोर में सुधार दिखाया है।
- भारत को 2019 में 50 देशों के बीच 36 वें स्थान पर रखा गया था।
- 2019 में भारत का स्कोर 36.04 प्रतिशत (45 में से 16.22) से बढ़कर 2020 में 38.46 प्रतिशत (50 में से 19.23) हो गया, जो कि निरपेक्ष स्कोर में 24.2 प्रतिशत की छलांग है। हालांकि, भारत के सापेक्ष स्कोर में 6.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 2016 की राष्ट्रीय आईपीआर नीति जारी होने के बाद से, भारत सरकार ने तेजी से आईपी उत्पादन एवं प्रवर्तन के माध्यम से नवाचार एवं रचनात्मकता में निवेश का समर्थन करने के लिए एक केंद्रित प्रयास किया है।
- भारत ने पेटेंट एवं ट्रेडमार्क अनुप्रयोगों के लिए प्रसंस्करण की गति में सुधार किया है, भारतीय नवप्रवर्तनकर्ताओं एवं रचनाकारों के बीच आईपी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है एवं उन अधिकारों के पंजीकरण एवं प्रवर्तन की सुविधा प्रदान की है।
- 2019 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन सामग्रियों में कॉपीराइट उल्लंघन को निष्क्रिय करने के लिए निषेधाज्ञा का उपयोग प्रभावी तरीके से किया, जिसके परिणामस्वरूप कॉपीराइट संबंधी दो संकेतों को पर भारत का स्कोर बढ़ा है।

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 15 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

समाचार —

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सिफारिशों से युक्त, 15 वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: श्री एन. के. सिंह) द्वारा पेश की गई पहली रिपोर्ट संसद में पेश की गई।
- वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है।

मुख्य सिफारिशें —

- केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी को 2015–20 के दौरान 42 प्रतिशत से घटाकर 2020–21 के लिए 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। यह 1 प्रतिशत कम की गई राशि, केंद्र सरकार के संसाधनों से नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख को प्रदान की जानी है।

- 2020–21 में, राज्यों को निम्नलिखित अनुदान प्रदान किए जाएंगे— (i) राजस्व धाटा अनुदान, (ii) स्थानीय निकायों को अनुदान, एवं (iii) आपदा प्रबंधन अनुदान। आयोग ने सेक्टर-विशिष्ट एवं प्रदर्शन-आधारित अनुदान के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तावित की है। अंतिम रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- आयोग ने उल्लेख किया कि एक विश्वसनीय राजकोषीय एवं ऋण प्रक्षेप पथ की सिफारिश करना अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण मुश्किल है। इसने सिफारिश की कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को ऋण समेकन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए एवं राजकोषीय धाटे एवं ऋण स्तरों का उनके संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियमों के अनुसार अनुपालन करना चाहिए।
- आयोग ने देखा कि ऑफ-बजट उधार के माध्यम से पूँजीगत व्यय का वित्तपोषण एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन से अलग है।
- इसने सिफारिश की कि केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को अतिरिक्त बजटीय उधारी का पूरा खुलासा करना चाहिए। बकाया अतिरिक्त – बजटीय देनदारियों को समय-सीमा में स्पष्ट रूप से पहचाना एवं समाप्त किया जाना चाहिए।
- आयोग ने मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को वैधानिक ढांचा प्रदान करने संबंधित कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह बनाने की सिफारिश की। यह देखा कि एक व्यापक कानूनी राजकोषीय ढांचे की आवश्यकता है जो सरकार के सभी स्तरों पर पालन किए जाने वाले बजट, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानक प्रदान करेगा।
- 2018–19 में, राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार का कर राजस्व कुल मिलाकर जीडीपी का लगभग 17.5 प्रतिशत था। आयोग ने कहा कि कर देश की राजस्व अनुमानित कर क्षमता से बहुत कम है। इसके अलावा, 1990 के दशक की शुरुआत से भारत की कर क्षमता काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। इसके विपरीत, अन्य उभरते बाजारों में कर राजस्व बढ़ रहा है। आयोग ने – (i) कर आधार को व्यापक बनाना, (ii) कर दरों को सुव्यवस्थित करना, (iii) एवं सरकार के सभी स्तरों में कर प्रशासन की क्षमता एवं विशेषज्ञता बढ़ाने की सिफारिश की है।
- आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन की कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इनमें शामिल हैं— (i) मूल पूर्वानुमान की तुलना में संग्रह में बड़ी कमी, (ii) संग्रह में उच्च अस्थिरता, (iii) बड़े एकीकृत जीएसटी क्रेडिट का संचय, (iv) इनवॉइस एवं इनपुट टैक्स मिलान में गड़बड़, एवं (v) रिफंड में देरी। आयोग ने पाया कि राजस्व में कमी के लिए केंद्र सरकार (2018–19 में 29 राज्यों में से 21 राज्यों) से मुआवजे पर राज्यों की निरंतर निर्भरता एक चिंता का विषय है। यह सुझाव दिया कि कम खपत वाले राज्यों के लिए जीएसटी के संरचनात्मक प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंसेस (टीओआर) ने यह जांचने की आवश्यकता कि क्या रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग धन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए एवं यदि ऐसा है, तो इसका संचालन कैसे किया जा सकता है, पर बल दिया। इस संबंध में, आयोग का इरादा एक विशेषज्ञ समूह का गठन करना है जिसमें रक्षा, गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय शामिल हैं। आयोग ने उल्लेख किया कि रक्षा मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया— (i) गैर-व्यपगत निधि की स्थापना, (ii) उपकर की वसूली, (iii) अधिशेष भूमि एवं अन्य संपत्तियों का विमुद्रीकरण, (iv) कर-फ्री रक्षा बांड, एवं (v) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के विनियोग की आय का उपयोग। विशेषज्ञ समूह से इन प्रस्तावों या वैकल्पिक धन तंत्र की जांच करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए “प्रधान मंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” एवं “पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)” को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
- ये बदलाव खरीफ के 2020 सीजन से पूरे देश में लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
- इस कदम का उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कवरेज बढ़ाना है जिससे किसान अपने कृषि जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें।

- इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में जोखिम में कटौती करना एवं कृषि आय को स्थिर करना है।
- परिवर्तनों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे त्वरित एवं सटीक उपज अनुमान को सक्षम कर सकें, जिससे तेजी से दावों का निपटान हो सके।
- सुधार से केंद्र पर बोझ कम होगा एवं राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ेगी।
- भागीदारी को स्वैच्छिक बनाना किसानों के सुरक्षा जाल को उठाने का एक तरीका है।
- सभी किसानों को वित्तीय सहायता एवं प्रभावी जोखिम शमन उपकरण प्रदान करने के लिए योजना को स्वैच्छिक बनाया जा रहा है।

पहियों पर मधुमक्खी पालनगृह

समाचार –

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पहियों पर मधुमक्खी पालन—गृह को हरी झंडी दिखाई।
- पहियों पर मधुमक्खी पालन—गृह, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा मधुमक्खियों की चलती—फिरती कालोनियों के आसान रखरखाव एवं प्रवासन के लिए बनाई गई एक अद्वितीय अवधारणा है।
- यह मधुमक्खी पालकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।
- इसे पूरे भारत में मधुमक्खी बॉक्स एवं जीवित मधुमक्खी कालोनियों के रखरखाव एवं रखरखाव की लागत को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- पहियों पर मधुमक्खी पालन—गृह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी परेशानी के मधुमक्खियों के 20 बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसे आसानी से ट्रैक्टर या ट्रॉली के साथ जोड़ा जा सकता है एवं इसे किसी भी उपयुक्त गंतव्य तक खिंचा जा सकता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग—

- केवीआईसी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, पदोन्नति, संगठन एवं कार्यान्वयन के साथ—साथ

ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य एजेंसियों के साथ जहां भी आवश्यक हो कार्य करता है।

तिलहन मिशन

समाचार –

- सरकार ने घोषणा की कि वह तिलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिलहन मिशन शुरू करेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ब्राजील के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था है।
- आज देश में तिलहन का 13 प्रतिशत फसली क्षेत्र में है।
- फिर भी, भारत दुनिया में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा आयातक है।

राष्ट्रीय जैविक खाद्य उत्सव –

समाचार –

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय उत्सव का उद्देश्य जैविक बाजार को मजबूत करना एवं जैविक उत्पादों के निर्माण में लगी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। भारत में जैविक क्षेत्र प्रति वर्ष 17 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है एवं यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी क्योंकि यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
- सिकिकम दुनिया का पहला जैविक राज्य है। इसके सभी खेत प्रमाणिक जैविक हैं।
- भारत में विश्व की 9 वीं सबसे बड़ी जैविक कृषि भूमि एवं सबसे बड़ी संख्या में उत्पादकों की संख्या है।
- थीम— भारत के जैविक बाजार क्षमता को उजागर करना।
- भारत में जैविक खाद्य के विकास के कारक—डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं स्वीकार्यता बढ़ाना है।

भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल

समाचार –

- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन ने मणिपुर के तामे गलोंग जिले में मकरू नदी के पार, 33 मंजिला इमारत के बाबार 100 मीटर लंबा पुल बनाया है जो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है।
- 555 मीटर की चौड़ाई के साथ 283.5–करोड़ रुपये का पुल 111 किमी लंबा है जो जिरीबाम–तुपुल–इंफाल नई ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है। इसमें 47 सुरंगें हैं, और सबसे लंबी सुरंग 10.28 किलोमीटर की है।
- कोलकाता में एक कार्यशाला में स्टील गर्डरों को बनाकर टुकड़ों में ले जाया गया एवं कैंटिलीवर द्वारा स्थल पर खड़ा किया गया, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना एवं निष्पादन की आवश्यकता थी।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे –

- यह भारत में अठारह रेलवे जोन में से एक है। यह पूरे पूर्वोत्तर एवं पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ हिस्सों में रेल संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय असम राज्य में गुवाहाटी के मालीगांव में है।
- 1881 में, रेलवे पहली बार असम में आया जब असम रेलवे एवं ट्रेडिंग कंपनी ने मीटर गेज ट्रैक स्थापित किया।

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन (IIS) 2020

समाचार –

- IIS का 22 वां संस्करण 7–9 फरवरी 2020 से कोच्चि में आयोजित किया गया था।
- IIS 2020 का आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) द्वारा किया गया था, जो समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (SEAI) के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है।
- इस वर्ष के सीफूड शो का विषय 'लू रेवोल्यूशन–बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन' था।
- द्विवार्षिक शो 12 साल बाद फिर से कोच्चि में आयोजित किया गया एवं भारतीय निर्यातकों एवं इसने भारतीय समुद्री उत्पादों के विदेशी आयातकों को बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान किया।
- IIS का 21 वां संस्करण जनवरी 2018 में गोवा में आयोजित किया गया था।

भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

समाचार –

- एक स्वतंत्र संगठन – विश्व जनसंख्या समीक्षा (यूएस–आधारित थिंक टैंक) रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी पिछली बंद आर्थिक नीतियों से एक खुले बाजार की अर्थव्यवस्था में विकसित हो रहा है।
- भारत की अर्थव्यवस्था 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी है, जो 2019 में यूके एवं फ्रांस को पछाड़कर पांचवें स्थान पर पहुँची है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार \$ 2.83 ट्रिलियन है एवं फ्रांस का \$ 2.71 ट्रिलियन है।
- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में, भारत की जीडीपी \$10.51 ट्रिलियन है, जो जापान एवं जर्मनी से अधिक है। भारत की उच्च आबादी के कारण, इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद \$ 2,170 (यूएस \$ 62,794 की तुलना में) है।
- भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि तीसरे सीधे वर्ष में 7.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कमजोर होने की उम्मीद है। भारत का सेवा क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत तथा देश के रोजगार में 28 प्रतिशत योगदान है। निर्माण एवं कृषि अर्थव्यवस्था के दो और स्तंभ हैं।

SPICe + वेब फॉर्म

समाचार –

- भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईंओडीबी) पहल के हिस्से के रूप में, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) नए वेब फॉर्म के प्रारूप के साथ सामने आया है SPICe+ – कंपनियों के निगमन के लिए वेब फॉर्म – केंद्र के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के हिस्से के रूप में जारी किया गया है – जिसने मौजूदा SPICe फॉर्म (कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शामिल करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा) को बदल दिया है।
- अन्य चीजों के साथ एकीकृत वेब फॉर्म तीन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग) एवं एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करेगा। वेब फॉर्म भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई प्रक्रियाओं, समय एवं लागत को बचाने में मदद करेगा। यह 15 फरवरी 2020 से सभी नई कंपनियों को शामिल करने के लिए लागू हो गया।

- मंत्रालय GSTIN / EPFO / ESIC / प्रोफेशन टैक्स / बैंक अकाउंट के लिए SPICe + का हिस्सा भी बना है।

अटल नवाचार मिशन (अटल इनोवेशन मिशन)

समाचार –

- अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने नवाचार डेमो दिवस की एक शृंखला शुरू की, जहां भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाने के लिए स्टार्ट-अप, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME), उद्यमी, कॉर्पोरेट पार्टनर एवं सेक्टर एकेडमिक्स को एक विजन के साथ सरकार द्वारा वित्तपोषित नवाचारों के प्रदर्शन के लिए एक साथ लाया जाता है।
- इस तरह का पहला आयोजन उसी दिन अटल खाद्य प्रसंस्करण केंद्र (एआईसी) – उद्यमिता एवं प्रबंधन प्रक्रिया इंटरनेशनल (ईएमपीआई) बिजनेस स्कूल, नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- नवाचार डेमो दिवस शृंखला पहल का उद्देश्य कृषि एवं किसान कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारतीय MSME उद्योग एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान उद्योगों जैसे क्षेत्रों के साथ नवाचार को जोड़ना है।

काशी महाकाल एक्सप्रेस

समाचार –

- काशी महाकाल एक्सप्रेस देश की आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी 'कॉरपोरेट' ट्रेन, ने इंदौर से व्यावसायिक रूप से संचालन प्रारंभ किया।
- कॉर्पोरेट ट्रेन मॉडल भारतीय रेलवे द्वारा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाने वाला एक नया मॉडल है, इसमें पीएसयू, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) को नियमित यात्री ट्रेनों को आउटसोर्स करना शामिल है।

- इस मॉडल में, निगम सेवा को चलाने के सभी निर्णय लेता है— किराया, भोजन, सुविधाएं, गृह व्यवस्था, शिकायत आदि। भारतीय रेलवे इन सेवाओं से मुक्त है एवं आईआरसीटीसी से नेटवर्क का मालिक होने के नाते एक पूर्व-निर्धारित राशि अर्जित करने के लिए मिलती है।
- यह ट्रेन देश में भगवान शिव के तीन ज्योतिर्लिंगों – औंकारेश्वर (इंदौर के पास स्थित), महाकालेश्वर (उज्जैन) एवं काशी विश्वनाथ (वाराणसी) को जोड़ती है।

एस डी जी सम्मेलन 2020

समाचार –

- उत्तर पूर्वी राज्यों की साझेदारी, सहयोग एवं विकास 24–26 फरवरी 2020 से असम प्रशासनिक कर्मचारी कॉलेज, गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन उप-राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में नीति आयोग के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा था।
- नीति आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद, असम सरकार, टाटा ट्रस्ट्स, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एवं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज (RIS) के सहयोग से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था।
- कॉन्क्लेव ने तकनीकी सत्रों की मेजबानी की, जो पूर्वोत्तर में एसडीजी स्थानीयकरण, जलवायु अनुकूली कृषि, आर्थिक समृद्धि, एवं सतत आजीविका, स्वास्थ्य, एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता, बुनियादी ढांचे के विकास एवं असमानता एवं बहिष्कार से संबंधित हैं।
- नीति आयोग के पास राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी को अपनाने एवं निगरानी की देखरेख करने का जनादेश है।

पारादीप पोर्ट

समाचार –

- एक अंतर-मंत्रिस्तरीय पैनल ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की आंतरिक बंदरगाह को गहरा करने एवं अनुकूलन के लिए शिपिंग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- कुल परियोजना लागत 3,025 करोड़ रुपये अनुमानित है एवं इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोड में निष्पादित किया जाएगा।

- यह परियोजना इस्पात क्षेत्र एवं अन्य उद्योगों के लिए कोकिंग कोयले के आयात की सुविधा भी प्रदान करेगी।
- ओडिशा में स्थित, गहरे पानी पारादीप पोर्ट कच्चे तेल, लौह अयस्क, थर्मल कोयला, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज एवं उर्वरकों जैसे विभिन्न कार्गो को संभालता है। बंदरगाह ने 2017–18 में 102.01 एमएमटी के मुकाबले 2018–19 में 109.27 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी), कुल यातायात को संभाला।
- आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं के प्रस्तावित गहरीकरण एवं अनुकूलन से पोर्ट की समग्र क्षमता में 25 एमएमटी की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता जुड़ जाएगी।

वाधवान पोर्टपोर्ट

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में दहानु के पास वाधवान में एक मेजर पोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दे दी है।
- वाधवान बंदरगाह को 'लैंड-लॉर्ड मॉडल' पर विकसित किया जाएगा।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन किया जाएगा, जिसमें परियोजना को लागू करने के लिए इकिवटी भागीदारी या 50 प्रतिशत से अधिक के बराबर प्रमुख भागीदार होगा।
- एसपीवी बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा, जिसमें पुनर्निर्माण, निर्माण के अलावा जलमार्ग का निर्माण शामिल है, साथ ही साथ आंतरिक इलाकों से संपर्क स्थापित किया जाएगा। सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ निजी डेवलपर्स द्वारा पीपीपी मोड के तहत की जाएंगी।
- परियोजना की कुल लागत 65,544 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की स्थिति – भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो 5.1 मिलियन TEUs (ट्रैक्टर-फुट इक्वेलेंट यूनिट्स) के ट्रैफिक के साथ दुनिया में 28 वें स्थान रखता है। 2023 तक 10 मिलियन TEU तक की क्षमता में वृद्धि के साथ इस पोर्ट पर 4जी टर्मिनल पूरा होने के बाद, यह दुनिया में 17 वें सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट के रूप में खड़ा होगा। उसके साथ वधावन बंदरगाह के विकास से भारत दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देशों में शामिल हो जाएगा।

इज (ईएसई) 3.0

समाचार –

- वित्त मंत्री ने एन्हैर्स्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस (इज 3.0) की शुरुआत की है।
- इज 3.0 का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग को स्मार्ट एवं प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने के लिए उन्नत समाधान प्रदान करना है।
- इसमें वित्तीय सेवा की एंड-टू-एंड डिजिटल डिलीवरी के लिए पाम बैंकिंग, गो ऑन ईएसई बैंकिंग आउटलेट्स, डिजिटल शाखा अनुभव, टेक-सक्षम कृषि ऋण सहित अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

प्रधानमंत्री किसान (केआईएसएएन) मोबाइल एप

समाचार –

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली वर्षगांठ पर, कृषि मंत्री ने पीएम-किसान मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
- इसका उद्देश्य योजना की पहुंच को और व्यापक बनाना है।
- एप्लीकेशन से किसानों को उनके भुगतान की स्थिति, योजना के प्रति उनकी पात्रता एवं अन्य जानकारी के बारे में जानने में मदद मिलेगी।
- इससे सरकार को किसानों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्ति के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे हैं।
- लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है।
- फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

मसाला बॉन्ड्स

समाचार –

- एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) ने भारत के वैश्विक ऋण सूचीकरण मंच (आईएनएक्स) पर अपने 10 वर्षों के मसाला बॉन्डों को 850 करोड़ रुपये में सूचीबद्ध किया है। आय का उपयोग भारत में स्थानीय मुद्रा उधार एवं निवेश में मदद के लिए किया जाएगा।
- ये एक भारतीय इकाई या कॉर्पोरेट द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए बांड हैं। ये बांड स्थानीय मुद्रा की तुलना में भारतीय मुद्रा में जारी किए जाते हैं। भारतीय कॉरपोरेट्स आमतौर पर मसाला निवेशकों को विदेशी निवेशकों से धन जुटाने के लिए जारी करते हैं। जैसा कि भारतीय मुद्रा में आंका जाता है, अगर रुपये की दर गिरती है, तो निवेशक जोखिम उठाते हैं। भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) द्वारा 2014 में पहला मसाला बांड जारी किया गया था।
- मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में दर्शाए गए हैं।
- मसाला एक भारतीय शब्द है, इस शब्द का उपयोग आईएफसी द्वारा भारत की संस्कृति एवं व्यंजनों को जटाने के लिए किया गया था।

स्वास्थ्य एवं समाज

तस्करी से बचे लोगों को दिए गए मुआवजे

समाचार –

- संजोग (संस्थान) द्वारा जारी की गई (नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डाटा पर आधारित) अनकंपनसेटेड विकिट्स रिपोर्ट देश की तस्करी से बचे लोगों को दिए गए मुआवजे पर, जिसमें 2011–2019 के दौरान दिए गए मुआवजे शामिल हैं, की खराब स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।
- संजोग एक तकनीकी संसाधन संगठन है जो तस्करी एवं लिंग आधारित हिंसा का मुकाबला करने के लिए काम करता है।
- 2012 में निर्भया मामले के बाद व्यक्तियों – बच्चों या वयस्कों के खिलाफ यौन हिंसा का सामना करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी।

- जिन 82 लोगों को मुआवजा दिया गया था, उनमें से केवल 77 को राहत राशि मिली। उत्तरजीवियों को दिए गए मुआवजे का राज्यवार विवरण बताता है कि दिल्ली में 47, इसके बाद झारखण्ड में 17, असम में आठ, पश्चिम बंगाल में तीन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं मेघालय में दो-दो लोगों को राहत दी गई है। हरियाणा में, 2011 एवं 2019 के बीच, तस्करी से बचे एक व्यक्ति को मुआवजा दिया गया था।
- अध्ययन से यह भी पता चलता है कि जानकारी की कमी बनी हुई है, कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से पहल की कमी, कानूनी सहायता के हिस्से पर कम निवेश हुआ है जिसके परिणामस्वरूप दरअसल बहुत कम लोगों तक मुआवजे की पहुंच है।

जनसेवक स्कीम

समाचार –

- कर्नाटक सरकार ने राशन कार्ड, वरिष्ठ नागरिक पहचान एवं स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कुछ नगर निगम वार्डों में जनसेवा योजना शुरू की। यह योजना 11 विभागों से जुड़ी 53 सेवाओं से संबंधित होगी।
- साकला योजना के तहत जनसेवक सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे घर तक पहुंचाने की एक योजना है।
- साकला का उद्देश्य सरकार में क्षमता निर्माण के माध्यम से नवीन एवं कुशल प्रबंधन प्रणाली का अभ्यास करके नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना एवं नागरिकों को सेवा के अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाना है।

राष्ट्रीय कृमि संक्रमण निवारण (डीवर्मिंग) दिवस

समाचार –

- यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी एवं 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य 1–19 वर्ष के बच्चों के बीच मृदा संचरित हेल्मिन्थस (एसटीएच) नामक आंतों के कीड़े को समाप्त करना है।
- इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों को आंत में परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करना है। हाथ धोने से कृमि संक्रमण एवं कई अन्य बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

- 1–19 वर्ष की आयु के बच्चों एवं किशोरों को इस अवसर पर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एक सुरक्षित दवा एल्बोंडाजोल की एकल खुराक दी गई।

आंत के कीड़े –

- आंतों के कीड़े परजीवी होते हैं जो मानव आंतों में रहते हैं एवं उन पोषक तत्वों एवं विटामिन का सेवन करते हैं जो एक मनुष्य खाता है। यह रोग विशेषतः छोटे बच्चों में पाया जाता है।
- तीन मुख्य प्रकार के STH हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं, राउंडवॉर्म (*Ascaris lumbricoides*), व्हिपवॉर्म (*Trichuris trichiura*) एवं हुकवॉर्म (*Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*)।
- ये कीड़े अपने भोजन एवं जीवित रहने के लिए मानव शरीर पर निर्भर करते हैं एवं वहां रहने के दौरान, वे हर दिन हजारों अंडे देते हैं।

नालियों एवं सेप्टिक टैंक की सफाई

समाचार –

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एसजेर्इ) के अनुसार, देश में नालियों एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मरने वालों की संख्या 2018 के 68 से 62 प्रतिशत बढ़कर, 2019 में लगभग 110 हो गई।
- मनुष्यों द्वारा सीवर-नालों की सफाई (मैनुअल स्कैवेंजिंग) को रोजगार प्रतिबंध के तहत मैनुअल स्कैवेंजर्स एवं उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में प्रतिबंधित किया गया है।
- पुराने समय में, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मुख्य कारण अस्वच्छ शौचालय थे जिन्हें हाथ से साफ करना आवश्यक था।

पोर्टल संतुष्ट

समाचार –

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल ‘शुरू किया है जो जमीनी स्तर पर लगातार श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
- ‘संतुष्ट’ – कार्यान्वयन निगरानी प्रकोष्ठ (आईएमसी) का गठन जनवरी 2020 में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कार्यालय में किया गया है। ‘संतुष्ट’ का उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, सेवाओं एवं नीतियों का कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पहले से ही जनता की शिकायतों के लिए कार्यरत है।

CPGRAMS

- यह एक ऑनलाइन वेब-सक्षम प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय [MeitY]) द्वारा विकसित किया गया है, लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) एवं प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ मिलकर कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतों एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य जनता की शिकायतों को प्राप्त करना, उनका निवारण एवं निगरानी करना है। CPGRAMS किसी भी स्थान से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह नागरिकों को संबंधित विभाग की शिकायतों को ऑनलाइन को ट्रैक करने तथा DARPG को इसे मॉनिटर करने में में सक्षम बनाता है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम

समाचार –

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के तहत एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है जो भावनात्मक भलाई, मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंधों से लेकर मूल्यों एवं स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने तक के कौशल सिखाएगा।
- कार्यान्वयन का पहला चरण आकांक्षात्मक जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) के सभी सार्वजनिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में होगा। शेष जिलों को दूसरे वर्ष में लिया जाएगा।
- यह पहल निवारक, प्रोत्साहन एवं सकारात्मक स्वास्थ्य की अवधारणा को और मजबूत करेगी, जो आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की मूलभूत आधारशिला बनाती है।
- यह पहल अन्य सरकारी पहलों जैसे फिट इंडिया आंदोलन, ईट राइट अभियान, स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्य के सर्वांगीन एवं समग्र विकास मॉडल के लिए पोषण अभियान के साथ प्रभावी रूप से जुड़ी होगी।
- इसके अंतर्गत, एनसीईआरटी द्वारा 24-घंटे के पाठ्यक्रम, नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से सूत्रधार गाइड, विकसित किए गए हैं।

ICoSDiTaus—2020

समाचार —

- ICoSDiTaus—2020, आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध चिकित्सा एवं शब्दावली के मानकीकरण पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में ‘पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) नैदानिक डेटा के संग्रह एवं वर्गीकरण’ पर ‘नई दिल्ली घोषणा’ को अपनाने के साथ हुआ।
- इस सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा पर कार्य करने के लिए सोलह देश श्रीलंका, मॉरीशस, सर्बिया, कुराकाओ, क्यूबा, म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनी, कतर, घाना, भूटान, उज्बैकिस्तान, भारत, स्विट्जरलैंड, ईरान, जमैका एवं जापान, एक साथ आए हैं।
- ICoSDiTaus—2020, सभी महाद्वीपों को साथ लेकर व्यापक स्तर की भागीदारी के संदर्भ में पारंपरिक चिकित्सा के निदान एवं शब्दावली के मानकीकरण के लिए समर्पित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है।

नई दिल्ली घोषणा —

- नई दिल्ली घोषणा ने स्वास्थ्य देखभाल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) पर, देशों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।
- इसने डब्ल्यूएचओ के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण रोगों (आईसीडी) में आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध जैसी पारंपरिक प्रणालियों को शामिल करने की भी मांग की, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक नैदानिक उपकरण है।

संघ अनुदान आयोग का प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उच्च शिक्षा एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम

समाचार —

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रशासक के लिए उच्च शिक्षा नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है।
- यह कार्यक्रम यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (UKIERI) के तत्वावधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं ब्रिटिश काउंसिल की एक संयुक्त पहल, जिसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम का संचालन करना है।

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अकादमिक प्रशासकों को प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करना है ताकि वे भारत में विश्वविद्यालयों में नए दृष्टिकोण, क्षमता, उपकरण एवं कौशल के साथ प्रणालीगत बदलाव ला सकें।
- यूजीसी, ब्रिटेन के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थागत विशेषज्ञता एवं नेतृत्व उत्कृष्टता के साथ प्रशिक्षण भागीदार के रूप में एडवांस एचई (एक ब्रिटिश उच्च शिक्षा अकादमी) के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन करेगा, जिसे भारत में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा सक्षम किया जा रहा है।

ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक (जी एच एस इंडेक्स), 2019

समाचार —

- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा (जीएचएस) सूचकांक, 2019 के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा दुनिया भर में ‘मौलिक रूप से कमज़ोर’ है। कोई भी देश महामारीयों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, एवं हर देश से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट हाल के कोरोनावायरस (कोविड-19) प्रकोप के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

सूचकांक के बारे में —

- ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (जीएचएस) इंडेक्स, न्यूकिलयर थ्रेट इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट, जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी।
- जीएचएस इंडेक्स 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संबंधित क्षमताओं का पहला व्यापक मूल्य है जो राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (आईएचआर, 2005) में भागीदारी देता है।
- आईएचआर, 2005 वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सभी सदस्य राज्यों सहित 196 देशों के बीच एक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।
- जीएचएस सूचकांक छह श्रणियों, 34 संकेतकों एवं 85 उप-संकेतकों में देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं क्षमताओं का आकलन करता है।

- छह श्रेणियां इस प्रकार हैं –
 1. **रोकथाम**— रोगजनकों के उद्भव या रिलीज की रोकथाम।
 2. **रोग की पहचान एंड रिपोर्टिंग**— संभावित अंतरराष्ट्रीय चिंता की महामारी के लिए शुरुआती पहचान एवं रिपोर्टिंग।
 3. **तीव्र प्रतिक्रिया**— महामारी के प्रसार की तीव्र प्रतिक्रिया एवं शमन।
 4. **स्वास्थ्य प्रणाली**— बीमारों के इलाज एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त एवं मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली।
 5. **अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन**— राष्ट्रीय क्षमता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता, अंतराल को संबंधित करने के लिए वित्तीय योजनाओं एवं वैश्विक मानदंडों का पालन करना।
 6. **पर्यावरणीय जोखिम** — समग्र पर्यावरणीय जोखिमों एवं जैविक खतरों से लड़ने की देश की क्षमता।

जाँच तथा परिणाम —

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा दुनिया भर में मूलभूत रूप से कमजोर है। कोई भी देश महामारीयों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, एवं हर देश से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है।
- देश विश्व स्तर पर विनाशकारी जैविक घटना के लिए तैयार नहीं हैं।
- इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि अधिकांश देशों ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा क्षमताओं का परीक्षण किया है या दिखाया है कि वे संकट में कार्यशील होंगे।
- अधिकांश देशों ने पहचान की गई तैयारियों की कमियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बजट से धन आवंटित नहीं किया है।
- आधे से अधिक देशों को प्रमुख राजनीतिक एवं सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है जो जैविक खतरों का मुकाबला करने की राष्ट्रीय क्षमता को कम कर सकते हैं।
- अधिकांश देशों में महामारीयाँ होने पर प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का अभाव है।
- पश्चु चिकित्सा, वन्य जीवन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों एवं नीति निर्माताओं के बीच में समन्वय एवं प्रशिक्षण अपर्याप्त हैं।

आदित्य—एल 1

समाचार —

- इसरो 2021 की शुरुआत में देश के पहले सौर मिशन ‘आदित्य—एल 1’ को भेजने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
- 400 किलो का उपग्रह आदित्य—एल 1 का लॉन्च अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अब तक किए गए सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों में से एक होगा।
- मिशन में सूर्य को करीब से देखने एवं उसके चुंबकीय क्षेत्र एवं वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल होगा।
- आदित्य एल 1 एस्ट्रोसैट के बाद इसरो का दूसरा अंतरिक्ष—आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा, जिसे सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था।
- पृथ्वी से सूर्य की दूरी (औसतन लगभग 149 मिलियन किमी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किमी की तुलना में कहीं अधिक है) तथा सौर वातावरण में अत्यधिक गर्म तापमान एवं विकिरण, इस मिशन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
- आदित्य—एल 1 के मामले में, अल्ट्रा—हीट विकिरण एवं दूरी के कारण समस्याएं होने की अधिक संभावना नहीं है क्योंकि उपग्रह केवल सूर्य एवं पृथ्वी के बीच एल 1 क्षेत्र का पता लगाएगा जो पृथ्वी से केवल 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है।
- हालांकि, मिशन में उपयोग किए जाने वाले कई उपकरणों को स्वदेशी रूप से निर्मित किया जा रहा है, जिससे भारत के वैज्ञानिकों इंजीनियरों एवं अंतरिक्ष समुदाय के व्यक्तियों के लिए एक अवसर उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही एक घटक उच्च पॉलिश दर्पण है जो अंतरिक्ष—आधारित दूरबीन पर लगाया जाएगा।
- मिशन में कुछ मूविंग इंस्ट्रुमेंट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मिशन को एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्फिगरेशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग कर लॉन्च किया जाएगा।
- सात पेलोड के साथ लॉन्च किया जाने वाला उपग्रह, लगातार सूर्य के सामने होगा एवं चौबीसों घंटे इमेजिंग भेजेगा जो सौर उत्सर्जन, हवाओं एवं वातावरण से संबंधित अध्ययन में सहायता करेगा।

- मिशन के निष्कर्षों का उपयोग पृथ्वी सहित सिस्टम के समग्र वातावरण के विश्लेषण में भी किया जाएगा। सूरज से पृथ्वी पर आने वाले तूफान एवं उनकी तीव्रता को भी मिशन के निष्कर्षों की मदद से समझा जा सकेगा।
- इस मिशन का संचालन इसरो द्वारा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA), बैंगलुरु, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA), एवं भारतीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान (IISER), कोलकाता के सहयोग से किया जा रहा है।
- कई पेलोड को शामिल करने के साथ, यह परियोजना देश के भीतर कई संस्थानों के सौर वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष आधारित उपकरणों के निर्माण एवं पर्यवेक्षण में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करती है।
- इस प्रकार, उन्नत आदित्य—एल 1 परियोजना सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं की व्यापक समझ को सक्षम करेगी एवं सौर भौतिकी में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं को हल करने की कोशिश करेगी।

सेलर ऑर्बिटर के मिशन

समाचार —

- फ्लोरिडा में सूर्य का अध्ययन करने के लिए ईएसए (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी) एवं नासा ने सोलर ऑर्बिटर नाम से एक नया सहयोगी मिशन शुरू किया है।
- अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग खुद को ग्रहण के तल से बाहर करने के लिए करेगा — अंतरिक्ष का स्वाथ, जो सूर्य के भूमध्य रेखा — जहां सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं, के साथ मोटे तौर पर संरेखित है।
- सौर ऑर्बिटर दस उपकरणों से लैस है जो सूर्य के कोरोना (इसका वातावरण), ध्रुवों, सौर डिस्क एवं उसके चुंबकीय क्षेत्र (प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्घ्य में, जैसे पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश एवं एक्स-रे) का अवलोकन कर सकते हैं।
- ध्रुवों के अवलोकन से स्पष्ट हो सकता है कि 11 वर्ष की अवधि में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र क्यों बदलता है। जब चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय होता है, तो यह सूरज की सतह पर गहरे धब्बे पैदा करता है।
- ऑर्बिटर सूरज के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें लेगा, जो पहली बार वैज्ञानिकों को सौर हवा के केंद्रित स्रोत का निरीक्षण करने एवं यह सर्वेक्षण करने की अनुमति दे सकता है कि समय के साथ इसकी सतह कैसे बदलती है।

- इससे पहले, 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोबेटो को लॉन्च करके पता लगाया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल में अंतरिक्ष के मौसम का मंथन कैसे करता है। यह ऊर्जा के प्रवाह को ट्रेस कर रहा है जो सूर्य के कोरोना एवं सौर हवा को गर्म एवं तेज करता है। सौर हवा के स्रोतों पर प्लाज्मा एवं चुंबकीय क्षेत्र की संरचना एवं गतिशीलता का निर्धारण एवं ऊर्जावान करणों को गति देने एवं परिवहन करने वाले तंत्र की खोज करना, इसके उद्देश्यों में शामिल है।

महत्व —

- यह उच्च स्थानिक रिजॉल्यूशन टेलीस्कोपों द्वारा सूर्य का अवलोकन करेगा एवं अंतरिक्ष यान के आसपास के वातावरण में सीधे अवलोकन करेगा ताकि यह पता चल सके कि सूर्य पूरे सौर मंडल में अंतरिक्ष के पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकता है।
- यह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि हमारा तारा प्लाज्मा के विशाल बुलबुले को कैसे बनाता है एवं नियंत्रित करता है जो पूरे सौर मंडल को घेरता है एवं उसके भीतर ग्रहों को प्रभावित करता है।
- यह मिशन नासा को अपने अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड के चारों ओर घूमने वाले विकिरण से बचाने में मदद करेगा, जिससे डीएनए क्षति एवं जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है।
- वैज्ञानिक यह भी जानेंगे कि अंतरिक्ष का मौसम पृथ्वी एवं उसके आसपास के उपग्रहों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पर कैसे कहर बरपाता है।
- मिशन सूर्य के चारों ओर चुंबकीय वातावरण का भी अध्ययन करेगा, जो बदले में सूर्य के 11 साल के सौर चक्र एवं सौर तूफान के समय—समय पर होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- मिशन वैज्ञानिकों को बेहतर मौसम पूर्वानुमान बनाने में मदद करेगा।
- यह एक बेहतर समझ देने का इरादा रखता है कि तारे पूरे सौर मंडल में अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

कोविड — 19

समाचार —

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नए कोरोनोवायरस रोग को 'कोविड 19' नाम दिया है।
- नया नाम 'कोरोना', 'वायरस' एवं 'रोग' शब्दों से लिया गया है, 2019 उस वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं जब यह उभरा।

- उद्यूएचओ किसी देश या विशेष समूह को कलंकित करने से बचना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसा नाम चुना जो किसी भौगोलिक स्थान, एक जानवर, एक व्यक्ति या लोगों के समूह को संदर्भित नहीं करता था।
- कोरोनावायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है जो अक्सर आम सर्दी सहित श्वसन संक्रमण का स्रोत होता है।
- अधिकांश वायरस जानवरों के बीच आम हैं, लेकिन कभी-कभी, एक जानवर-आधारित कोरोनावायरस उत्परिवर्तन करता है एवं सफलतापूर्वक मानव मेजबान में प्रवेश कर जाता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, चीन में मनुष्यों में कोरोनावायरस के प्रसार के लिए पैंगोलिन जिम्मेदार हो सकता है।

COVID-19 अब एक महामारी

- एक महामारी, बीमारी का वैश्विक प्रकोप होती है। महामारी तब होती है जब एक नया वायरस लोगों को संक्रमित करता है एवं लगातार लोगों के बीच फैल सकता है। क्योंकि नए वायरस के खिलाफ पहले से मौजूद कोई प्रतिरक्षा नहीं है, यह दुनिया भर में फैलता है।
- COVID-19 वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है एवं व्यक्ति से व्यक्ति तक आसानी से फैल रहा है।
- इस शताब्दी में, यह पहली महामारी है जो एक नए कोरोनावायरस के उद्भव के कारण हुई है। पिछली शताब्दी में, नए इनफ्लूएंजा वायरस के उद्भव के कारण चार महामारियां हुई हैं।

सूत्रा (एसयूटीआरए) – पीआईसी इंडिया शुरू किया गया

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'सूत्रा (एसयूटीआरए) – साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रु रिसर्च ऑगमेंटेशन – प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनियस काऊ' शुरू किया है।
- सूत्रा (एसयूटीआरए) – पीआईसी स्वदेशी गायों पर शोध करने का एक कार्यक्रम है।
- इसे 2019–20 के केंद्रीय बजट के दौरान घोषित किया गया था, इसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उत्पादों को विकसित करना है।

- इसका नेतृत्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा किया जाता है एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी) एवं भारतीय परिषद इस कार्यक्रम को मदद करते हैं।

सूत्रा (एसयूटीआरए) – पीआईसी इंडिया के पांच लक्ष्य –

इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न पांच विषयों पर ध्यान देकर, भारतीय देसी गायों से प्राप्त दूध एवं दूध से बने उत्पादों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना है। इसमें पारंपरिक तरीकों से गायों की देसी नस्लों से तैयार दही एवं धी के पोषण एवं चिकित्सीय गुणों पर वैज्ञानिक शोध, भारतीय मूल की गाय के पारंपरिक रूप से संसाधित डेयरी उत्पादों के लिए मानकों का विकास, इत्यादि शामिल हैं। ध्यान दिए जाने वाले विषय निम्न प्रकार हैं –

- स्वदेशी गायों की विशिष्टता,
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी गायों से प्राप्त प्रमुख उत्पाद,
- कृषि अनुप्रयोगों के लिए देशी गायों से प्रमुख उत्पाद,
- खाद्य एवं पोषण के लिए देशी गायों से प्रमुख उत्पाद,
- स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगिता की वस्तुओं से प्रधान उत्पाद।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस

समाचार –

- इस वर्ष, 11 फरवरी, सुरक्षित इंटरनेट दिवस (एस आई डी) के रूप में मनाया गया। पिछले साल, 5 फरवरी को यह दिवस मनाया गया था।
- एस आई डी हर वर्ष फरवरी में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, जिसका उद्देश्य उभरते ऑनलाइन मुद्दों, जैसे साइबरबुलिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं वर्तमान चिंताओं को दर्शाने वाला विषय चुनना है।
- इस वर्ष, थीम 'टुगेदर फॉर बैटर इंटरनेट' है।
- यह जागरूकता केंद्रों के इनसेफ/इनहोप नेटवर्क द्वारा आयोजित किया जाता है, जो 30 देशों में फैला हुआ है एवं यह यूरोपीय संघ के कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटी प्रोग्राम (CEF) द्वारा वित्त पोषित है।

- एस आई डी को पहली बार 2004 में यूरोपियन यूनियन द्वारा बैटर इंटरनेट फॉर किड्स पॉलिसी के हिस्से के रूप में मनाना शुरू किया गया था। एस आई डी पहल को अब दुनिया भर के लगभग 150 देशों में मान्यता प्राप्त है।
- पहल की पहुंच का विस्तार करने के लिए, 2009 में, सुरक्षित इंटरनेट दिवस समितियों को प्रस्तुत किया गया था। भारत में, नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन डिस्क - डी आई एस सी (इंटरनेट सुरक्षित समुदाय का विकास) फाउंडेशन एस आई डी समिति है।

नासा के डिस्कवरी कार्यक्रम का आयोजन

समाचार –

नासा ने घोषणा की कि उसने संभावित नए मिशनों के लिए अवधारणा अध्ययन विकसित करने के लिए चार डिस्कवरी कार्यक्रम जांच का चयन किया है।

- डा विंची** – शुक्र के वायुमंडल में नोबल गैसों, रसायन विज्ञान एवं इमेजिंग प्लस की गहरी जांच। यह शुक्र के वायुमंडल का यह समझने के लिए कि यह कैसे गठित एवं विकसित हुआ था, एवं क्या यहां कभी महासागर था, विश्लेषण करेगा।
- आईवीओ** – आईओ ज्वालामुखी ऑब्जर्वर बृहस्पति के चंद्रमा आईओ जो कि ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय है, के बारे में पता लगाने का एक प्रयास है।
- ट्राइटॉन** – इसका उद्देश्य नेच्यून के बर्फीले चंद्रमा, ट्राइटॉन के बारे में पता लगाना है।
- वेरीटास** – वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, इनसार, टोपोग्राफी, एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी का लक्ष्य शुक्र की सतह का पता लगाना होगा कि शुक्र पृथ्वी से अलग क्यों विकसित हुआ।

थिरुमिथिकार्ट

समाचार –

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), त्रिची, तमिलनाडु ने थिरुमिथिकार्ट – एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) उत्पादों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।
- ऐप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय में विकसित किया गया था।
- ऐप का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना एवं सहज तरीके से बाजार के अवसरों तक पहुंचने में उनकी मदद करना है।
- प्लेटफॉर्म की सहायता से व्यापक दर्शक स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को देख पाएंगे।

स्वयं सहायता समूह –

- एसएचजी, 15–20 स्थानीय लोगों के अनौपचारिक संघ हैं जो अपने रहने की स्थिति में सुधार करने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आना चुनते हैं।
- ये सदस्य कुछ महीनों में छोटे नियमित बचत योगदान करते हैं, जब तक कि समूह में पर्याप्त ऋण देने की शुरुआत न हो जाए।

'हॉर्स रिज'

समाचार –

- इंटेल लैब्स, क्वोट के सहयोग से, जो क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम इंटरनेट के लिए एक उन्नत अनुसंधान केंद्र है, ने अपने पहले क्रायोजेनिक क्वांटम नियंत्रण चिप के बारे में विवरण का अनावरण किया है जिसे 'हॉर्स रिज' कहा जाता है।
- 'हॉर्स रिज' चिप क्वांटम सिस्टम को क्वांटम व्यावहारिकता प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनाने में मूलभूत चुनौतियों को संबोधित करता है— स्केलेबिलिटी, लचीलापन एवं निष्ठा।
- 'हॉर्स रिज' विकसित करने में, इंटेल ने मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक को अनुकूलित किया है जो सिस्टम को स्केल करने एवं त्रुटियों को कम करने में सक्षम बनाता है।
- 'हॉर्स रिज' एक व्यापक आवृत्ति रेंज को कवर कर सकती है, जिससे दोनों सुपरकंडक्टिंग विविट्स (ट्रान्समॉन के रूप में जाना जाता है) एवं स्पिन विविट्स को नियंत्रित किया जा सकता है।

क्वांटम इंटरनेट (क्यूआई) –

एक क्यूआई कई एप्लिकेशन का समर्थन करता है, जो इस तथ्य से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं कि क्वांटम उलझी दुई क्वाइब बनाकर, सूचना दूरस्थ क्वांटम प्रोसेसर के बीच प्रेषित की जा सकती है। क्वांटम इंटरनेट के अधिकांश अनुप्रयोगों के लिए केवल बहुत मामूली क्वांटम प्रोसेसर की आवश्यकता होती है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग (क्यूसी) –

क्वांटम कंप्यूटिंग का अर्थ क्वांटम-यांत्रिक घटनाओं जैसे सुपरपोजिशन एवं एंटेंगलमेंट का उपयोग कर कम्प्यूटेशन करने से है। एक क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग ऐसी गणना करने के लिए किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक या भौतिक रूप से लागू किया जा सकता है।

चमगादड़ों एवं चमगादड़ों के शिकारियों पर अध्ययन की जांच

समाचार –

- सरकार ने नागलैंड में अपने शरीर में इबोला जैसे घातक वायरस के एंटीबॉडी रखने वाले चमगादड़ों एवं मनुष्यों पर अमेरिका, चीन एवं भारत के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन की जांच का आदेश दिया है।
- यह जांच ऐसे समय में की जा रही है जब चीन के नए कोरोनावायरस (nCoV) के प्रसार से दुनिया भर के लोग जूझ रहे हैं।
- यह जांच की जा रही है कि कैसे बिना अनुमति के अध्ययन के लिए चमगादड़ों एवं चमगादड़ के शिकारियों (मनुष्यों) के जीवित नमूनों तक पहुंच बिना अनुमति के प्राप्त की गई।
- यह अध्ययन जांच के दायरे में आया क्योंकि 12 शोधकर्ताओं में से दो बुहान इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग इंफेक्शन्स डिजीज के वायरोलॉजी विभाग के थे एवं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की रक्षा खतरा निवारण एजेंसी (DTRA) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उन्हें विदेशी संस्थाओं के रूप में विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
- नागलैंड में नागा जनजाति द्वारा एक वार्षिक अनुष्ठान में चमगादड़ काटा जाता है। अध्ययन ने अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर शोध किया।
- नागलैंड के अध्ययन से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में चमगादड़ फिलाओविरस की एक विविध श्रेणी के स्त्रोत के रूप में कार्य करते हैं, एवं इन चमगादड़ों के लिए मानव संपर्क के माध्यम से फिलाओविरस फैलता है।

डार्कनेट

समाचार –

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने देश के पहले डार्कनेट 'नशीले पदार्थों के संचालक' को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कथित तौर पर यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली दवाओं की आड़ में विदेशों में सैकड़ों मनोदैहिक ड्रग पार्सल भेज दिए थे।

- डार्कनेट उस गहरे छिपे हुए इंटरनेट प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से दूर रहने के लिए प्याज (ओनियन) राउटर (टीओआर) के गुप्त गलियों का उपयोग करके मादक पदार्थों की बिक्री, अश्लील सामग्री के आदान-प्रदान एवं अन्य अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के कारण, आपराधिक गतिविधियों की जांच के लिए डार्कनेट को तोड़ना बहुत कठिन माना जाता है।
- एनसीबी एक वैश्विक ऑपरेशन 'ट्रान्स' का हिस्सा था, जिसे दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय डाक, एक्सप्रेस मेल एवं कूरियर शिपमेंट जिसमें साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो कि शामक एवं दर्द निवारक के उपयोग किए जाते हैं पर की गई संयुक्त खुफिया कार्रवाई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो

- भारत सरकार द्वारा 1986 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत NCB का गठन किया गया था। यह गृह मंत्रालय के तहत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है।
- नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 नशीली दवाओं में अवैध ट्रैफिक से प्राप्त या उपयोग की गई संपत्ति के दंड का प्रावधान करता है।

बासमती चावल

समाचार –

- वैज्ञानिकों ने दो बासमती चावल की किस्मों के पूर्ण जीनोम का मानवित्रण किया है, जिसमें सूखा-सहिष्णु एवं जीवाणु रोग प्रतिरोधी किस्में भी शामिल है। जर्नल जीनोम बायोलॉजी में प्रकाशित निष्कर्ष यह भी बताते हैं कि बासमती चावल दो अन्य चावल समूहों का एक संकर है। शोधकर्ताओं ने दो बासमती चावल की किस्मों पर ध्यान केंद्रित किया—पाकिस्तान से बासमती 334, जिसे सूखा सहिष्णु एवं चावल—मारने वाले बैक्टीरिया के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, एवं ईरान से डोम सूफिड, एक सुगंधित सबसे अधिक महंगा चावल है।

विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी 2020 को मनाया गया।

- विज्ञान में महिलाओं एवं लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा अंतर सरकारी एजेंसियों एवं संस्थानों के साथ—साथ नागरिक समाज भागीदारों के साथ मिलकर मनाया जाता है।
- यह 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महिलाओं एवं लड़कियों के लिए विज्ञान में समान पहुंच एवं भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यूनेस्को द्वारा विज्ञान में महिलाओं पर तैयार की गई 2018 फैक्ट शीट के अनुसार, शोधकर्ताओं में सिर्फ 28.8 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसके अनुसार शोधकर्ता 'नए ज्ञान की अवधारणा या निर्माण में लगे पेशेवर' है। भारत में, यह प्रतिशत 13.9 प्रतिशत तक गिर जाता है।
- विज्ञान में महिलाओं के प्रवेश की समस्या सभी जगह एक समान नहीं है। शहरी या ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूल स्तर पर महिला छात्रों के बीच इंजीनियरिंग या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान जैसे विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किया जा सकता है।

डिकेडल पूर्वानुमान प्रणाली

समाचार —

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) जलवायु परिवर्तन सेवाओं (S6) में 6 ठें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में घोषित किए गए जलवायु समय के पैमाने पर बेहतर भविष्यवाणी सुनिश्चित करने के लिए, यूनाइटेड किंगडम की तर्ज पर एक डिकेडल पूर्वानुमान 'प्रणाली' की योजना बना रहा है।
- जलवायु परिवर्तन सेवाओं (ICCS 6) का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11–13 फरवरी 2020 तक पुणे में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन वर्तमान जलवायु पूर्वानुमान आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिकता के साथ एक नया विचार है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (ICCS), पुणे के साथ—साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) एवं अन्य संस्थाओं द्वारा इस प्रणाली की खोज एक शोध कार्यक्रम के रूप में की जाएगी।
- इस कार्यक्रम में गहरे जलवायु से निकलने वाले संकेतों का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए एक युग्मित जलवायु मॉडल का उपयोग किया जाएगा।
- एक बार सिस्टम स्थापित हो जाने के बाद, यह शुरू में राष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी के पूर्वानुमान के लिए कार्य करेगा एवं बाद में मॉडल को राज्य या जिला स्तर पर भी लागू किया जाएगा।

10 पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह

समाचार —

- 2019–20 के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश 2020–21 के दौरान 10 पृथ्वी अवलोकन (ईओ) उपग्रहों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या अंतरिक्ष में भेजेगा। जीआईएसएटी-1 के अलावा, एकल पीएसएलवी लांचर पर एक त्रिगुट के रूप में हाई रेजोल्यूशन एचआरएसएटी की एक नई श्रृंखला भी लॉन्च की जाएगी।
- आगामी ईओ उपग्रहों में रडार इमेजिंग उपग्रह रीसेट-टू बी आर टू रीसेट वन ए एवं टू ए, ओशनसैट-3 एवं रिसोर्ससैट-3 / 3 एस शामिल हैं।
 - रीसेट-टू बी आर टू अपने पूर्ववर्तियों रीसेट-टूबी एवं रीसेट-टूबी के साथ एक ट्रायड बेड़ा बनाएगा, जो जो एक दूसरे से लगभग 120 डिग्री दूर रहेंगे। वे अंतरिक्ष से सभी मौसम, दिन/रात इमेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में अवलोकन की आवृत्ति में वृद्धि करेंगे।

सुपरकैम

समाचार —

- नासा द्वारा 2020 में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले रोवर पर 7 उपकरणों के अलावा एक विशेष रोबोट भी होगा जिसे सुपरकैम नाम दिया गया है।
- सुपरकैम रोबोट का उपयोग लगभग 7 मीटर दूर से खनिज विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह वैज्ञानिकों को मंगल पर जीवाश्म माइक्रोबियल जीवन के संकेत खोजने में मदद कर सकता है।
- यह मंगल पर पाए जाने वाले नमूनों के बारीक पैमाने के खनिज विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं परमाणु एवं आणविक संरचना का निर्धारण करने के लिए दूरस्थ ऑप्टिकल माप एवं लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करता है।
- यह रोवर के मस्तूल से दूर से चट्टान के छोटे हिस्सों को वापिस करने के लिए एक स्पंदित लेजर बीम को बाहर निकालता है तथा मिशन की सफलता के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेता है। इसमें एक माइक्रोफोन भी शामिल होता है ताकि वैज्ञानिक हर बार लेजर के टारगेट को हिट करने पर उसकी आवाज सुन सकें।

- सुपरकैम उन चट्टानों की बनावट एवं रसायनों को देखता है जो बहुत पहले मंगल पर पानी के कारण गठित हुए हैं या उनमें पानी के कारण कोई परिवर्तन हुआ है।
- सुपरकैम विभिन्न चट्टानों एवं मिट्टी के प्रकारों को देखता है जो कि मंगल ग्रह पर पिछले माइक्रोबियल जीवन – यदि कोई अस्तित्व में था तो के संकेतों को संरक्षित कर सकते हैं।
- भविष्य के खोजकर्ताओं के लाभ के लिए, सुपरकैम यह पहचान करता है कि मंगल की धूल में कौन से तत्व मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
- वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि वायुमंडलीय अणु, जल बर्फ एवं धूल सौर विकिरण को कैसे अवशोषित या प्रतिबिंधित करते हैं। यह मंगल ग्रह के मौसम की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करता है।

यारा वायरस

समाचार –

- ब्राजील की एक झील में, शोधकर्ताओं ने एक वायरस की खोज की है जो उन्हें असामान्य एवं पेचीदा लगा इसे यारावायरस का नाम दिया गया है, इसकी उत्पत्ति गूढ़ एवं फिलेजनी है। यारा वायरस अमीबा को संक्रमित करता है एवं उसमें ऐसे जीन होते हैं जिन्हें पहले वर्णित नहीं किया गया है, कुछ ऐसा जो डीएनए वायरस के वर्गीकरण को चुनौती दे सकता है।
- शोधकर्ताओं ने यारावायरस को झील में अमीबा को संक्रमित करने वाले विशाल वायरसों को खोजते समय पाया। यारावायरस के छोटे आकार के कारण, यह अन्य विषाणुओं के विपरीत था जो अमीबा को संक्रमित करते थे एवं तभी से यह नाम तुपी-गुआरानी देशी जनजाति की पौराणिक कहानियों में यारा को 'पानी की माँ' को श्रद्धांजलि, देने के आधार पर दिया गया। ब्राजील के पौराणिक कथाओं में पानी की रानी का नाम भी 'यारा' है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, वायरस मानव कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करता है।

स्टार बेतेल्यूज

समाचार –

- यूरोपीय अंतरिक्ष संगठन (ईएसओ) वेरी लार्ज टेलीस्कोप (वीएलटी) का उपयोग करते हुए, खगोलविदों ने नक्षत्र ओरियन में बेतेल्यूज, एक लाल सुपरगायट सितारे (सूर्य से 20 गुना बड़ा) के अभूतपूर्व आकारण को देखा है।

- डिमिंग के साथ-साथ, वीएलटी पर वीआईएसआर उपकरण का उपयोग करते हुए सितारे की हाल की तस्वीरों के अनुसार, सितारे का आकार भी बदल रहा है। गोल दिखने के बजाय, स्टार अब अंडाकार प्रतीत होता है।
- बेतेल्यूज का जन्म लाखों साल पहले एक सुपर सितारे के रूप में हुआ था एवं पिछले छह महीनों के लिए 'नाटकीय' एवं 'रहस्यमय तरीके से' टिमिटिमा रहा है।
- बेतेल्यूज सबसे चमकदार सितारों की रैंक में दसवें स्थान पर है लेकिन दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह तक, इसकी चमक इतनी कम हो गई थी, कि स्टार को 21 वें सबसे चमकदार सितारे के रूप में स्थान दिया गया।
- सितारे की चमक इस वक्त अपनी पहले की चमक का लगभग 36 प्रतिशत है तथा इस बदलाव को नग्न आंखों से भी समझा जा सकता है।
- वीएलटी दुनिया का सबसे उन्नत ऑप्टिकल उपकरण है, जिसमें 8.2 मी व्यास एवं चार घूम सकने वाले 1.8 मीटर व्यास सहायक टेलीस्कोप के मुख्य दर्पण के साथ चार यूनिट टेलीस्कोप शामिल हैं।

हैबिटेबल-जोन प्लैनेट फाइंडर (एचपीएफ)

समाचार –

- हैबिटेबल-जोन प्लैनेट फाइंडर (एचपीएफ), एक खगोलीय उपकरण, ने पुष्टि की है कि केप्लर अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई वस्तु जी 9-40 बी नामक एक एक्सोप्लैनेट है। एक एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रासोलर ग्रह, सौर मंडल के बाहर का ग्रह होता है।
- पेन स्टेट टीम द्वारा डिजाइन किया गया उपकरण हाल ही में टेक्सास में मैकडोनाल्ड ऑब्जर्वेटरी में 10 मीटर हॉबी-एबरली टेलिस्कोप पर स्थापित किया गया, जो आस-पास के कम द्रव्यमान वाले सितारों से अवरक्त संकेतों की तारीख को उच्चतम सटीक माप प्रदान करता है, एवं खगोलविद संकेतों को दूषित करने की सभी संभावनाओं को छोड़कर इसका उपयोग बहुत उच्च स्तर की संभावना के उम्मीदवार ग्रह को मान्य करने के लिए करते हैं।
- जी 9-40 बी नामक ग्रह, पृथ्वी के आकार से लगभग दोगुना है, लेकिन संभवतः नेपच्यून के आकार के करीब है, एवं अपने कम द्रव्यमान वाले मेजबान तारे की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से केवल 100 प्रकाश वर्ष दूर है।

ऑनलाइन चेटबॉट आस्कदिशा

समाचार –

- इंटरनेट पर रेल यात्रियों के विभिन्न सेवाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए, भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्कदिशा चेटबॉट की सेवाओं की शुरुआत की।
- आस्कदिशा चेटबॉट शुरू में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था, लेकिन ग्राहक सेवाओं को और बढ़ाने एवं चेटबॉट की सेवाओं को और मजबूत करने के लिए, आईआरसीटीसी ने ग्राहकों को के लिए अब हिंदी में भी शुरू करने का निश्चय किया है।
- आईआरसीटीसी ने निकट भविष्य में कई अन्य अतिरिक्त विशेषताओं के साथ आस्कदिशा को अन्य भाषाओं में बनाने की योजना भी बनाई है।
- चेटबॉट एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के साथ वार्तालाप को अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है।

5 जी हैकाथॉन

समाचार –

- दूरसंचार विभाग ने सरकार, शिक्षा एवं उद्योग हितधारकों के साथ मिलकर 5जी हैकाथॉन लॉन्च किया है।
- 5 जी तकनीक गति, शिखर डेटा दर, विलंबता, स्पेक्ट्रम दक्षता एवं कनेक्शन घनत्व के मामले में 4 जी से कहीं अधिक उन्नत है।
- हैकाथॉन विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों एवं समाधानों में नए-नए विचारों को परिवर्तित करेगा एवं 5 जी के आसपास भारत के विशिष्ट उपयोग के मामलों को विकसित करेगा।
- 5 जी हैकथॉन भारत एवं एनआरआई में डेवलपर्स, छात्रों, स्टार्ट-अप, एसएमई, शैक्षणिक संस्थानों एवं पंजीकृत कंपनियों के लिए खुला है। हितधारक भारतीय संदर्भ में 5 जी नेटवर्क के उपयोग के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों या एक टीम के रूप में भाग ले सकते हैं।

हेनेगुया सल्मिनिकोला

समाचार –

- हेनेगुया सल्मिनिकोला नामक एक जानवर जिसे अपने अस्तित्व के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
- हेनेगुया सैलमिनिकोला एक छोटा, 10-सेल परजीवी से कम है जो सैल्मन मछली की मांसपेशियों में रहता है एवं इसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं होता है।
- माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का 'पावरहाउस' होता है, जो ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। इसकी अनुपस्थिति इंगित करती है कि परजीवी ऑक्सीजन में सांस नहीं लेता है।
- यह जेलीफिश एवं कोरल का एक रिश्तेदार है एवं जिस तरह यह विकसित हुआ, इसने सांस लेने एवं ऑक्सीजन का सेवन छोड़ दिया या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अवायवीय बन गया।
- हालांकि, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट नहीं किया है कि परजीवी ऊर्जा कैसे उत्पन्न करता है। यह आस-पास की मछली कोशिकाओं से इसे खींच सकता है या इसमें एक अलग प्रकार की श्वसन हो सकती है जैसे कि ऑक्सीजन-मुक्त श्वास, जो आम तौर पर कवक, अमीबा या सिलिअट लिनेगेस जैसे अवायवीय गैर-पशु जीवों की विशेषता है।
- एरोबिक श्वसन को जानवरों में प्रचलित माना जाता था लेकिन अब यह पुष्टि हो गई है कि जानवर एनारोबिक श्वसन के साथ जीवित रह सकते हैं।

भूगोल एवं पर्यावरण

क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेटथुनबेर्ग

समाचार –

- वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में ब्रुनेई में भूमि धोंधा की एक नई प्रजाति की खोज की है।
- नई प्रजातियाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती हैं एवं सूखे (जो जलवायु परिवर्तन के कारण अक्सर होने लगे हैं) एवं अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील हैं।
- स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, ग्रेटा थुनबर्ग के सम्मान में, जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही हैं, नई धोंधा प्रजातियों को क्रैसेपोट्रोपिस ग्रेटथुनबेर्ग के रूप में नामित किया गया है।

14 कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को नोटिस भेजे गए

समाचार –

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने की समय सीमा का पालन नहीं करने के लिए 14 थर्मल पावर प्लांटों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं।
- थर्मल पावर प्लांटों से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के लिए, भारत ने चरणबद्ध दृष्टिकोण रखा है जो कोयले से चलने वाली इकाइयों को निर्देश देता है कि वे दिसंबर 2022 तक प्रदूषण को सीमित करने के उपाय करें।
- लेकिन दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित कारखानों को 31 दिसंबर, 2019 तक इन उपायों का पालन करना था क्योंकि शहर के साथ-साथ आसपास के राज्यों में वायु की गुणवत्ता खराब थी। कुछ इकाइयों ने फ्लू-गैस डिसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी (सल्फर डाइऑक्साइड को जीवाश्म-ईंधन बिजली संयंत्रों के निकास गूँगैसों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है।
- सीपीसीबी के पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कठोर जुर्माना लगाने या किसी इकाई को बंद करने की शक्ति है।

- सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के अनुमानों के अनुसार, ये वर्तमान पर्यावरणीय मानदंडों के आधार पर 2026–27 तक पीएम उत्सर्जन को लगभग 35 प्रतिशत, NO₂ उत्सर्जन में लगभग 70 प्रतिशत एवं SO₂ उत्सर्जन को 85 प्रतिशत से अधिक घटा सकते हैं।

कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

समाचार –

- इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी) के अनुसार, जलवायु परिवर्तन 2030 तक 100 मिलियन लोगों को गरीबी की खाई में धकेल देगा। इनमें से लगभग आधे लोगों पर प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण होगा।
- वैश्विक विकास एवं दुनिया भर के सरकारी प्रतिनिधियों ने IFAD की 43 वीं गवर्निंग काउंसिल की 12 फरवरी 2020 को रोम में बैठक के दौरान जलवायु आपातकाल के कारण उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति से बचने के लिए ग्रामीण विकास पर अधिक खर्च करने की अपील की।
- 2018 में, आपदाओं से विस्थापित 17.2 मिलियन लोगों में से 90 प्रतिशत मौसम एवं जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण थे।
- अकेले अफ्रीका में, 2018 एवं 2019 के बीच संघर्षों में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे भूख एवं गरीबी में वृद्धि हुई है।

विश्व की सबसे बड़ी केव फिश मेघालय में पाई गई

समाचार –

- मेघालय की जैतिया हिल्स में एक दूरदराज की गुफा में दुनिया की सबसे बड़ी केव फिश जिसकी लंबाई लगभग लंबाई 40 सेंटीमीटर या डेढ़ फीट के आसपास है, पाई गई है।
- मछली, गोल्डन माहेर से संबंधित है, लेकिन उसकी कोई आंख नहीं है एवं मेलेनिन रंजकता की कमी के कारण यह सफेद रंग की है।
- पृथ्वी की सतह के नीचे मछलियों की 250 ज्ञात प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि वे पोषक-तत्व-सीमित वातावरण में रहते हैं इसलिए इनमें से अधिकांश प्रजातियाँ छोटी होती हैं— उनमें से 195 प्रजातियों की लंबाई 8.5 सेमी तक होती है। केवल दो प्रजातियाँ, जो 30 सेमी से अधिक हैं, इल जैसी हैं एवं बहुत पतले शरीर की हैं।
- मेघालय में गुफाओं का विस्तृत नेटवर्क है।

- शोधकर्ताओं को 1998 में भी इसी तरह की मछली मिली थी, जो वर्तमान स्थान से 8 किमी दूर स्थित एक गुफा के अंदर है।
- कई मछलियाँ गुफा के अंदर गहरे स्थित छोटे पूलों में पाई गईं। इस बात के प्रमाण थे कि बरसात के दौरान गुफाएँ भर जाती हैं।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि मछली बड़े एवं नियमित भोजन की आपूर्ति के कारण आकार में भारी होती है, सतह वनस्पति के साथ बारिश के मौसम में प्रवेश द्वारा के माध्यम से गुफा में प्रवेश करती है। गुफा में ऐसी ही सैकड़ों मछलियां दिखाई दीं हैं।

आरओ सिस्टम

समाचार –

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है जो यदि उपयोगकर्ताओं के घरों में पानी की आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो से मिलती है, तो उनको प्रभावी रूप से डिल्ली-आधारित जल शोधन, मुख्य रूप से रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) स्थापित करने से रोकती है।
- रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तरल पदार्थों के दबाव के आधार पर एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो दूषित पानी से दूषित पदार्थों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- स्त्रोत से अनपेक्षित पानी को एक कंटेनर में डाला जाता है एवं पानी पर दबाव डाला जाता है। इस दबाव वाले पानी को अर्ध-पारगम्य डिल्ली के माध्यम से प्रवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- डिल्ली केवल एक निश्चित आकार के अणुओं को डिल्ली के दूसरी तरफ प्रवाह करने की अनुमति देती है जहाँ शुद्ध पानी प्राप्त होता है।
- जो अणु फंस जाते हैं एवं डिल्ली के माध्यम से नहीं जा सकते हैं वे विभिन्न अशुद्धियों जैसे कि भंग नमक, खनिज, कण, कोलाइड, ऑर्गेनिक्स एवं बैक्टीरिया आदि होते हैं।
- बाहरी दबाव बनाने के लिए, आरओ पंप एवं इलेक्ट्रिक मोटर्स पर निर्भर करता है। यह 'सक्रिय कार्बन' घटकों का उपयोग करता है, जैसे लकड़ी का कोयला एवं कार्बन ब्लैक जो फिल्टर कर सकते हैं।

आरओ की समस्या –

- इस प्रणाली से सफाई के कई चरणों में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है एवं इसलिए, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने में शहरों एवं सरकार ने जिन चुनौतियों का सामना किया है, उसे देखते हुए, पर्यावरणवादी समूहों ने दिल्ली में आरओ सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आश्वस्त किया है।
- आरओ के साथ एक और चिंता यह है कि यह कैल्शियम, जस्ता, मैग्नीशियम को भी छानता है, जो शरीर के लिए आवश्यक लवण हैं। समय के साथ ऐसा पानी पीना हानिकारक हो सकता है।
- औसत आरओ सिस्टम का उद्देश्य केवल कुल भंग समाधान को कम करना है, यह सुनिश्चित करना कि पानी गंधीन ना हो एवं 6.5–8.5 से पीएच की रेंज में हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) ने दावा किया कि अधिकांश नियंत्रित विधियों ने हेपेटाइटिस ई वायरस को खत्म नहीं किया है। नियंत्रित सिस्टम का एक संयोजन अधिकांश दूषित पदार्थों को समाप्त कर सकता है।
- लेकिन आरओ सिस्टम के विरोधियों का कहना है कि इससे लागत बढ़ती है एवं देश के अधिकांश हिस्से को स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने के लिए सार्वजनिक वित्त पोषित जल वितरण प्रणाली के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है जो ऐसी प्रणालियों को खराब कर सकता है।

जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13 वां सम्मेलन (सीओपी) 13

समाचार –

- भारत ने गुजरात के गांधीनगर में जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (सीएमएस) पर सम्मेलन के 13 वें सम्मेलन (सीओपी) की मेजबानी की। भारत ने 17 फरवरी 2020 को इसकी प्रेसिडेंसी का पद संभाला। इससे पहले, फिलीपींस द्वारा सीओपी की अध्यक्षता की गई थी। अब, भारत 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा।
- सीएमएस सीओपी –13 के पहले, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पारिस्थितिक तंत्र, आवास, एवियन विविधता एवं परिदृश्य के संरक्षण के लिए एक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य योजना (2020–2030) शुरू की है।

- जीआईबी, एशियाई हाथी एवं बंगाल फ्लोरिकन को 'लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के कन्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के तहत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वैश्विक सूची में जोड़ा गया।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की पर्यावरण संधि के रूप में, सीएमएस प्रवासी जानवरों एवं उनके आवासों के संरक्षण एवं स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। CMS को बॉन कन्वेशन भी कहा जाता है।
- जंगली प्रजातियों के संरक्षण का सीएमएस एकमात्र सम्मेलन है।
- सीएमएस सीओपी 13 का विषय— 'माइग्रेटिंग स्पीशीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम'।
- सीएमएस सीओपी 13 का लोगो दक्षिणी भारत का पारंपरिक 'कोल्लम', जिसका प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने के संदर्भ में गहरा महत्व है, से प्रेरित है।
- भारत, 1983 से सीएमएस का सदस्य है। उसने साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डगोंग्स (2008) एवं रैप्टर (2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर सीएमएस के साथ गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीओपी इस सम्मेलन का निर्णायक अंग है।

स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिपोर्ट

- रिपोर्ट सीओपी 13 के दौरान जारी की गई थी, जिसके अनुसार, पिछले कुछ दशकों में भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारतीय मोर/मोर की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जबकि गिरद्वां एवं चीलों की संख्या में कमी आई है।
- इसमें देश भर से कम से कम 15,500 बर्डवॉर्चर्स द्वारा योगदान किए गए डेटाबेस का उपयोग करते हुए 867 भारतीय पक्षी प्रजातियों को शामिल किया गया है एवं वितरण एवं रुझानों का आकलन करने के लिए 'नागरिक विज्ञान डेटा' का उपयोग किया है।
- यह हिसाब लगाया कि इस अवधि में 50 प्रतिशत अन्य भारतीय प्रजातियों में गिरावट आई है।
- रिपोर्ट उन प्रजातियों की पहचान करती है जो संरक्षण चिंता में उच्च हैं, एवं जो अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। विश्लेषण बताता है कि 48 प्रतिशत प्रजातियां स्थिर बनी हुई हैं या पिछले पांच वर्षों में दीर्घावधि में बढ़ रही हैं।

- सभी में, 101 प्रजातियों को उच्च संरक्षण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- सबसे बड़ी गिरावट दिखाने वाले समूह रैप्टर, प्रवासी शोरेरेबड़स, एवं वास विशेषज्ञ हैं, जिनमें व्हाइट-रूम्ड वल्वर, रिचर्ड पिपिट, इंडियन वल्वर, लार्ज-बिल लीफ वार्बलर, पैसिफिक प्लोवर एवं कर्ल सैंडपाइपर शामिल हैं।
- जिन प्रजातियों ने पिछले 25 वर्षों में वृद्धि दिखाई है उनमें रोजी स्टार्लिंग, फेरल कबूतर, ग्लॉसी इबिस, प्लेन प्रिंया एवं एश प्रिंया शामिल हैं।
- भारत में बस्टर्ड की चार प्रजातियां – ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैककेन के बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एवं बंगाल फ्लोरिकन – ऐतिहासिक शिकार एवं व्यापक निवास नुकसान की वजह से सभी को लगातार जनसंख्या गिरावट का सामना करना पड़ा है, जो उनकी धीमी वृद्धि एवं प्रजनन के साथ मिश्रित है।
- उनमें से सबसे बड़े, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) को IUCN रेड लिस्ट 2019 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं इसे 13 वें COP में CMS सूची में शामिल किया गया है।
- इस विश्लेषण में शामिल पश्चिमी घाट के 12 स्थानीय प्रजातियां वर्ष 2000 की तुलना में 75 प्रतिशत कम हैं, जो एक दीर्घकालिक गिरावट का संकेत है।
- यह चिंताजनक है, क्योंकि ये दीर्घकालिक गिरावट क्रिमसन समर्थित सनबर्ड एवं येलो-ब्रो बुलबुल जैसी कई सामान्य प्रजातियों में भी हुई है।

विषैली हवा – जीवाश्म ईंधन को उपयोग करने की कीमत

समाचार –

- रिपोर्ट, विषाक्त वायु – जीवाश्म ईंधन की कीमत ग्रीनपीस द्वारा जारी की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण एक दिन में \$8 बिलियन का आर्थिक नुकसान कर रहा है।
- पहली बार, ग्रीनपीस दक्षिण पूर्व एशिया एवं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण की वैश्विक लागत को निर्धारित किया है।
- यह 2018 में जीवाश्म ईंधन से वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव का वैश्विक मूल्यांकन प्रदान करता है।

- अध्ययन निम्नलिखित प्रदूषकों तक सीमित है— सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम 2.5), ओजोन (ओ 3) एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ 2), एवं केवल वह प्रदूषण जो जीवाश्म ईंधन दहन (कोयला, तेल एवं गैस) द्वारा उत्सर्जित होता है।
- भारत में, जीवाश्म ईंधन के संपर्क में आने से भी लगभग 490 मिलियन कार्यदिवस का नुकसान होता है।
- रिपोर्ट भारत में बच्चे के अस्थमा के लगभग 3,50,000 नए मामलों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जोड़ती है। इसके परिणामस्वरूप, भारत में 1.28 मिलियन अधिक बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं जिसका सीधा संबंध जीवाश्म ईंधन से है।
- PM 2.5 दिल्ली सहित उत्तरी भारतीय शहरों में प्रमुख प्रदूषकों में से एक है। जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले प्रदूषण के कारण विश्व भर में 20 लाख से अधिक जन्म समय से पहले पैदा होते हैं जिसमें से भारत में 9,81,000 ऐसे जन्म शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष —

स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का प्रभाव

- एक वायु प्रदूषक, जैसे कि PM2.5, NO₂ या ओजोन के संपर्क में, इस्केमिक हृदय रोग (IHD), क्रॉनिक ऑक्सिट्रिकिटव पल्मोनरी डिजीज (COPD), फेफड़े के कैंसर, कम श्वसन संक्रमण, टाइप II डायबिटीज आदि बीमारियों की बढ़ती घटनाओं से जुड़ा है।
- वायु प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य प्रभाव उपचार की लागत, स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन एवं कार्य अनुपस्थिति के माध्यम से आर्थिक लागत उत्पन्न करते हैं।

PM 2.5 का बोझ —

- PM 2.5 वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
- विश्व स्तर पर, वायु प्रदूषण के कारण हर साल 4.5 मिलियन समय से पहले मौत का अनुमान है।
- इसमें वैश्विक स्तर पर PM 2.5 के कारण 3 मिलियन मौतें शामिल हैं।
- PM 2.5 से प्रदूषण की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत खर्च होता है जबकि O₃ एवं NO₂ से प्रदूषण, प्रत्येक लागत वैश्विक GDP के 0.4 प्रतिशत के बराबर है।

वायु प्रदूषण की आर्थिक लागत

- जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की अनुमानित वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है, जो अमेरिका के बराबर है जहां प्रति दिन \$ 8 बिलियन खर्च एवं 12,000 समय से पहले मौतें होती हैं।
- चीन, अमेरिका एवं भारत एक वर्ष में अनुमानित \$900 बिलियन, \$600 बिलियन एवं \$150 बिलियन (5.4 प्रतिशत भारत की जीडीपी), प्रदूषण की उच्चतम आर्थिक लागत वहन करते हैं।

पर्यावरणीय मंजूरी

समाचार —

- पर्यावरण मंत्रालय ने तेल एवं गैस फर्मों को खोजपूर्ण ड्रिलिंग कार्यों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेने से छूट दी है।
- मंत्रालय द्वारा पारित आदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 में संशोधन करता है।
- इसने तेल एवं गैस की खोज गतिविधियों को सूची से हटा दिया है, भले ही वे पर्यावरण को प्रभावित करने वाली विधियों जैसे भूकंपीय परीक्षण एवं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (जैसे ट्रेकिंग) का उपयोग करते हैं।
- परियोजना एवं EIA रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणियों का परीक्षण।
- मंजूरी ऑन-शोर निकासी एवं अपतटीय ड्रिलिंग अन्वेषण दोनों के लिए है एवं प्रक्रिया पारिस्थितिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला अभ्यास है जिसमें कई कुओं को खोदना एवं भूकंपीय सर्वेक्षण अपतटीय का संचालन करना शामिल है।

भारतीय पैंगोलिन

समाचार –

- मध्य प्रदेश के वन विभाग ने पहली बार एक भारतीय पैंगोलिन (*Manis crassicaudata*) को इसकी पारिस्थितिकी जानने एवं इसके लिए एक प्रभावी संरक्षण योजना विकसित करने के लिए रेडियो-टैग किया है।
- यह कदम 15 फरवरी 2020 को 'विश्व पैंगोलिन दिवस' से लागू किया जाएगा।
- भारतीय पैंगोलिन, जो एक एंट-ईंटर (चींटी खाने वाले प्राणी) जैसा दिखता है, जिसकी मोटी पपड़ीदार त्वचा होती है, का मांस के लिए शिकार किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- शोधकर्ताओं का कहना है कि जानवर को टैग करने से पुनरावर्ती, निशाचर जानवर की आदतों को समझने में मदद मिलेगी।
- रेडियो-टैगिंग में किसी जानवर को अपनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रांसमीटर संलग्न करना शामिल है। कई जंगली जानवरों – बाघों, तेंदुओं एवं प्रवासी पक्षियों को दशकों से टैग किया गया है।
- रेडियो-टैगिंग विभाग एवं गैर-लाभकारी, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट (WCT) द्वारा एक संयुक्त परियोजना का हिस्सा है जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा प्रजातियों की निगरानी भी शामिल है।
- यह नई पहल जंगल में इन प्रजातियों की बेहतर उत्तरजीविता दर को सुनिश्चित करेगी एवं इस प्रकार इस लुप्तप्राय प्रजाति की आबादी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

पैंगोलिन

- भारत, पैंगोलिन की दो प्रजातियों का घर है। जबकि चीनी पैंगोलिन (*Manis pentadactyla*) पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, भारतीय पैंगोलिन का देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ श्रीलंका, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है।
- ये दोनों प्रजातियाँ संरक्षित हैं एवं वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची भाग I के तहत सूचीबद्ध हैं एवं लुप्तप्राय प्रजातियों (सी आय टी ई एस) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्चेंशन के परिशिष्ट I के तहत सूचीबद्ध हैं।

- विश्व पैंगोलिन दिवस, फरवरी के तीसरे शनिवार को पैंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं हितधारकों को एकजुट करने में मदद करने के अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है।

प्लास्टिक पैकेजिंग प्रदूषण

समाचार –

- वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की एक नई रिपोर्ट में छह तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं – चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एवं वियतनाम में प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट को जर्मन कंसल्टेंसी जीवीएम द्वारा कमीशन किया गया था, जो पैकेजिंग मार्केट में विशेषज्ञ है।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि निम्न-आय वाले देशों के कचरे का 93 प्रतिशत उच्च आय वाले देशों की तुलना में 4 प्रतिशत कम है।
- विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं पैकेजिंग, प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ाते हैं। वैश्विक स्तर पर, प्लास्टिक का 36 प्रतिशत उपयोग पैकेजिंग के लिए होता है एवं इसका एक तिहाई से अधिक भाग पर्यावरण में होता है।
- रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए छह देशों में से, मलेशिया की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक पैकेजिंग की खपत सबसे अधिक 16.78 किलोग्राम है। इसके बाद थाईलैंड (15.52), चीन (14.08), वियतनाम (12.93), इंडोनेशिया (12.5) एवं फिलीपींस (12.4) का स्थान आता है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि 60 प्रतिशत समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण इन देशों में उत्पन्न होता है एवं 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल महासागरों में प्रवेश करता है।
- इसने 2010 से 2050 के बीच प्लास्टिक पैकेजिंग में 300 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पार्क

- माधव राष्ट्रीय उद्यान की भूमि का अतिक्रमण अनियंत्रित रूप से जारी है, हालांकि भूमि को एक बाघ गलियारे के लिए रास्ता बनाने के लिए आवंटित किया गया था।
- माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश में स्थित है।

- यह ऊपरी विध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। 1959 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। जंगल बाघों, तेंदुओं, नीलगायों, चिंकारा (गजेला बेनेट्टी), चूसिंगा (टेट्रासेरस क्वाड्रिसोर्निस) तथा अन्य जानवरों के साथ हिरणों की प्रजातियाँ (चीतल, सांबर एवं बार्किंग डीयर) तथा सहरिया जैसे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) का घर हैं।

गुवाहाटी में शहरी छिपकली की नई प्रजाति मिली

समाचार —

- पूर्वोत्तर का सबसे बड़े शहर, गुवाहाटी में शहरी छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंट-टोऐड गेको मिली है।
- छिपकली की नई प्रजाति, जिसे साइरटोडैक्टाइलस अर्बन नाम दिया गया है, स्पष्ट रूप से, साइरटोडैक्टाइलस गुवाहाटीन्सिस, या गुवाहाटी बैंट-टोऐड गेको से अलग है, जिसे दो साल पहले खोजा गया था।
- यह पूर्वोत्तर से प्राप्त 12 वां नई छिपकली की प्रजाति है है।
- पूर्वोत्तर भारत के सभी बैंट-टोऐड गेको को एक ही प्रजाति का माना जाता था, सिरोटोडैक्टाइलस खासीनेसिस मुख्य रूप से मेघालय की खासी पहाड़ियों में पाया जाता है।
- हालांकि अर्बन बैंट-टोऐड गेको खासीनेसिस समूह के भीतर आता है, यह इस समूह के अन्य सदस्यों से माइटोकॉन्फ्रियल अनुक्रम डेटा के साथ—साथ आकृति विज्ञान के पहलुओं में भिन्न होता है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2

समाचार —

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024–25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी), के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है।
- उद्देश्य— एसबीएम (जी) खुले में शौच मुक्त प्लस (ओपन डिफेक्शन फ्री – ओडीएफ प्लस) पर केंद्रित होगा, जिसमें ओडीएफ स्थिरता एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) शामिल है। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा कि कोई भी पीछे न रहे एवं सभी लोग शौचालय का उपयोग करें।
 - ओडीएफ प्लस कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण करेगा, एवं नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन का पूरक होगा।

- कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा कि कोई भी पीछे न रहे एवं हर कोई शौचालय का उपयोग करे।

- वित्तपोषण के विभिन्न कार्य —** एसबीएम (जी) चरण— II को 2020–21 से 2024–25 तक मिशन मोड के रूप में के 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इसमें से 52,497 करोड़ रुपये का आवंटन पैयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट से किया जाएगा, जबकि शेष राशि 15 वें वित्त आयोग, एमजीएनआरईजीएस एवं राजस्व उत्पादन मॉडल के तहत विशेष रूप से ठोस एवं तरल प्रबंधन प्रबंधन के लिए जारी किए गए धन से दिया जाएगा।
- फंड शेयरिंग पैटर्न —** इस कार्यक्रम को परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच फंड का शेयरिंग पैटर्न पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों एवं जम्मू-कश्मीर से केंद्र के प्रति 90:10 होगा। अन्य राज्यों के लिए यह 60:40 होगा तथा अन्य संघ शासित प्रदेशों के सभी घटकों के लिए 100:0 होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

उत्तरी यूरोपीय पर्यावरण बांध (नॉर्डन यूरोपीय एनवायरमेंट डेम – एनईईडी)

समाचार —

- वैज्ञानिकों ने 637 किमी की संयुक्त लंबाई के दो बांधों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है — पहला उत्तरी स्कॉटलैंड एवं पश्चिमी नॉर्वे के बीच, 476 किमी की माप, 121 मीटर की औसत गहराई एवं 321 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ तथा दूसरा, फ्रांस एवं दक्षिण—पश्चिमी इंग्लैंड के बीच, 161 किमी की माप, 85 मीटर की औसत गहराई तथा 102 मीटर की अधिकतम गहराई के साथ।
- दूसरे शब्दों में, उन्होंने उत्तरी यूरोपीय देशों को समुद्र—स्तरीय वृद्धि (एसएलआर) से बचाने के लिए सभी उत्तरी समुद्र को घेरने के लिए एनईईडी के निर्माण का प्रस्ताव दिया है।
- इस प्रकार यह बांध एसएलआर से उत्तरी यूरोपीय देशों की रक्षा तथा उत्तरी एवं बाल्टिक समुद्र को अटलांटिक महासागर से अलग करेंगे।

मालदीव—भारत संबंध

समाचार —

- मालदीव के गृह मंत्री श्री शेख इमरान अब्दुल्ला ने भारतीय समकक्ष से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन सहयोग के क्षेत्र में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की।
- प्रवर्तन निदेशालय मालदीव को स्वयं की तरह की एक जांच एजेंसी स्थापित करने में मदद करेगा एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर द्वीप राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगा।
- दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत एवं मालदीव के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार का स्वागत किया जिसमें पुलिसिंग एवं कानून प्रवर्तन, आतंकवाद निरोधी, प्रति—कट्टरता, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

भारत—दक्षिण कोरिया संबंध

समाचार —

- भारतीय रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य (रिपब्लिक ऑफ कोरिया — आरओके) के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने रक्षा उद्योग एवं अनुसंधान एवं विकास में द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग एवं सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
- बैठक के बाद भारत एवं आरओके के बीच रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोडमैप का भी आदान—प्रदान किया गया। रोडमैप अनुसंधान एवं विकास सहित सहयोग के कई संभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करता है। यह उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश को भी बढ़ावा देता है।
- दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का भी आदान—प्रदान किया।

भूटान—भारत संबंध

समाचार —

- भूटान सरकार ने नेशनल असेंबली में 'भूटान के लेविस एंड एकजम्पशन बिल', 2020 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार, भूटान जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए दशकों से उपलब्ध मुफ्त प्रवेश की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है।
- थिम्पू में सरकार ने भारत, मालदीव एवं बांग्लादेश से आए पर्यटकों पर दैनिक 1200 रूपये (\$17) शुल्क लगाने का फैसला किया है जिसकी शुरुआत जुलाई 2020 से की जाएगी।
- शुल्क, को सतत विकास शुल्क (एसडीएफ) नाम दिया गया है तथा यह पर्यटकों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए है।

मालदीव राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया

समाचार —

- मालदीव 54 वें सदस्य के रूप में, तीन साल से अधिक समय के बाद, राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया, हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र ने अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की बढ़ती आलोचना के बीच संघ छोड़ दिया था।
- पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के विवादास्पद निष्कासन पर 2012 में देश को दंडित करने के समूह के निर्णय के कारण मालदीव ने राष्ट्रमंडल को 2016 में 'अन्यायपूर्ण' करार दिया था।

भारत—रूस संबंध

समाचार —

- पांचवां भारत—रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में डीआईएफ एक्सपो 2020 (5 से 9 फरवरी 2020) के साथ आयोजित किया गया था।
- रक्षा उपकरणों की एक शृंखला विकसित तथा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत इस सम्मेलन के दौरान भारतीय एवं रूसी कंपनियों के बीच 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- ज्ञापन अलग—अलग रक्षा उपकरणों के उत्पादन से संबंधित थे जैसे कि टी-72, टी-90 टैंक के कुछ हिस्सों, रडार सिस्टम, एंटी सबमरीन वैपन (एएसडब्ल्यू) रॉकेट लांचर एवं 3 डी मॉडलिंग।

- रूसी मूल के हथियारों एवं रक्षा उपकरणों से संबंधित आपसी सहयोग के लिए 2018 में भारत में पुर्जों के संयुक्त निर्माण पर अंतर सरकारी समझौते (IGA) के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ज्ञापन प्रमुख रूप से निम्न बिंदुओं पर केंद्रित हैं—
 - रिमोट सेंसिंग के लिए छोटे अंतरिक्ष यान का विकास, उत्पादन एवं निर्माण।
 - एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जैसे तुंगुस्का, कवादराट, आदि के साथ—साथ शिल्का स्व—चालित वायु रक्षा बंदूक प्रणाली, के विभिन्न उप—प्रणालियों के उत्पादन के लिए भारत में एक संयुक्त उद्यम की स्थापना।
 - मिसाइलों का नवीनीकरण एवं जीवन विस्तार।

भारत—पुर्तगाल संबंध

समाचार —

- पुर्तगाली राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने 13 से 16 फरवरी, 2020 तक भारत का दौरा किया। भारत एवं पुर्तगाल ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह संधि निवेश, परिवहन, बंदरगाहों, संस्कृति एवं औद्योगिक एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करती है।
- समझौतों में से एक में लोथल, गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय विरासत परिसर की स्थापना में सहयोग शामिल है। पुर्तगाल ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को मनाने में मदद देने देने का वचन दिया है।
- द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक संबंधों की सरगम की समीक्षा करने के लिए भारत में भारत—पुर्तगाल संयुक्त आर्थिक समिति का अगला सत्र जल्द ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। पुर्तगाल निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर गढ़बंधन में भी शामिल हो सकता है।
- जून 2017 में भी 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव, नैनो—प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं उच्च शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया था।

भारत—आइसलैंड

समाचार —

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं आइसलैंड के बीच स्थायी मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अपनी स्वीकृति दी।

- एमओयू भारत एवं आइसलैंड के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करेगा एवं द्विपक्षीय मुद्दों पर परामर्श सहित मत्स्य पालन पर परामर्श एवं सहयोग बढ़ाएगा।
- संधि के अनुसार, वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के आदान—प्रदान एवं उनके उचित स्थान के लिए सुविधाओं का प्रावधान है, विशेष रूप से अपतटीय एवं गहरे समुद्र के क्षेत्रों में कुल स्वीकार्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों का अनुमान लगाने में।
- विभिन्न प्रबंधन पहलुओं में प्रमुख संस्थानों से मत्स्य पालन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान है।

भारत—रूस संबंध

समाचार —

- इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसीएल) एवं रोसनेपट के बीच वर्ष 2020 में पहली बार यूराल्स ग्रेड कच्चे तेल के 2 मिलियन मीट्रिक टन आयात करने का टर्म कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित किया गया है।
- अनुबंध के तहत लाए जाने वाले कच्चे तेल को रूस के नोवोरोसियस्क बंदरगाह पर स्वेजमेक्स जहाजों में लोड किया जाएगा एवं होर्मुज जलसंधि को दरकिनार करते हुए भारत लाया जाएगा।
- यह भारत एवं रूस के बीच पहला वार्षिक तेल खरीद सौदा है।
- दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल की सोर्सिंग, गैर—ओपेक देशों से देश के कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधता लाने के लिए भारत की रणनीति का हिस्सा है, एवं हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए पांच साल के रोडमैप का एक हिस्सा है जिसे सितंबर 2018 में पीएम मोदी की व्लादिवोस्तोक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत के सबसे बड़े रिफाइनर द्वारा कच्चे तेल के आयात के एक नए स्रोत के रूप में रूस को शामिल किए जाने के दुरगमी परिणाम होंगे तथा इससे भू—राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न जोखिम भी कम होंगे।

श्री लंका—भारत संबंध

समाचार —

- श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने फरवरी 2020 में भारत की यात्रा की।
- इस यात्रा ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। इसने संबंधों की भावी दिशा के बारे में व्यापक सवालों पर भी ध्यान दिया।
- भारत के लिए 'पड़ोस पहले' दृष्टिकोण एवं 'सागर सिद्धांत' के अनुरूप श्रीलंका के साथ संबंधों की 'एक विशेष प्राथमिकता' है, जो स्वागत योग्य कदम है।
- इस बैठक के दौरान, भारत ने श्रीलंका में तमिलों के सामंजस्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर श्रीलंका में विश्वास व्यक्त किया। इसने श्रीलंका में समानता, न्याय, शांति एवं सम्मान के लिए तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करने का भी अनुरोध किया है।
- दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र एवं यहां तक कि भारत—प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं समुद्धि के लिए घनिष्ठ सहयोग प्रदान करने पर सहमत हुए।
- दोनों ने श्रीलंका द्वारा झेले जा रहे 'ऋण जाल' का मुकाबला करने पर भी चर्चा की।
- दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के बीच संपर्क एवं सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखा।
- श्रीलंका ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की तकनीक के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है जो लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा।
- श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है, जिससे पाक जलसंधि में मत्स्य संघर्ष का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।
- श्रीलंका ने भारत से उत्तर एवं पूर्व में अधिक घर बनाने का भी अनुरोध किया है।
- श्रीलंका के प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, बोधगया में महा बोधि मंदिर एवं तिरुपति मंदिर (आंध्र प्रदेश) भी गए।

'लखनऊ घोषणा'

समाचार —

- 6 फरवरी 2020 को लखनऊ में आयोजित पहले भारत—अफ्रीका रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, डेक्स्टपो—2020 (5 से 9 फरवरी, 2020) में, 'लखनऊ घोषणा' की गई।

- भारतीय रक्षा मंत्री, 12 अफ्रीकी देशों के उनके समकक्ष तथा 38 अन्य अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में शिरकत की।

आतंक

- क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ा खतरा है, दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं ने सबसे मजबूत शब्दों में इसकी निंदा की एवं स्वीकार किया कि यह क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।
- दोनों ने सभी देशों से अपने सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों में उपस्थित आतंकवाद, आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों एवं बुनियादी ढांचे में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने, आतंकवादियों के नेटवर्क को बाधित करने एवं वित्तपोषण चैनलों को समाप्त करने एवं सीमा पार आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया।
- उन्होंने आतंकवाद एवं हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सूचना एवं खुफिया जानकारी को साझा करना शामिल था।
- सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कार्यक्रम को अपनाने की परिकल्पना करने एवं संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद को मजबूत करने का आग्रह एवं आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आवान भी किया गया है।

इंडो-पैसिफिक एवं सागर

- घोषणा में यह भी कहा गया है कि सभी सदस्य देश भारत एवं अफ्रीका के बीच इंडो-पैसिफिक की विकसित अवधारणा पर सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं एवं अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के लिए एयू (अफ्रीकी संघ) के दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं जो भारत के क्षेत्र में सभी के लिए विकास के एसएजीएआर (सागर) दृष्टिकोण से मेल खाता है।

शांति एवं सुरक्षा

- सभी ने संघर्ष, रोकथाम, संकल्प, प्रबंधन एवं शांति निर्माण सहित शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया।
- इसका उद्देश्य शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना भी है।

भारत एवं नॉर्वे संबंध –

समाचार –

- भारत एवं नॉर्वे संयुक्त रूप से 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर गुजरात में जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों (CMS) के संरक्षण पर कन्वेशन के 13 वें सम्मेलन (सीओपी) में महासागरों, पर्यावरण एवं जलवायु मामलों से संबंधित चिंताओं से निपटने के लिए सहमत हुए।

भारत – नॉर्वे संयुक्त वक्तव्य

- वक्तव्य में यह कहा गया कि दोनों देश 2020 के दशक में जलवायु एवं पर्यावरण पर कार्रवाई करने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे।
- महासागरीय मामलों सहित दोनों देशों के बीच पर्यावरण एवं जलवायु पर पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को जारी रखेंगे एवं उसे और अधिक मजबूत करेंगे।
- जलवायु परिवर्तन एवं वायु प्रदूषण को लक्षित करने वाले कार्य दोनों देशों के लिए हितकारी है। दोनों पक्षों ने माना कि इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, एवं इस एजेंडे को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति हुई।
- मान्यता है कि हाइड्रोफलोरोकार्बन (HFC) के उपयोग को रोकने के लिए किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किंगाली संशोधन से सदी के अंत तक तापमान को 0.4° सेल्सियस तक कम किया जा सकता है, आगे, यह ध्यान देने योग्य है कि किंगाली संशोधन के सार्वभौमिक अनुसमर्थन से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा सकता है।
- एचएफसी के उपयोग को कम करने से संबंधित मुद्दों / पहलुओं पर नॉर्वे द्वारा समर्थित परियोजनाओं के परिणामों पर ध्यान दिया गया। एचएफसी के उपयोग को कम करते हुए ऊर्जा कुशल समाधानों एवं प्रौद्योगिकियों के लिए एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए ऐसी परियोजनाओं को जारी रखने पर सहमति हुई।
- यदि ठीक से प्रबंधित किया जाता है, तो सागर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता रखता है। एकीकृत महासागर प्रबंधन एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी एवं प्रधानमंत्री सोल्बर्ग ने भारत–नॉर्वे महासागर वार्ता एवं सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया।

- दोनों मंत्री इस एमओयू के तहत की गई प्रगति से प्रसन्न थे, जिसमें समुद्री प्रदूषण पहल की स्थापना भी शामिल थी। वे विशेष रूप से इस बात पर संतुष्ट थे कि नॉर्वे एवं भारत सतत ब्लू इकोनॉमी पहल सहित एकीकृत महासागर प्रबंधन पर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करेंगे।
- जून 2020 में लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में महासागर के स्वास्थ्य एवं धन के लिए ठोस, समाधान देने के महत्व पर ध्यान दिया गया।
- रसायनों एवं कचरे के स्थायी प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया एवं लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेशन के कार्यान्वयन एवं समुद्री कूड़े के निर्वहन को कम करने पर भारत एवं नॉर्वे के बीच सहयोग का स्वागत किया।
- समुद्री प्लास्टिक कूड़े एवं माइक्रोप्लास्टिक की वैश्विक एवं तत्काल प्रकृति की एक साझा समझ पर जोर दिया एवं रेखांकित किया कि इस मुद्दे को अकेले किसी एक देश द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। वे प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए वैश्विक कार्रवाई करने एवं प्लास्टिक प्रदूषण पर एक नया वैश्विक समझौता स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- जैव विविधता के नुकसान के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चालकों पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ समर्थन एवं काम करने के लिए सहमत हुए। जून 2020 में लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में महासागरों के स्वास्थ्य एवं धन के लिए ठोस समाधान देने के महत्व पर ध्यान दिया गया।
- रसायनों एवं कचरे के स्थायी प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया एवं कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेशन के कार्यान्वयन एवं समुद्री कूड़े के निर्वहन को कम करने पर भारत एवं नॉर्वे के बीच सहयोग का स्वागत किया गया।
- समुद्री प्लास्टिक कूड़े एवं माइक्रोप्लास्टिक की वैश्विक एवं तत्काल प्रकृति की एक साझा समझ पर जोर दिया गया एवं रेखांकित किया कि इस मुद्दे को अकेले किसी एक देश द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। वे प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के लिए वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करने एवं प्लास्टिक प्रदूषण पर एक नया वैश्विक समझौता स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- जैव विविधता के नुकसान के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चालकों पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ समर्थन एवं काम करने के लिए सहमत हुए। वे एक महत्वाकांक्षी, मजबूत, व्यावहारिक एवं प्रभावी कार्य करने के लिए 2020 में कुनमिंग, चीन में आयोजित होने वाली CBD की COP15 पर वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए।
- आगे जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचे में पारिस्थितिक संबद्धता को एकीकृत करने के महत्व को मान्यता दी।
- यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला एवं वित्त को वनों की कटाई एवं प्रकृति के विनाश से मुक्त करना चाहिए एवं उन कंपनियों एवं परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए जो स्थायी उत्पादन एवं खपत को बढ़ावा देते हुए छोटे धारक आजीविका में सुधार करते हैं। वे वनों एवं वनों की कटाई से मुक्त आपूर्ति शृंखलाओं पर चर्चा जारी रखने के लिए सहमत हुए।
- यह कहां गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पांचवीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आव्यावन करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है।
- नॉर्वे एवं भारत वानिकी में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएंगे एवं जलवायु परिवर्तन के साथ इसे जोड़ेंगे।

जी 20 बैठक

समाचार —

- सऊदी अरब की अध्यक्षता में रियाद (सऊदी अरब) में जी 20 की बैठक हुई।
- बैठक में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकरों ने भाग लिया।
- थीम 'सभी के लिए 21 वीं सदी के साकार अवसर' (रिलाइजिंग ऑफ यूनिटी ऑफ द ट्रेनिंग सेंचुरी फॉर ऑल)।
- सऊदी अरब जी 20 राष्ट्रपति पद पर रहने वाला पहला अरब राष्ट्र है।

परिणाम —

- भू-राजनीतिक एवं शेष व्यापार तनाव एवं नीतिगत अनिश्चितता के कारण वैश्विक आर्थिक विकास के धीमे एवं नकारात्मक होने का जोखिम बना हुआ है।
- मौद्रिक नीति एवं व्यापार तनाव को कम करने के कारण 2020 एवं 2021 में आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है।
- आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक 'वी-आकार-तेजी से रिकवरी' की उम्मीद करता है, किंतु यह कोरोनवायरस (सीओवीआईडी 19) के प्रसार के आसपास अनिश्चितता के बारे में चेतावनी भी देता है।
- बैठक में, 2020 के अंत तक डिजिटल युग के लिए एक वैश्विक कराधान प्रणाली पर आम सहमति प्राप्त करने के तरीकों चर्चा की गई। इसका उद्देश्य सरकारों को उन डिजिटल कंपनियों को कर लगाने की अनुमति देना है जहाँ वे व्यापार करते हैं, बजाय इसके कि वे कर उद्देश्यों के लिए कहाँ पंजीकृत हैं।

भारत एवं ऑस्ट्रेलिया संबंध

समाचार —

- भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (JMC) का 16 वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सत्र की सह-अध्यक्षता रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार तथा व्यापार, पर्यटन एवं निवेश, ऑस्ट्रेलिया सरकार के मंत्री द्वारा की गई थी।
- इस सत्र में वाणिज्य, राजस्व, कृषि, मत्स्य विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) एवं भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधिमंडल में विदेश विभाग एवं व्यापार, ऑस्ट्रैड, निर्यात वित्त ऑस्ट्रेलिया एवं ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के अधिकारी शामिल थे।
- दोनों पक्षों ने जून 2018 में अंतिम संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग के बाद से रणनीतिक, व्यापार एवं लोगों से लोगों के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों में काफी वृद्धि का साक्षात्कार किया है।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को ऊंचा उठाने के प्रयासों का स्वागत किया। वे द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर वार्ता को पुनर्जीवित करने पर विचार करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने समानांतर एवं दोनों पक्षों के हितों के उत्पादों के लिए विनियामक बाधाओं के मुद्दे को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

- दो तरफा निवेश पर, दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष की तुलना में ऑस्ट्रेलियाई सुपरनैशन फंड के तीन प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं का उल्लेख किया। वे ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के बीच भारत में अवसरों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करना जारी रखने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्ष द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के निर्माण भारत में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर सहमत हुए।
- भारत में मंत्री बर्मिंघम के साथ 100 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के प्रतिनिधिमंडल सहित ऑस्ट्रेलिया-भारत व्यापार विनिमय कार्यक्रम का स्वागत किया। व्यापार प्रतिनिधिमंडल शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य एवं सौदर्य, संसाधन एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अवसरों की खोज कर रहा है।
- भारत ने भारत-ऑस्ट्रेलिया डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के उपयोग के माध्यम से भारतीय फर्मों की ऑफ-शोर आय पर कर लगाने का मुद्दा उठाया एवं इस मुद्दे के शीघ्र समाधान की मांग की। दोनों पक्ष विचार-विमर्श तेज करने पर सहमत हुए।

आंतरिक सुरक्षा

इन्द्रधनुष अभ्यास

समाचार –

- इंडियन एयरफोर्स एवं ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने हाल ही में हिंडन (यूपी) में इन्द्रधनुष अभ्यास का 5 वां संस्करण आयोजित किया।
- थीम- बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन
- मुख्य विशेषताएं - सैन्य प्रतिष्ठानों का आतंकी खतरों से बचाना।
- दोनों देशों के एयरफोर्स ने बेस डिफेंस, एयरफील्ड सीजफायर एवं शहरी क्षेत्रों में आतंक विराधी ऑपरेशनों के अभ्यास किए।
- इस अभ्यास का चौथा संस्करण 2018 में ब्रिटेन में हुआ।

करंज पनडुब्बी

समाचार –

- तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी, करंज, दिसंबर 2020 तक भारतीय नौसेना को दी जाएगी एवं 2022 तक सभी छह पनडुब्बी प्राप्त हो जाएंगी। छह पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर एवं आईएनएस वागशीर हैं।

- स्कॉर्पियन पनडुब्बी एआईपी प्रणाली से लैस है। पहला एआईपी पहले स्कॉर्पियन के पहले रिफिट के दौरान सुसज्जित होगा।
- आईएनएस करंज 'परियोजना-75' का एक हिस्सा है एवं इसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में समुद्री परीक्षणों के उन्नत चरणों में है। पनडुब्बी को फ्रांसीसी नौसेना के उर्जा समूह द्वारा डिजाइन किया गया है एवं इसे मुंबई में भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए छह कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों के पहले बैच की तीसरी पनडुब्बी है।
- प्रोजेक्ट -75 भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है जिसमें छह स्कॉर्पिन-क्लास अटैक पनडुब्बियों के निर्माण की योजना है।

एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम)

समाचार –

- अमेरिका ने अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने एवं हवाई हमलों से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने मौजूदा वायु रक्षा संरचना का विस्तार करने के लिए 1.9 अरब डॉलर की अनुमानित लागत पर भारत को एक एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की बिक्री को मंजूरी दी है।
- प्रस्तावित बिक्री चीन द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य आधुनिकीकरण के मध्य हुई है, जिसकी रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है।
- प्रस्तावित बिक्री भारत, अमेरिका एवं अन्य सहयोगियों के बीच अंतर को कम करते हुए अपनी क्षमता को अद्यतन करके भारत की सैन्य ताकत में योगदान देगा।
- बिक्री को मंजूरी दे दी गई है जिसमें कई प्रकार के सैंसर, हथियार प्रणाली एवं समर्थन उपकरण शामिल हैं।
- पिछले एक दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है।
- भारत, इस बीच, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2018 की वार्षिक पुस्तक के अनुसार, वैश्विक रक्षा आयात में 12 प्रतिशत के हिसाब से भारत, रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक हो गया है।

संप्रति-IX

समाचार –

- भारत-बांग्लादेश, संप्रति-IX के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के नौवें संस्करण का समापन शिलांग के उमरोई में किया गया। इसमें वरिष्ठ कमांडरों ने भाग लिया।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना था, जिससे दोनों सेनाओं को एक दूसरे की सामरिक अभ्यास एवं संचालन तकनीकों को समझने की अनुमति मिली।
- अभ्यास ने दोनों देशों के कार्मिकों के लिए आतंकवाद रोधी अभियानों, आतंकवाद रोधी अभियानों एवं उनके अनुभवों को साझा करने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया।
- अभ्यास का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के लिए सिविल अधिकारियों को विशेष रूप से जंगल एवं अर्ध-शहरी इलाकों में सहायता प्रदान करना है।
- दोनों सेनाओं के बीच समझ एवं अंतर को बढ़ावा देने के अलावा, इसने भारत एवं बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद की।

15 वां वित्त आयोग

समाचार –

- पंद्रहवें वित्त आयोग ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर पांच सदस्यीय समूह का गठन किया है।
- आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह समूह के प्रमुख होंगे। गृह सचिव एवं रक्षा सचिव समूह के सदस्य होंगे।
- पैनल यह जांच करेगा कि रक्षा तथा आंतरिक वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र है या नहीं, एवं यदि नहीं है, तो इस तरह के तंत्र को कैसे चालू किया जा सकता है।

अजय वारियर

समाचार –

- भारतीय एवं ब्रिटिश सशस्त्र बलों ने काउंटर इंसर्जेंसी एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मध्य दक्षिण इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान में 13-26 फरवरी 2020 के बीच अपने संयुक्त पांचवें संस्करण 'अजय वारियर' का अभ्यास किया।
- इसका उद्देश्य आतंकवाद निरोधी अभियानों पर जोर देने के साथ सेना स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करना है। अभ्यास यूनाइटेड किंगडम एवं भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।

- कोंकण (नौसेना) एवं इन्द्रधनुष (वायु सेना) भारत एवं ब्रिटेन के बीच अन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं।

डेफएक्सपो इंडिया – 2020

समाचार –

- यह रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख द्विवार्षिक घटना है इसका 11 वां संस्करण 5-9 फरवरी 2020 के बीच लखनऊ में पहली बार आयोजित किया गया।
- डेफएक्सपो इंडिया – 2020 का मुख्य विषय था- भारत – इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब' था एवं इस आयोजन में डिफेंस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया गया था।
- प्रदर्शनी में सेना द्वारा उपयोग की जा रही एवं उद्योगों द्वारा बनाई जा रही दोनों ही तरह की भारी आर्टिलरी बंदूकों का प्रदर्शन किया गया।
- 'पार्थ' गन शॉट लोकेटर डिवाइस को डिफएक्सपो 2020 में दिखाया गया है, जिसे सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सीएमई) द्वारा विकसित किया गया है, एक निजी फर्म के साथ संयुक्त रूप से इसका निर्माण आयातित हथियारों की तुलना में बहुत सस्ता है।
- डिवाइस 400 मीटर की दूरी से बुलेट की सटीक स्थिति का पता लगा सकता है एवं आतंकवादी को तेजी से पता लगाने एवं बेअसर करने में मदद करेगा।
- इसके अलावा, भारतीय सेना को भी डेफएक्सपो में 155 एमएम की आर्टिलरी गन सारंग को अपग्रेड किया गया। इसमें अधिक विस्फोटक क्षमता भी है एवं इसलिए अधिक खतरनाक है।

संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण

समाचार –

- भारतीय नौसेना के संध्याक वर्ग हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, आईएनएस जमुना (जे 16), 6 फरवरी 2020 को श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम तट से संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए कोलंबो, श्रीलंका पहुंचे।
- दो महीने की तैनाती अवधि में, जहाज विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एवं कई तट-आधारित सर्वेक्षण गतिविधियों को अंजाम देगा। यह श्रीलंका के नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षण भी देगा।

आईएनएस शिवाजी

समाचार –

- राष्ट्रपति ने आईएनएस शिवाजी, लोनावला को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंगों से सम्मानित किया।
- प्रमुख संस्थान तट रक्षकों एवं नौसेना अधिकारियों के लिए एक समुद्री प्रशिक्षण संस्थान है। युद्ध एवं शांति के समय में योगदान के लिए रक्षा संस्थानों एवं रेजिमेंटों को दिया जाने वाला यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- आईएनएस शिवाजी, लोनावला, 1945 में एचएमआईएस (हर मैजेस्टीज इंडियन शिप) शिवाजी के रूप में कमीशन किया गया, भारतीय नौसेना का एक प्रमुख कैटेगरी 'ए' प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। इसका आदर्श वाक्य 'कर्मसु कौशलम्' है, जो मानव प्रयास के सभी पहलुओं में 'स्किल एट वर्क' की अवधारणा को आत्मसात करता है।

नौसेना अभ्यास 'मिलन'

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने मार्च 2020 में विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में मिलन 2020 अभ्यास आयोजित किया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक रही। इस अभ्यास का इस वर्ष का विषय सिनर्जी अक्रॉस द सीज़' था।
- मिलन, भाग लेने वाली नौसेनाओं के मध्य अभ्यास एवं पेशेवर बातचीत के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देने के अलावा मजबूत संबंधों का पोषण करने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
- भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन ने 1995 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चार नौसेनाओं की भागीदारी के साथ एक मामूली शुरुआत की थी।

कला एवं संस्कृति

राखीगढ़ी

समाचार –

- केंद्रीय बजट (2020–21) ने राखीगढ़ी (हिसार जिला, हरियाणा) को एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।
- हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), धोलावीरा (गुजरात) एवं आदिचल्लूर (तमिलनाडु) में 4 अन्य पुरातात्त्विक स्थल भी प्रतिष्ठित संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाएंगे।

- राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े हड्डप्पा स्थलों में से एक है।

जयपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त

समाचार –

- जयपुर परकोटे में बसे शहर (वर्ल्ड सिटी) को औपचारिक रूप से विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोलेय ने शहर को विश्व धरोहर प्रमाणपत्र प्रदान किया।
- जयपुर अपने महलों, वास्तुकला, किलों के लिए जाना जाता है। शहर की वास्तुकला में मुगल, फारसी एवं हिंदू डिजाइन शामिल हैं।
- यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में विशिष्ट स्थान जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, रेगिस्तान, स्मारक, भवन, या शहर इत्यादि निर्दिष्ट हैं। इनका चयन विश्व धरोहर समिति द्वारा किया जाता है।
- अहमदाबाद शहर, गुजरात को 2017 में 'विश्व विरासत स्थल' सूची में जोड़ा गया था।

मुंबई—जेरुसलम उत्सव

समाचार –

- दोनों शहरों के बीच विशेष संबंध दिखाने एवं भारत एवं इजरायल के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की राजधानी में पहला जेरुसलम—मुंबई महोत्सव' आयोजित किया गया। दो दिवसीय उत्सव ने संस्कृति के विविध क्षेत्रों में कलात्मक सहयोग को बढ़ावा दिया, जैसे कि पाक कला, संगीत एवं नृत्य। प्रसिद्ध इजराइली फिल्म निर्देशक अलोन गुर आर्य की उपस्थिति में उनकी फिल्म द मोसाद को समारोह में प्रदर्शित किया गया।

यीशु की उपचार करते हुए मुद्रा की मूर्ति की स्थापना

समाचार –

- थिरुवल्ला में बेलिवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज (BCMC) अस्पताल के केंद्रीय प्रांगण में, ईसा मसीह, हीलिंग क्राइस्ट (यीशु की उपचार करते हुए मुद्रा में एक मूर्ति) की एक त्रि-धातु की मूर्ति का प्रवेश हुआ है।
- यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम (यूआरएफ) विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक की एक टीम ने माना कि 368—सेमी ऊंची प्रतिमा, जिसका वजन 2,400 किलोग्राम है, दुनिया में 'सबसे बड़ी त्रि-धातु यीशु मूर्ति' है।

- प्रतिमा को जस्ता, तांबा, एवं वेलुथेयम (टिन एवं एल्यूमीनियम का एक मिश्र धातु) के मिश्रधातु से गढ़ा गया है।

चिन्ह यक्षगानाम

समाचार –

- यह एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे हाल ही में तेलंगाना में प्रदर्शित किया गया था। इसे चिंदू भगवत्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश कथाएँ यहाँ से सुनाई जाती हैं। यह कला मुख्य रूप से चिंदू मडिगा समुदाय द्वारा प्रस्तुत की जाती है।
- भाव मुद्राएं यक्षगानम से बहुत मिलती-जुलती हैं, जो कर्नाटक के लिए विशेष रूप से एक पारंपरिक रंगमंच प्रथा है।
- यह एक अनोखी शैली एवं रूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाख, मेकअप एवं मंच तकनीकों को जोड़ती है।

‘लुई-नगाई-नी’ यूके एवं आरयूएल पर सूचीबद्ध

समाचार –

- मणिपुर की नगा जनजातियों ने उखरुल में तंगखुल नागा लांग (टीएनएल) के मैदान में बहुत ही धूमधाम के साथ, ‘संस्कृति के माध्यम से एकता’ विषय के तहत, बीज बोने का त्योहार ‘लुई-नगाई-नी’ मनाया।
- त्योहार बीज बोने के मौसम की शुरुआत करता है एवं नागाओं के लिए वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता है। त्योहार को 1988 के बाद से राज्य अवकाश घोषित किया गया है।
 - यह त्योहार वसंत के मौसम की शुरुआत में प्रतिवर्ष 14–15 फरवरी को मनाया जाता है।
 - यह हॉर्नबिल फेस्टिवल के बाद दूसरा प्रमुख अंतर-जनजाति नागा उत्सव है।
 - शातिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आपसी एकजुटता दिखाने के लिए राज्य के अन्य समुदायों के नेताओं, मुख्य रूप से मेझती, कूकी एवं जोर्मी ने भी महोत्सव में भाग लिया।

मेदराम जात्रा

समाचार –

- मेदराम जात्रा को सममक्का सरलाम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है।
- यह एक आदिवासी त्यौहार है, जिसमें एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक माँ एवं बेटी, सममक्का एवं सरलाम्मा की लड़ाई का सम्मान किया जाता है।
- इसे तेलंगाना में 5 फरवरी 2020 से शुरू होकर 4 दिनों तक मनाया गया। जात्रा वारंगल जिले के तड़वई मंडल में मेदराम में शुरू होती है।
- मेदराम, सुंदरमगरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है, जो दंडकारण्य का एक हिस्सा है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
- यह हर दो साल (द्विवार्षिक) में आयोजित किया जाता है। यह उस समय के दौरान मनाया जाता है जब आदिवासियों के देवी देवता उन्हें दर्शन देने आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

समाचार –

- 21 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया।
- यूनेस्को ने 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। यह दिन पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोप दिए जाने के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान द्वारा 1952 में किए गए आंदोलन की याद में मनाया जाता है।
- 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में चिह्नित करने का संकल्प, कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। उन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में 1952 में हुई हत्याओं के शोक में उक्त तिथि प्रस्तावित की।
- इस दिन का उद्देश्य ‘भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद’ को बढ़ावा देना है।
- दुनिया की 6,000 भाषाओं में से, 43 प्रतिशत को लुप्तप्राय माना जाता है। दूसरी ओर, 4.8 बिलियन – दुनिया की 60 प्रतिशत आबादी केवल 10 भाषाएं बोलती हैं।

- वैशिक स्तर पर, ऑनलाइन डेटाबेस एथ्नोलॉग के अनुसार, 2019 में 1.13 बिलियन वक्ताओं के साथ अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसके बाद 1.17 बिलियन के साथ मेंडरिन है। हिंदी 615 मिलियन वक्ताओं के साथ तीसरे जबकि बंगाली 265 मिलियन के साथ सातवें स्थान पर है।

भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ –

- भारत में, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी 528 मिलियन से अधिक वक्ताओं के साथ सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
- 2011 में बंगाली के 97.2 मिलियन वक्ता थे, उसके बाद मराठी (83 मिलियन) का स्थान था, जबकि 50 मिलियन से अधिक बोलने वाले अन्य भाषाएं तेलुगु (81 मिलियन), तमिल (69 मिलियन), गुजराती (55.5 मिलियन) एवं उर्दू (50.8 मिलियन) हैं।
- 1991 से 2011 तक प्रतिशत रुझान सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा, हिंदी के विकास को रेखांकित करता है, जो कि 1991 में 39.29 प्रतिशत भारतीय आबादी द्वारा बोली जाती थी, एवं जिसका हिस्सा 2011 में बढ़कर 43.63 प्रतिशत हो गया।
- भारत के शीर्ष 12 अन्य भाषाओं के प्रतिशत हिस्सेदारी में 1991 की तुलना में 2011 में कमी आई है।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

- भारत के राष्ट्रपति ने 1 फरवरी, 2020 को हरियाणा के सूरजकुंड में 34 वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया।
- मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से किया जाता है।
- मेले में उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब एवं तेलंगाना के दुर्लभ उत्पादों को लाया जाता है तथा भारत के अलावा विभिन्न देशों स्वाजीलैंड, उज्बेकिस्तान, तुर्की इत्यादि के कई और कला एवं शिल्प के पारखी लोग इस मेले का आनंद लेते हैं।
- इस वर्ष, थीम राज्य हिमाचल प्रदेश है।
- मेले की शुरुआत 1987 में कुशल कारीगरों के दलों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जो स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मशीन से बनाई गई सस्ती नकल के कारण पीड़ित थे।

- 2013 में मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया गया था।
- इंग्लैंड ने पहली बार इस मेले में भाग लिया।

सामान्य अध्ययन ।

(भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं विश्व एवं समाज का भूगोल)

कुंभभिषेकम् समारोह

समाचार –

- श्री बृहदेश्वर मंदिर (1,010 साल पुराना) या बड़े मंदिर में कुंभभिषेकम् (अभिषेक) समारोह 23 साल बाद आयोजित किया गया। 31 जनवरी 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुष्ठान शुद्धि प्रक्रिया पर एक पुराने विवाद का निपटारा करने के बाद यह आयोजन किया गया।
- श्री ब्रह्मदेश्वर मंदिर (पेरुवदियार कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है) तंजावुर में कई मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध है।
- दुनिया के सबसे बड़े और भव्य मंदिरों में से एक, मंदिर को महान चोल सप्तराजा । (985 ईस्वी – 1014 ईस्वी) द्वारा 1003 ईस्वी एवं 1010 ईस्वी के बीच बनाया गया था।
- हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार, 'कुम्भभिषेकम्' 12 साल में एक बार किया जाता है। यह हिंदू धर्म की परंपराओं का हिस्सा है, जब एक मंदिर में एक नया भाग बनाया जाता है, तो कुंभभिषेकम् किया जाता है।
- अभिषेक समारोह का समापन महापूर्णाहुति या मुख्य पूजा के साथ हुआ, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2020 को हुई थी।
- यागा सलाई – यज्ञ स्थल से लाया गया पवित्र जल मंदिर परिसर में सोने के कलश पर डाला गया जो कि गर्भगृह के ऊपर 216 फुट के विमानम् में सबसे ऊपर है। मंदिर में अन्य मूर्तियों को भी पवित्र पानी से पुनीत किया जाता है।
- हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त (एचआर एवं सीई) विभाग के अनुसार, मंदिर में 'कुम्भभिषेकम्' 1010, 1729, 1843, 1980 एवं 1997 में किया गया है।
- 1997 में आखिरी 'कुम्भभिषेकम् समारोह में यागा सलाई में आग लग गई, जिससे भगदड़ मच गई जिसमें 40 से अधिक तीर्थयात्री मारे गए।
- लेकिन इस तरह की घटनाओं की संख्या के बारे में इतिहासकारों के बीच कोई सहमति नहीं है।

- एक अन्य पुरातत्त्वविद् का दावा है कि 17 वीं शताब्दी एवं 19 वीं शताब्दी के बीच, चार कुंभाभिषेकम् हुए हैं जिनका उल्लेख मंदिर के विमाना (टॉवर) के 'कलशम्' (गुंबद) पर शिलालेखों में किया गया है।

मुद्दा –

- समारोह संस्कृत एवं तमिल परंपराओं के बीच वर्चस्व के संघर्ष में उलझा हुआ था।
- अदालत ने तमिल एवं संस्कृत दोनों में प्रदर्शन करने की अनुमति दी है।
- यह तर्क दिया गया है कि मंदिरों में तमिल मंत्रों के जप पर रोक लगाने के लिए ना तो अगमों (विहित ग्रंथों) और ना ही किसी और धार्मिक ग्रंथ में मैं कुछ उल्लेख है।
- आर्य परंपरा के बीच असहमति है, जो दावा करती है कि संस्कृत देवताओं के साथ संवाद करने की एकमात्र भाषा है एवं संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करना हिंदू धार्मिक अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा है लेकिन द्रविड़ परंपरा तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन के प्राचीन इतिहास का हवाला देती है जिसके दौरान थेवरम् एवं थिरुवसगम जैसे तमिल भक्ति शैव ग्रंथों ने शिव को आम आदमी का देवता बना दिया।

1,500—वर्ष—पुरानी पटिटका की खोज

समाचार –

- पहली बार पुरातत्त्वविदों की एक टीम ने एक पटिटका का पता लगाया है, जो लगभग 1,500 साल पहले की है एवं वाकाटक राजा रुद्रसेना द्वितीय की रानी, प्रभातीगुप्त की थी, जिन्होंने नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक तालुका में नागर्धन से राज्य किया था।
- 2015 एवं 2018 के दौरान महाराष्ट्र, एवं डेक्कन कॉलेज, पुणे के पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, सरकार के शोधकर्ताओं द्वारा विस्तृत खुदाई की गई।
- नागर्धन नागपुर जिले में एक बड़ा गाँव है, जो रामटेक तालुका मुख्यालय से लगभग 6 किमी दक्षिण में है जहां $1 \text{ किमी} \times 1.5 \text{ किमी}$ क्षेत्र में फैली सतह पर पुरातात्त्विक अवशेष पाए गए।
- शोधकर्ताओं ने 2015–2018 के दौरान साइट की खुदाई की। यहाँ 15 वीं–16 वीं शताब्दी का एक कोटेश्वर मंदिर एक जल-धारा के किनारे स्थित है।
- मौजूदा गाँव प्राचीन बस्ती के ऊपर स्थित है।

- नागर्धन किला वर्तमान नागर्धन गाँव के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण गोंड राजकाल के दौरान किया गया था एवं बाद में 18 वीं एवं 19 वीं शताब्दी के दौरान नागपुर के भोसलों द्वारा इसका नवीनीकरण एवं पुनः उपयोग किया गया।
- किले के आसपास के क्षेत्र में खेती की जाती है एवं यहाँ पुरातात्त्विक अवशेष दबे हुए हैं।

महत्व –

- इन उत्खनन से प्राप्त अवशेषों ने वाकाटक वंश, जिसे अजंता की गुफाओं में विश्व-प्रसिद्ध चित्रों को बनाने का श्रेय दिया जाता है, में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है।
- इन खुदाई से राजवंश के जीवन, धार्मिक संबद्धता एवं व्यापार प्रथाओं पर ठोस सबूत मिले हैं।
- वाकाटक मध्य भारत के शैव शासक थे जिन्होंने तीसरी एवं पाँचवीं शताब्दी के बीच शासन किया था। उन्हें विदर्भ क्षेत्र का माना जाता है।
- ऐसी धारणाएँ थीं कि नागर्धन का उत्खनन स्थल वाकाटक की पूर्वी शाखा की राजधानी नंदीवर्धन के समान है।
- यहाँ से पुरातात्त्विक साक्ष्य प्राप्त होने के बाद नागर्धन को वाकाटक साम्राज्य की राजधानी के रूप में समझा गया।
- यह पहली बार है जब नागर्धन से मिट्टी की पटिटका की खुदाई की गई है। अंडाकार आकार की पटिटका उस अवधि से संबंधित है जब प्रभातीगुप्त वाकाटक वंश की रानी थी। इस पर शंख के चित्रण के साथ, ब्राह्मी लिपि में उनका नाम लिखा गया है। 6.40–ग्राम की सीलिंग, जो 1,500 साल पुरानी है, जो 9.50 मिमी मोटाई के साथ $35.71 \text{ मिमी} \times 24.20 \text{ मिमी}$ माप की है।
- शंख की उपस्थिति वैष्णव संबद्धता का प्रतीक है जो गुप्तों ने धारण की थी।
- सीलिंग को एक बड़ी दीवार पर पाया गया है जिसके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद वह राज्य की राजधानी में एक शाही संरचना रही होगी।
- अब तक, वाकाटक लोगों या शासकों के घरों या महलनुमा संरचनाओं के प्रकार के बारे में कोई पुरातात्त्विक साक्ष्य सामने नहीं आया था।
- ये वाकाटक के शाही मुहरों पर वैष्णव हस्ताक्षर के मजबूत संकेतक हैं, यह दोहराते हैं कि रानी प्रभातीगुप्त वास्तव में एक शक्तिशाली महिला शासक थीं।

- चूंकि वाकाटक साम्राज्य के लोगों ने इरान के साथ एवं भूमध्य सागर तक व्यापार किया था, विद्वानों का सुझाव है कि इन मुहरों को राजधानी शहर से जारी एक आधिकारिक शाही अनुमति के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
- इसके अलावा, इनका उपयोग उन दस्तावेजों पर किया जाता होगा जिनके लिए अनिवार्य शाही अनुमति की आवश्यकता होती होगी।

नागार्धन से अब तक खुदाई में और क्या प्राप्त हुआ है? –

- इससे पहले के उत्खनन के परिणाम में चीनी मिट्टी के पात्र, कांच के कान के बाले, पुरावशेष, कटोरे एवं गमले, एक खंडक, मंदिर एवं टैक, एक लोहे की छेनी, एक हिरण का चित्रण वाला पत्थर एवं टेराकोटा की चूड़ियों के रूप में साक्ष्य मिले थे।
- कुछ टेराकोटा की वस्तुओं में देवताओं, जानवरों एवं मनुष्यों की छवियों को भी चित्रित किया गया था, साथ ही ताबीज, स्कॉच, पहिए, त्वचा के घिसने एवं धुरी वाले कोड़े भी प्राप्त हुए हैं।
- भगवान गणेश की एक अखंड मूर्ति, जिसमें कोई अलंकरण नहीं था, वह भी स्थल से मिली थी।
- इससे पुष्टि हुई कि गणेश उस समय में एक सामान्य रूप से पूजनीय देवता थे।
- शोधकर्ताओं ने पशु पालन को वाकाटक लोगों का मुख्य व्यवसायों में से एक माना है।
- घरेलू जानवरों की सात प्रजातियों के अवशेष – मवेशी, बकरी, भेड़, सुअर, बिल्ली, घोड़ा एवं फावल – का टीम द्वारा पहले किए गए अध्ययन में पता लगाया गया था।

फ्यूचर ऑफ अर्थ (पृथ्वी का भविष्य), 2020

समाचार –

- पृथ्वी का भविष्य, 2020 रिपोर्ट साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस, दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा जारी की गई।
- रिपोर्ट में पांच वैश्विक जोखिमों को सूचीबद्ध किया गया है जो जो एक दूसरे की क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक खतरा बन सकते हैं –
 - जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन की विफलता
 - मौसम की चरम घटनाएं
 - प्रमुख जैव विविधता हानि एवं पारिस्थितिकी तंत्र का पतन
 - भोजन संकट एवं
 - पानी की कमी

- इसे 2050 तक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने एवं ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

रिपोर्ट की खोज –

- 2014 से 2018 तक पांच साल 1880 के बाद से भूमि एवं महासागर पर सबसे गर्म दर्ज किए गए वर्ष थे।
- अत्यधिक हीटवेव प्रभावित पारिस्थितिकी प्रणालियों से संग्रहीत कार्बन की बड़ी मात्रा को जारी करके ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकती है एवं साथ ही पानी के संकट एवं / या भोजन की कमी को तेज कर सकती है।
- जैव विविधता का नुकसान भी जलवायु चरम सीमाओं का सामना करने के लिए प्राकृतिक एवं कृषि प्रणालियों की क्षमता को कमज़ोर करता है, जिससे खाद्य पदार्थों के प्रति हमारी लोचनीयता घट जाती है।
- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि एवं वैश्विक आबादी वृद्धि सहित विभिन्न कारणों से खाद्य उत्पादन पर दबाव बढ़ने की आशंका है।
- 700 से अधिक शहरों, राज्यों एवं सरकारों के नेताओं द्वारा जलवायु संकट या जलवायु आपातकाल की घोषणा के बावजूद, 2019 के दौरान वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रति मिलियन (पीपीएम) 415 से अधिक भागों तक पहुंच गई।
- रिपोर्ट राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों जिसके कारण विश्व भर में प्रवासियों की अस्वीकार्यता बढ़ रही है पर केंद्रित है। इससे जलवायु परिवर्तन तथ्यों या प्रभावों को ना मानने के मामले हुए हैं।
- मनुष्यों ने अब हमारे ग्रह के 75 प्रतिशत भू-भाग को बदल दिया है, जो कि आकलन किए गए पौधे एवं जानवरों के समूहों की एक चौथाई प्रजातियों के लिए खतरा है।
- दुनिया में सूचनाओं का प्रवाह बदल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मनुष्य की भावनाओं के साथ जुड़ने के लिए डिजाइन किए गए नकली समाचारों के प्रसार का कारण बन सकते हैं एवं टीके में अविश्वास जैसे सामाजिक नुकसान का कारण बन सकते हैं।

सुझाव —

- ग्रह पर जीवन को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कई नए तरीकों की आवश्यकता होगी।
 - प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव को व्यावहारिक योजना से रोका जा सकता है जो अपरिहार्य जनसांख्यकीय परिवर्तन की आशंका पैदा करता है, एवं बुनियादी ढाँचे एवं लक्षित सामाजिक समावेश कार्यक्रमों के साथ मानव आंदोलनों को समायोजित करता है।
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल स्तर पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रश्न को हल करेगी।
 - माध्यमिक शिक्षा के अंतिम चार वर्षों के बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के लिए एक उचित आधार देना होगा। इसके बिना, कोई भी सरकारी नियम एवं नीतियां मददगार नहीं हो सकती हैं।
 - समुदायों के लचीलेपन को बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय अस्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए।
 - मनुष्य अब मनुष्य ग्रह के परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है अतः ग्रह के पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मनुष्य की सामाजिक प्रणालियों जैसे कि समाजवाद प्रणाली, जिसमें लोकलुभावनवाद, वित्त एवं सूचना प्रसारण शामिल हैं, जीवाश्म-ईंधन जलने से लेकर खाद्य उत्पादन तक उन प्रथाओं एवं प्रौद्योगिकियों को जो ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं लक्षित करना आवश्यक होगा।

सामान्य अध्ययन ॥

(सरकार, संरक्षण, नीति, सामाजिक न्याय एवं अंतराष्ट्रीय संबंध)

महिलाएं सशस्त्र अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए पात्र हुईं

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला अधिकारी उनकी सेवा के वर्षों से परे सेना में स्थायी कमीशन एवं कमांड पदों के लिए पात्र हैं।
 - 2003 में पहली जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद से फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद 2006 एवं 2008 में अन्य मुकदमे दायर किए गए एवं दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया।

- लेकिन यह आदेश कभी लागू नहीं हुआ, एवं सरकार द्वारा इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।
 - इससे पहले, पुरुष एसएससी अधिकारी 10 साल की सेवा के अंत में स्थायी कमीशन का विकल्प चुन सकते थे, यह विकल्प महिला अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वे किसी भी कमान की नियुक्ति से बाहर रहती थी, एवं सरकारी पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकती थी, जो एक अधिकारी के रूप में सेवा के 20 साल बाद शुरू होती है।



फैसले की मुख्य विशेषताएँ –

- उच्चतम न्यायालय ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सेना की 10 शाखाओं में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए।
 - उच्चतम न्यायालय ने संविधान की धारा 14 का हवाला देते हुए कानून के समक्ष समानता के उल्लंघन के संदर्भ में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए हैं।
 - ऐसा कहां गया था कि ग्रामीण बैंक के सैनिकों एवं कमांडिंग ऑफिसर को महिला अधिकारियों से समस्याएं हो सकती हैं इसलिए उन्हें हाई कमीशन से दूर रखा जाता था। शारीरिक सीमितता के तर्क को भी यह कहकर कि विश्व की कई सेनाओं में महिलाएं अधिकारियों के रूप में स्थाई कमीशन प्राप्त कर रही हैं, खारिज कर दिया गया।।
 - इसने महिला अधिकारियों के उन प्रतिबंधों को भी हटा दिया है जिन्हें केवल कर्मचारियों (गैर युद्ध) की नियुक्तियों में सेवा देने की अनुमति है, जो निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण एवं दरगामी पहल है।

- इसका अर्थ है कि महिला अधिकारी पुरुष अधिकारियों के बराबरी पर, सभी कमांड नियुक्तियों की पात्र होंगी, जिससे उनके लिए उच्च पदों पर पदोन्ति के लिए रास्ते खुलेंगे— यदि महिला अधिकारियों ने केवल कर्मचारी सेवा की होती, तो वे कर्नल रेंक से आगे नहीं जा पाती हैं।

महत्व —

- उच्चतम न्यायालय के निर्णय का महत्व दो गुना है। पहला, यह 21 वीं सदी के भारत में महिलाओं की समानता का पूर्ण समर्थन है, एवं गहराई से पैठ बनाई हुई पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं मजबूत संस्थागत पूर्वाग्रहों के खिलाफ है। इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि रुढ़िवादी विचारों एवं महिला विरोधी मानदंडों को धार्मिक अधिनायकवाद की शक्तियों द्वारा 'भारतीय' संस्कृति का नाम पर पूरे देश में धकेला जा रहा है।
- दूसरा, भले ही इस मुद्दे पर पीठ द्वारा सीधे विचार नहीं किया जा रहा था, फिर भी इसने 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को कमान नियुक्तियां खोलने का फैसला किया जहां सेना ने सहमति व्यक्त की है कि वे स्थायी रूप से कमीशन अधिकारी के रूप में काम कर सकती हैं। यह सेना में वास्तविक एवं ठोस बदलाव को मजबूर करेगा। सेना को न केवल कमांड नियुक्तियों को बढ़ावा देने के लिए अपने नियमों को बदलने के लिए मजबूर किया जाएगा, बल्कि महिला अधिकारियों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने एवं नियुक्तियों को आयोजित करने के लिए पथों में व्यापक बदलाव लाने होंगे।
- भारतीय एयरफोर्स, जिसमें महिला अधिकारियों का अनुपात सबसे अधिक है एवं जिसने पहले से ही महिलाओं के प्रवेश के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, में अधिकतम प्रभाव होगा।
- निर्णय के निहितार्थ सेना के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग को वहन करना होगा, जिनके पालन के लिए नीति में बदलाव करना होगा।

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (असिस्टेंट रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी – एआरटी) विनियमन विधेयक

समाचार —

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (असिस्टेंट रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी – एआरटी) विनियमन विधेयक को मंजूरी दी।

- विधेयक प्रजनन सहायता सेवाओं, जैसे कि इन-विट्रो निषेचन (आईवीएफ), कृत्रिम गर्भाधान और सरोगेसी प्रदान करने में शामिल क्लीनिकों के नियमन के लिए है।
- संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- यह राष्ट्रीय बोर्ड आचार संहिता को लागू करेगा और क्लीनिकों और बैंकों द्वारा नियोजित किए जाने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण और विशेषज्ञ जनशक्ति के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करेगा।
- विधेयक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस को बनाए रखने और राष्ट्रीय बोर्ड को इसके कामकाज में सहायता करने के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।
- यह यौन चयन, मानव भ्रुण या युग्मकों की बिक्री, और ऐसी गैरकानूनी प्रथाओं के पीछे कार्यरत एजेंसियों/रैकेट/संगठनों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव करता है।
- सबसे महत्वपूर्ण, विधेयक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा, यहां तक कि जेल के समय की भी सिफारिश करता है।
- भ्रुण की बिक्री और तस्करी में लिप्त लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें सलाखों के पीछे भी डाला जा सकता है।
- यह विधेयक बच्चों के लाभ के लिए, जेनेटिक दोषों को पहचानने में मदद करने के लिए परीक्षणों का संचालन करने का इरादा रखता है, जिसे प्री-जेनेटिक इम्प्लांटेशन परीक्षण कहा जाता है।

विधेयक का महत्व —

- एआरटी सेवाओं को विनियमित करने की आवश्यकता मुख्य रूप से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाने के लिए है।
- विधेयक इच्छुक जोड़ों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा और बच्चे के अधिकारों की रक्षा करेगा।

आगे का रास्ता —

- साथ में, एआरटी बिल, सरोगेसी बिल, गर्भावस्था अधिनियम की चिकित्सा समाप्ति के लिए संशोधन, और पुराने प्री-कंसेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एकट कानून का एक गुलदस्ता पेश करते हैं, जिससे भारत में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और विकल्पों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कृत्रिम (सरोगेट) माँ

समाचार –

- राज्य सभा की 23 सदस्यीय चयन समिति ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019 में 15 बदलावों का सुझाव दिया। इस विधेयक को अभी राज्य सभा द्वारा पारित किया जाना है।

समिति द्वारा सुझाव

- कोई भी करीबी रिश्तेदार या महिला जो 'इच्छुक' है, सरोगेट मदर बन सकती है।
- इसने सरोगेट मदर को 'करीबी रिश्तेदार' होने के प्रतिबंध को हटा दिया है, जो वास्तव में सरोगेट माताओं की उपलब्धता को सीमित करता था।
- 'बांझपन' की परिभाषा – 'असुरक्षित संभोग के पांच साल बाद तक गर्भ धारण करने में असमर्थता' को इस आधार पर कि यह एक दंपति को बच्चे की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय है, हटा दिया गया है।
- इस प्रावधान के साथ, जरूरतमंद व्यक्ति गर्भावधि सरोगेसी की आवश्यकता वाले चिकित्सा संकेत के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी समय सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।
- वकालत की कि 35 से 45 वर्ष की आयु में विधवा या तलाकशुदा की तरह एकल भारतीय महिला 'को भी सरोगेसी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।
- यह देखते हुए कि सरोगेसी की प्रक्रिया से चिकित्सा जटिलताओं और स्वास्थ्य संबंधी खतरों, पोस्ट-पार्टम (प्रसव के बाद) और मां को आर्थिक और स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित रखने का जोखिम है, समिति ने 16 महीने से 36 महीने तक बीमा कवरेज में वृद्धि की मांग की।
- भारतीय मूल (PIO) के व्यक्ति सरोगेसी बोर्ड से सिफारिश का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद देश में सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।
- परोपकारी सरोगेसी की परिभाषा में संशोधन ताकि पोषण संबंधी आवश्यक भोजन और मातृत्व आदि पर 'अन्य निर्धारित खर्च' को कवर किया जा सके। यह सरोगेट मां की भलाई और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण है।
- सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के हित की रक्षा के लिए, समिति ने सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले बच्चे के माता-पिता और हिरासत के संबंध में आदेश सरोगेट बच्चे का जन्म शपथ पत्र होगा।

- चूंकि एआरटी बिल मुख्य रूप से तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा पहलुओं से संबंधित है, जो कि सरोगेसी बिल में निहित भ्रूण, युग्मक, डिब, आदि के भंडारण पर भी लागू होता है, इसे सरोगेसी (विनियमन) विधेयक से पहले लिया जाना है।
- समिति की अन्य सिफारिशों सरोगेसी बोर्ड पर विशेषज्ञों की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन साल तक प्रस्तावित करने तथा उपयुक्त अधिकारियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पर्याप्त रूप से उच्च रैंक के अधिकारी होने, से संबंधित हैं।
- समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के उचित अधिकारियों से सरोगेसी की संख्या, सरोगेसी कलीनिक और नेशनल बोर्ड ऑफ सरोगेसी से संबंधित सभी पहलुओं पर एक उचित डेटाबेस विकसित करने के लिए डेटा प्रस्तुत करने को कहा, जो देश में सरोगेसी की निगरानी और विनियमन में मदद करेगा।

CALL TO RECONSIDER PROPOSAL



Committee's questions for couples

- | | |
|---|--|
| ► What was the total cost of the process? | ► Were you allowed to choose your surrogate? |
| ► Who put you in touch with the surrogate – agent or hospital? | |
| ► Were you allowed to visit the surrogate during the course of pregnancy? | ► Where was the surrogate living during the process? |

Surrogacy as a treatment option is necessary in India with about 15% of married couples being infertile. It is essential to have a legislation, which is contemporary and progressive – Dr Samit Sekhar | JOINT PRESIDENT, ALL INDIA SOCIETY FOR THIRD PARTY ASSISTED REPRODUCTION

SOME OF THE ELIGIBILITY CRITERIA FOR COUPLES INTENDING TO COMMISSION SURROGACY

- | | |
|---|--|
| ► Must be a close relative of the surrogate mother. But the law does not define the term 'close relative' | ► Should be Indian citizens married for five years |
|---|--|

कारावास सुधार

- सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों की स्थिति में सुधार के लिए सुझावों की सिफारिश करने के लिए 2018 में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जिसमें भीड़भाड़ को कम करने के तरीके शामिल थे।
- यह समिति न्यायमूर्ति अमिताव रॉय (रिटायर्ड) की अध्यक्षता में थी और इसने 5 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

भीड़भाड़ के लिए सिफारिशें

- विशेष रूप से फास्ट-ट्रैक अदालतों को विशेष रूप से उन छोटे अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए जो पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं।
- ऐसे अभियुक्त जिन पर छोटे अपराध का आरोप है और जिन्हें जमानत दी गई है, लेकिन जो जमानत की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, उन्हें व्यक्तिगत मान्यता (पीआर) बॉन्ड पर रिहा किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील होना चाहिए।
- उन मामलों में स्थगन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां गवाह मौजूद हैं और याचिका की अवधारणा (जिसमें अभियुक्त कम सजा के लिए अपराध स्वीकार करता है) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

कैदियों के लिए

- हर नए कैदी को जेल में अपने पहले सप्ताह के दौरान उसके परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए एक मुफ्त फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए।
- कैदियों को प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना और कैदियों को व्यावसायिक कौशल और शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाना।
- परीक्षण के लिए वीडियो-कॉन्फ्रैंसिंग का उपयोग।
- अदालतों से कहा जा सकता है कि वे अपनी 'विवेकाधीन शक्तियों' का उपयोग करें और अपराधियों को जेल भेजने के बजाय यदि संभव हो तो 'जुर्माना या चेतावनी' देकर छोड़ दें।

रिक्तियों को भरना

- सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी रिक्तियों के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा जाए और यह प्रक्रिया एक साल में पूरी हो।

भोजन के लिए

- आधुनिक खाना पकाने की सुविधा और कैंटीन।

भारतीय जेलों की स्थिति

- जेलों का प्रबंधन संविधान के सातवें अनुसूची के अनुसार, विशेष रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है।
- प्रत्येक राज्य में, जेल प्रशासनिक मशीनरी उन प्रमुखों के अधीन काम करती है जो एक वरिष्ठ रैंक के आईपीएस अधिकारी हैं।
- जेल विभाग में, औसत स्टाफ की कमी, बारहमासी 30 से 40 प्रतिशत की है।
- इससे मॉडल जेल मैन्युल और विभिन्न जेल सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा पड़ती है।
- 2016 से 2018 तक, जेल की स्वीकृत क्षमता में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले भारत में कुल जेल की आबादी 8.2 प्रतिशत बढ़ी है।
- भारत में कैदियों की कुल आबादी 3.83 लाख की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले 4.68 लाख थी।
- 30 नवंबर, 2018 तक भारत में केवल 1,341 जेल ही कार्यात्मक थे।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, सिविकम, मेघालय और दिल्ली की जेलों में अधिवास दर 150 प्रतिशत है।
- 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 में प्रकाश डाला गया है कि 2016 के अंत में जेल में 4,33,033 लोग थे।
- जेलों में कुल लोगों में से 68 प्रतिशत ऐसे थे जिन पर मुकदमा चल रहा था।
- यह बताता है कि रिमांड की सुनवाई के दौरान समग्र जेल आबादी में उपक्रमों का उच्च अनुपात अनावश्यक गिरफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता का परिणाम हो सकता है।
- जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक (या) रोकथाम निरोध कानूनों के तहत आयोजित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- रसोई में भोजन की तैयारी 'आदिम और कठिन' है। किचन घुटन भरे तथा और अस्वास्थ्यकारी हैं और भोजन सालों से एक जैसी ही बनी हुई है।

'पदोन्नति में आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है'

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोटा प्रदान करने के लिए राज्य कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं और उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है।
- शीर्ष अदालत ने अजा/ अजजा समुदायों को आरक्षण दिए बिना सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2012 की अधिसूचना की वैधता के संबंध एक मामले के दौरान फैसला दिया। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को रद्द कर दिया था और सरकार से निर्दिष्ट श्रेणियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कहा था।
- अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश को पलट दिया और राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा।

उच्चतम न्यायालय का पक्ष –

- इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण का दावा करना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। अदालत द्वारा राज्य सरकारों को आरक्षण प्रदान करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4) राज्यों को ऐसे आरक्षण करने की शक्ति देते हैं लेकिन तभी यदि राज्य की राय में वे राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो ही।
- यह तय है कि राज्य को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, राज्य पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण करने के लिए बाध्य नहीं है।
- राज्य सरकारें इस तरह के प्रावधान करने में अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती हैं, बशर्ते कि यह सरकारी रोजगार में इन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाने वाला डेटा एकत्र करे।
- राज्य को अदालत में चुनौती दी जाती है तो आरक्षण प्रदान करने के अपने निर्णय को सही ठहराना होगा।

- हालांकि, राज्य सरकार को आरक्षण के प्रावधान करते समय भी डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, न कि तब जब सरकार कोटा उपलब्ध नहीं कराने का निर्णय लेती है।
- भले ही सार्वजनिक सेवाओं में एससी/एसटी के अल्प-प्रतिनिधित्व को अदालत के ध्यान में लाया जाता है, आरक्षण प्रदान करने के लिए अदालत द्वारा राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

भारतीय राजनीति में अपराधीकरण

समाचार –

- भारतीय राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उन कारणों को भी, जिनके आधार पर संदिग्ध अपराधियों को सभ्य नागरिकों की तुलना में प्राथमिकता दी गई है।
- शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट नहीं देने के लिए कहने पर किए गए एक प्रस्ताव की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय

- उच्चतम न्यायालय (2018) के अनुसार, आपराधिक तत्वों से राजनीति को साफ करना राजनीतिक दलों को शुद्ध करने के साथ शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे भारत के लोकतंत्र के केंद्रीय संस्थान हैं। इस मुद्दे पर ऐतिहासिक निर्णय इसी श्रंखला में आया है।
- सूचना को स्थानीय और राष्ट्रीय अखबार के साथ-साथ पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडल में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- यह अनिवार्य रूप से उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह, जो भी पहले हो, से पहले प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- निर्णय केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर पार्टियों पर लागू होता है।
- जनवरी 2020 में, उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आपराधिक विरोधी लोगों के साथ टिकट नहीं देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा किए गए एक प्रस्ताव की जांच करने पर भी सहमति व्यक्त की।

- बैंच ने एक संयुक्त प्रस्ताव लाने पर सहमति व्यक्त की जिसमें कहा गया कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपराधिक नेताओं के साथ पार्टियों की सांठगांठ नहीं हुई है।
- वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि संसद के 46 प्रतिशत सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड है।
- 2017 में, उसने केंद्र से अपने उम्मीदवारों विशेष रूप से राजनेताओं के खिलाफ लगाए गए लंबित आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करने के लिए को कहा।
- 2018 में इसने राजनीतिक दलों से अपने उम्मीदवारों पर लगाए गए लंबित आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करने के लिए कहा।
- 2013 में, भारत के लिली थॉमस बनाम संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8 (4) असंवैधानिक है, जो सांसदों और विधायकों को सजा के खिलाफ पद पर बने रहने की अनुमति देता है।
- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2013 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उन मतदाताओं के लिए जो किसी भी उम्मीदवार को चुनना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर 'उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा)' का विकल्प होना चाहिए।

विश्लेषण

- राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत है लेकिन कुछ व्यावहारिक मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित वेबसाइटों और स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के बारे में उन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दें, जिनके पास आपराधिक पूर्ववृत्त हैं। कितने लोग वेबसाइटों तक पहुँचने में सक्षम हैं? साथ ही, उम्मीदवार और राजनीतिक दल दोनों को जानकारी को प्रचारित करना आवश्यक है।
- सांसदों की आवश्यकता के संदर्भ में देखा जाए तो फैसला भारी निराशा के रूप में सामने आया है।
- जब कार्यकारी और विधायिका अपना काम करने के लिए तैयार नहीं थे तब न्यायिक सक्रियता ने इस देश को कई बार बचाया है।
- यह न्यायपालिका का एक सक्रिय उपाय है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए।
- दूसरी ओर, आदेश प्राकृतिक न्याय और शक्तियों को अलग करने के सिद्धांतों के अनुरूप है।

- हालांकि, राजनीति में अपराधीकरण को कम करने से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने से पहले चुनावों में लगाने वाले अत्यधिक धन के बारे में भी सोचना चाहिए।

चिकित्सा उपकरणों को दवाओं का दर्जा प्राप्त

समाचार –

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 में बदलावों को अधिसूचित किया।
- यह नियम चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत दवाओं की तरह विनियमित करने के लिए बनाया गया है।
- मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि मानव या जानवरों में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम (डी एंड सीए), 1940 की धारा 3 के तहत ड्रग्स 'के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे।
- यह नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।
- चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 भी जारी किए गए। नियम 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।
- ड्रग्स और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर देश की सर्वोच्च सलाहकार संस्था, ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) ने अप्रैल 2019 में सिफारिश की थी कि सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत दवाओं के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

नियमों में अधिसूचित बदलाव

- चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 मनुष्यों और जानवरों में रोग या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम में आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए इच्छित उपकरणों पर लागू होते हैं।
- चिकित्सा उपकरण (संशोधन) नियम, 2020 के लिए केंद्रीय ड्रास स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 'केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ' इन उपकरणों के ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- यह पंजीकरण 18 महीने की अवधि के लिए स्वैच्छिक है, जिसके बाद यह अनिवार्य होगा।
- इसका मतलब यह होगा कि भारत में निर्मित या आयात किए जाने से पहले हर मेडिकल डिवाइस को गुणवत्ता आश्वासन देना होगा।

- उद्देश्य सभी चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करना है ताकि वे गुणवत्ता के कुछ मानकों को पूरा कर सकें।
- इसके अलावा यह चिकित्सा उपकरण कंपनियों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए जवाबदेह भी बनाएगा।
- अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र के लिए 2 महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद है –
 - उनकी कीमतें अधिनियम के अनुसार शासित होंगी, और
 - 'उल्लंघन' के मामले में, उन्हें कानून की अदालत में दंडित किया जा सकता है।

आगे का रास्ता –

- CDSO चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं से संबंधित शिकायतों की जांच करने का नोडल प्राधिकरण होगा। यह फर्मों के पंजीकरण या लाइसेंस को रद्द कर सकता है।
- यह निर्णय छोटे और सीमांत खिलाड़ियों को प्रभावित करेगा, मुख्य रूप से असंगठित, चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के कम सूल्य वाले उच्च मात्रा खंड में।
- हाई-टेक डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेक्टर में बड़े खिलाड़ियों का दबदबा है और यह कम से कम प्रभावित होगा।
- हालांकि यह समय के अनुसार सकारात्मक कदम है, फिर भी कई उच्च जोखिम वाले उपकरणों को विनियमित करने से पहले एक लंबा समय लगेगा।
- चिंता जताई जा रही है कि नियम बहुत कठोर हैं और किसी भी गैर-अनुरूपता को अधिनियम के तहत किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अपने विवेक से आपराधिक माना जा सकता है।
- चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के बीच एक अंतर है, इसलिए उन दोनों के लिए एक ही नियमक ढांचा लागू करना एक गंभीर गलती होगी।
- इन जटिल उपकरणों को विनियमित करने के लिए एक लक्षित और अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- भारत में सरकारी निकायों और न्यायपालिका में ऐसे कठिन और बहुपक्षीय मुद्दों को संभालने की क्षमता का अभाव है।
- इसलिए, भारतीय संदर्भ में इस उद्योग को विनियमित करने के लिए और नवीन विचारों की आवश्यकता है।
- सभी उपकरणों के विनियमन के दायरे का विस्तार करना उपकरणों को शामिल करने वाली सुरक्षा आपदाओं की बढ़ती संख्या के क्षण में पर्याप्त नहीं है।

- इसलिए, नए चिकित्सा उपकरणों अधिनियम को तैयार करने के लिए एक दबाव की आवश्यकता है।


देश में प्रत्येक 100 आंगनवाड़ी लाभार्थियों में, केवल 7 शहरी क्षेत्रों में हैं।

समाचार –

- सूचना के अधिकार (RTI) प्रश्न पर सरकार की प्रतिक्रिया के अनुसार, देश में प्रत्येक 100 आंगनवाड़ी लाभार्थियों में, केवल 7 शहरी क्षेत्रों में हैं।
- यह शहरी क्षेत्रों में एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के खराब कवरेज को दर्शाता है।
- जबकि देश में आंगनवाड़ी योजना के कुल 7.95 करोड़ लाभार्थी थे, केवल 55 लाख शहरी आंगनवाड़ियों में पंजीकृत थे।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के तहत छह सेवाओं का पैकेज प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ियों या डे-केयर केंद्रों की स्थापना की जाती है।
- सेवाओं में पूरक पोषण, प्री-स्कूल गैर-औपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, साथ ही रेफरल सेवाएं शामिल हैं।
- योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर और बाल कुपोषण को कम करना है।
- लाभार्थियों में छह महीने से छह वर्ष की आयु के बच्चे, और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं।
- देश भर में लगभग 13.79 लाख आंगनवाड़ियाँ हैं, जिनमें से 9.31 लाख केंद्र सरकार की वेब-सक्षम डेटा प्रविष्टि प्रणाली से जुड़े हैं।
- सरकार की वेब-सक्षम डेटा प्रविष्टि प्रणाली को रैमिड रिपोर्टिंग सिस्टम कहा जाता है।
- जिन आंगनवाड़ियों पर ऑनलाइन नजर रखी जा सकती है, उनमें से 1.09 लाख केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं और शेष 8.22 लाख देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
- राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016–18 में पाया गया कि पांच वर्ष से कम आयु के 35 प्रतिशत बच्चे अविकसीत और 17 प्रतिशत क्लांत थे।
- यह भी पाया गया कि 5–9 वर्ष के आयु वर्ग के 22 प्रतिशत बच्चे अविकसीत और 23 प्रतिशत उनकी उम्र के अनुसार पतले थे।
- शहरी क्षेत्रों में बच्चों में मोटापा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक था।

आगे को राह

- नीति आयोग ने शहरी क्षेत्रों में ICDS कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एक मसौदा तैयार करने का प्रारूप तैयार किया है।
- प्रारूप को प्रवासन, जनसंख्या धनत्व और लाभार्थियों के लिए शामिल लें आवागमन जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।



ड्रग तस्करी का मुकाबला करने पर बिम्सटेक देशों के सम्मेलन

समाचार —

- भारत ने 'ड्रग तस्करी का मुकाबला करने' पर पहली बार बिम्सटेक देशों के सम्मेलन की मेजबानी की।
- सम्मेलन 13–14 फरवरी 2020 के बीच दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया था।
- इसके द्वारा, भारत इस क्षेत्र के भीतर नए रास्ते के अग्रदूत के रूप में काम करेगा।
- यह ड्रग तस्करी से निपटने के लिए समाधान खोजने के लिए ऐसे ही अन्य प्लेटफार्मों पर अन्य राष्ट्रों को लाने में मदद करेगा।
- ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए संघीय एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- सम्मेलन 2018 में नेपाल के काठमांडू में चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा इस संदर्भ में की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है।
- बदलते ड्रग-ट्रैफिकिंग परिदृश्य में, एशियाई देश ड्रग ट्रैफिकिंग और बिम्सटेक से प्रभावित हो रहे हैं।

- दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होने के नाते, यह वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सबसे प्रभावी प्लेटफार्मों में से एक है।
- संयुक्त राष्ट्र की विश्व ड्रग रिपोर्ट में कहा गया है कि 15–64 वर्ष की आयु के बीच वैश्विक जनसंख्या का 5 प्रतिशत नशीले पदार्थों और अवैध दवाओं के उपयोग का आदी है।
- भारत में, पिछले 5 वर्षों में, 1.89 लाख से अधिक नारकोटिक्स मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम —

- केंद्र सरकार ने राज्य के साथ-साथ केंद्र की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से सोची-समझी रणनीति बनाई है।
- ड्रग तस्करी पर निगरानी बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की है।
- मंत्रालय ने दवा डेटा के डिजिटलीकरण के लिए एक ई-पोर्टल भी शुरू किया है जिसका उपयोग विभिन्न दवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है।
- भारत मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति का पालन करता है।
- मंत्रालय भोपाल में दवा कानूनों को लागू करने के बारे में NCB अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने वाला है।
- इस वैश्विक खतरे से लड़ने के लिए, भारत ने अब तक 26 द्विपक्षीय समझौतों, 15 समझौता ज्ञापनों और अन्य देशों के साथ 2 सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत ने अवैध दवा व्यापार में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की रणनीति तैयार की है।
- इसके अलावा, भारत सरकार ने नशीले पदार्थों और अवैध दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए बी 2 बी कंपनियों के पंजीकरण के बारे में अधिसूचना जारी की है।

सम्मेलन का महत्व –

- इस सम्मेलन से नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए नए समाधान उत्पन्न होंगे।
- बिम्सटेक के राष्ट्र अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से प्रभावित हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराधों और आतंकवाद इस सम्मेलन का उपयोग अपनी जड़ों से बुराई को समाप्त करने में समन्वित रणनीतियों को तैयार करने के लिए कर सकते हैं।
- ‘नेबरहुड फर्स्ट’ एवं ‘एक्ट ईस्ट’ ‘नीतियों को मजबूत करेगा।
- पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, समय की आवश्यकता है।
- मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं और कई तटीय राज्य भी संवेदनशील हैं और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रवेश द्वारा बन सकते हैं।

वर्ल्डवाईड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर सूचकांक (WEFF) 2019 रिपोर्ट

समाचार—

- द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्डवाईड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर (WEFF) 2019 इंडेक्स एवं रिपोर्ट जारी की गई।
- रिपोर्ट और सूचकांक Yidan Prize Foundation द्वारा कमीशन किए गए थे।
- इंडेक्स में छात्रों को कौशल—आधारित शिक्षा से लैस करने के लिए उनकी क्षमताओं के आधार पर रैंक दी जाती है।
- ऐकिंग तीन श्रेणियों पर आधारित है नीति वातावरण, शिक्षण वातावरण और समग्र सामाजिक-आर्थिक वातावरण।
- रिपोर्ट कौशल आधारित शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से ‘महत्वपूर्ण सोच, समस्या-समाधान, नेतृत्व, सहयोग, रचनात्मकता और उद्यमशीलता, साथ ही साथ डिजिटल और तकनीकी कौशल जैसे क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करती है।’
- फिनलैंड ने सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
- इसके बाद स्वीडन दूसरे तथा न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर था।
- 2019 में भारत को 53 के कुल स्कोर के साथ 35 वें स्थान पर रखा गया है।
- 2018 में, भारत का स्थान 40 वां था।

- भारत की स्थिती में सुधार का श्रेय 2019 में शुरू और प्रकाशित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दिया जाता है।
- नीति में भविष्य-उन्मुख कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच, संचार और उद्यमिता का उल्लेख किया गया है।
- सूचकांक में सबसे नीचे के तीन राष्ट्र केन्या (48 वें), नाइजीरिया (49 वें) और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (50 वें) थे।

चुनौतियां –

- उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण के अवसर का उपयोग करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्षमता।
- भारत उच्च शिक्षा के लिए एक प्रसंदीदा स्थान होना चाहिए।
- इसलिए, ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम के तहत, इंड-सैट को एशियाई और अफ्रीकी देशों में आयोजित करने का प्रस्ताव है।
- इसका उपयोग उन विदेशी उम्मीदवारों की बैंचमार्किंग के लिए किया जाएगा जो भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं।
- विकेंट्रीकृत शिक्षा प्रणाली – भविष्य के कौशल विकास से संबंधित नीतिगत लक्ष्यों को अक्सर अच्छी तरह से नीचे की ओर फिल्टर नहीं किया जाता है जो कि अमेरिका और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में एक समस्या है।

दुनिया के बच्चों भविष्य

समाचार –

- WHO के एक आयोग, UNICEF और द लांसेट द्वारा ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट जारी की गई।
- रिपोर्ट ने 180 देशों की क्षमताओं का आकलन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके युवा जीवित रह सकें और विकसित हो सकें।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थायी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा में संभावित अनुमानों के बारे में यथार्थवादी धारणाओं के तहत, मॉडल यह अनुमान लगाते हैं कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक प्रति वर्ष 39.7 गीगा-टन से घटाकर 22.8 गीगा-टन प्रति वर्ष करने की आवश्यकता है।
- इससे वैश्विक तपन को 1.5° सेल्सियस से कम रहने की 66 प्रतिशत संभावना है।
- यह कहा गया कि दुनिया का अस्तित्व बच्चों के फलने-फूलने में सक्षम है, लेकिन कोई भी देश उन्हें स्थायी भविष्य देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- बच्चे विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन और वाणिज्यिक विपणन से तत्काल खतरे में हैं, जो पिछले एक दशक में बेहद बढ़ गया है।

स्टेनेबिलिटी रैंकिंग एंड फ्लोरिशिंग रैंकिंग (स्थिरता सूचकांक एवं उत्कर्ष रैंकिंग)

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत स्थिरता सूचकांक में 77 वें स्थान पर है।
- यह सूचकांक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को दर्शाता है।
- भारत फ्लोरिशिंग रैंकिंग में 131 वें स्थान पर है जो बच्चों के अस्तित्व और कल्याण के सर्वोत्तम अवसर को मापता है।
- नॉर्वे उत्तरजीविता, स्वारक्ष्य, शिक्षा और पोषण दर के लिए तालिका का नेतृत्व करता है – जिसके बाद दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड और सोमालिया सबसे नीचे आते हैं।

- हालांकि, प्रति व्यक्ति कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन को ध्यान में रखते हुए, ये शीर्ष देश नॉर्वे 156 वें, कोरिया गणराज्य 166 वें और नीदरलैंड 160 वें स्थान पर हैं।
- तीनों में से प्रत्येक अपने 2030 लक्ष्य की तुलना में 210 प्रतिशत अधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब 10 सबसे खराब उत्सर्जनकर्ताओं में से हैं। सबसे कम उत्सर्जक बुरुंडी, चाड और सोमालिया हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, अल्बानिया, आर्मेनिया, ग्रेनाडा, जॉर्डन, मोल्दोवा, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, उरुग्वे और वियतनाम, 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रति व्यक्ति लक्ष्यों को पूरा करने की पटरी पर थे।

बच्चों पर विपणन (एडवर्टाइजमेंट) का प्रभाव –

- रिपोर्ट में हानिकारक विपणन से बच्चों को होने वाले खतरे को भी उजागर किया गया है।
- साक्ष्य बताते हैं कि कुछ देशों में बच्चे एक ही वर्ष में अकेले टेलीविजन पर 30,000 से अधिक विज्ञापन देखते हैं, जबकि दो साल में अमेरिका में ई-सिगरेट विज्ञापनों से युवाओं के जोखिम में 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसकी संख्या 24 मिलियन युवाओं तक पहुंच सकती है।
- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और अमेरिका तथा अन्य देशों में किए गए अध्ययन से पता चला है कि स्व-विनियमन ने बच्चों के लिए विज्ञापन देने की व्यावसायिक क्षमता में बाधा नहीं डाली है।

- यह कहा गया है कि जंक फूड और शर्करा युक्त पेय पदार्थों के व्यावसायिक विपणन के लिए बच्चों का जोखिम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खरीद और अधिक वजन और मोटापे से जुड़ा हुआ है, बचपन के मोटापे में खतरनाक वृद्धि के लिए इन पदार्थों का विपणन जिम्मेदार है।
- 1975 में मोटे बच्चों और किशोरों की संख्या 11 मिलियन से बढ़कर 2016 में 124 मिलियन हो गई – 11 गुना वृद्धि, गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक लागतों के साथ।

सुझाव

- बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेखक बच्चों द्वारा और उनके द्वारा संचालित एक नए वैश्विक आंदोलन का आवान करते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस ग्रह पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, सतत विकास को प्राप्त करें, बच्चों और किशोरों को वैश्विक प्रयासों के केंद्र में रखकर विशिष्ट अनुशंसाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अत्यंत आग्रह के साथ रोकना होगा।
- बाल स्वास्थ्य और अधिकारों की दिशा में काम करने के लिए सभी क्षेत्रों में नई नीतियां और निवेश।
- नीतिगत निर्णयों में बच्चों की आवाज को सुनना।
- हानिकारक वाणिज्यिक विपणन के राष्ट्रीय विनियमन को मजबूत करना जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए एक नए वैकल्पिक प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित है।

अमेरिका—भारत संबंध

समाचार –

- डोनाल्ड ट्रम्प, यूएसए के राष्ट्रपति एवं मेलानिया ट्रम्प यूएस की पहली महिला, अपनी बेटी एवं दामाद के साथ, 36 घंटे की आधिकारिक यात्रा के लिए भारत आए।
- दिल्ली एवं वाशिंगटन ने हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की, जहां उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसके दौरान उन्होंने तीन समझौता ज्ञापनों को शामिल किया, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा एवं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं एक्सॉन के बीच सहयोग का पत्र शामिल था।

- उन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप (CGSP), जिसमें रक्षा, सुरक्षा सहयोग एवं चतुष्कोणीय बातचीत के साथ इंडो-पैसिफिक के पुनरोद्धार जैसे मुद्दे शामिल होंगे, का अमलीजामा पहनाने का इरादा जताया।

रक्षा –

- 3 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के रक्षा सौदे के तहत, भारत 24 एमएच –6OR सीहॉक एवं एच – 64 ई अपाचे हेलीकॉप्टर सहित अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदेगा।
- दोनों रक्षा सहयोग के 'प्रारंभिक निष्कर्ष' के लिए तत्पर हैं बुनियादी विनियम एवं सहयोग समझौते (BECA) सहित समझौतों को सक्षम करना।
- अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश के लिए समर्थन की 'बिना किसी देरी के' पुष्टि की।

व्यापार –

- यूएसए ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का प्रस्ताव किया है, जिसमें जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस (जीएसपी) के तहत कुछ भारतीय निर्यातों को कम या शून्य शुल्क के लाभ की बहाली एवं एक दूसरे के कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच शामिल होगी।
- व्यापार नीति फोरम को एफटीए के सुचारू निर्धारण की सुविधा के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- जबकि किसी व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, दोनों देश एक बड़े सौदे के लिए बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हुए।

बुनियादी ढांचे का विकास

दोनों ने ब्लू डॉट नेटवर्क की अवधारणा एक बहु-हितधारक पहल जो वैश्विक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज को एक साथ लाएगी, में रुचि व्यक्त की।

आतंक

- उन्होंने हक्कानी नेटवर्क एवं तहरीक-ए-तालिबान को पाकिस्तान (टीटीपी) में उन आतंकी समूहों की सूची में शामिल किया, जिनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत है।

- सभी रूपों में सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए, उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि इसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों को शुरू ना करने को 'सुनिश्चित करने के लिए' कहा एवं 26/11 मुंबई एवं पठानकोट सहित ऐसे हमलों के अपराधियों से त्वरित रूप से न्याय करने के लिए कहा।
- दोनों पक्षों ने, अफगानिस्तान में अफगान नेतृत्व एवं स्वामित्व वाली शांति एवं सुलह प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में हिंसा की समाप्ति के साथ स्थाई शांति स्थापित हो सके, आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों का उन्मूलन एवं पिछले 18 वर्षों के लाभ के संरक्षण का समर्थन किया।

कश्मीर मुद्दा –

- यूएसए अध्यक्ष ने यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने की अपनी पेशकश दोहराई।
- हालांकि, भारत ने कहा कि यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मामला है एवं इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई गुंजाईश नहीं है।

अन्य –

- दोनों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नार्को-आतंकवाद एवं संगठित अपराध जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने के लिए एक नए तंत्र पर भी सहमति व्यक्त की है।
- ऊर्जा सौदे के अलावा, दोनों पक्षों ने मानसिक स्वास्थ्य, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के क्षेत्रों में तीन संधि पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों ने बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर एक व्यापक समझौते के साथ आने का फैसला किया है।
- दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र को सहयोगात्मक रूप से विकसित करने के लिए चर्चा की।
- अमेरिका एवं भारत ने जापान, अमेरिका, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया से मिलकर चतुर्भुज पहल को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया।
- दोनों पक्षों ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में एक आचार संहिता बनाने के लिए आसियान क्षेत्र के प्रयासों पर ध्यान दिया।

विकासशील देशों की सूची

समाचार –

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत को विकासशील देशों की अपनी सूची से हटा दिया।
- दरअसल अमेरिका इन विकासशील देशों की इस सूची में शामिल देशों को व्यापार में कुछ विशेष छूट देता था जिससे अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंच रहा था।
- नई सूचियों में 36 विकासशील देश और 44 विकसित देश शामिल हैं।
- यूएसटीआर ने ब्राजील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना को काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) जांच के लिए कार्यप्रणाली के तहत विशेष प्राथमिकताएं देना भी रद्द कर दिया।
- यूएसटीआर ने कहा कि पिछला मार्गदर्शन जो 1998 में वापस आया था 'अब अप्रचलित है'।
- अमेरिका ने भारत को जी-20 सदस्य होने और विश्व व्यापार में 0.5 प्रतिशत या उससे अधिक का हिस्सा होने के कारण सूची से हटा दिया।
- सीवीडी जांच के संबंध में अधिमान्य उपचार अमेरिका की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) योजना के अंतर्गत आता है।
- इस कदम ने जीएसपी के तहत अमेरिका के साथ अपनी व्यापार वार्ता के तहत अधिमान्य लाभों को बहाल करने में सक्षम होने के कारण भारत को इससे अलग किया है, क्योंकि केवल विकासशील देश इसके लिए पात्र हैं।
- वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2018 में 1.67 प्रतिशत थी। वैश्विक आयातों में, यह 2.57 प्रतिशत थी।
- इसके अलावा, जी-20 इंडिया का एक हिस्सा 12,375 डॉलर से नीचे प्रति व्यक्ति GNI होने के बावजूद एक विकसित देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत पर प्रभाव

- भारत 10 फरवरी तक, विकासशील देश की सूची में था और इसलिए इन और अधिक आरामदायक मानकों के लिए पात्र था।
- भारत अब विकासशील देशों की सूची में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका को सीवीडी जांच करने की अनुमति देता है।

- सीधीडी कानून अमेरिका को अन्य देशों की व्यापार नीतियों की जांच करने की अनुमति देते हैं ताकि यह तय हो सके कि वे अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- यदि जांच में पाया जाता है कि भारत की नीतियां निर्यातकों को अमेरिका में अपने उत्पादों को कम दर पर बेचने की अनुमति देती हैं, तो अमेरिकी प्रतिवाद शुल्क लगा सकते हैं, जिससे भारतीय माल अमेरिकी बाजारों में अधिक महंगा हो सकता है।
- अमेरिका के साथ भारत के समग्र आउटबाउण्ड व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव होने के बावजूद, आभूषण, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और कृषि उत्पादों जैसे विविध क्षेत्रों में भारत से विशिष्ट निर्यात उच्च लागत और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है।

यूएस-तालिबान समझौता

समाचार –

- अमेरिका द्वारा लड़े गए सबसे बड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए तालिबान से किए गए शांति समझौते को पूर्ण करने के लिए अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाया है।
- अमेरिका एवं तालिबान ने कठर की राजधानी दोहा में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता अफगानिस्तान में 40 वर्षों के गृहयुद्ध एवं विदेशी कब्जे के बाद शांति, स्थिरता एवं प्रगति स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है।
- शांति समझौते के लगभग एक सप्ताह पहले से ही तालिबान, अफगान राष्ट्रीय सेना एवं अमेरिकी नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं ने एक-दूसरे के खिलाफ एक विश्वास-निर्माण चिन्ह के रूप में हमले करने से परहेज किया।

विश्लेषण –

- शांति समझौते से उम्मीद है कि यदि तालिबान अफगानिस्तान में शांति की गारंटी ले तो अमेरिकी सैनिकों की क्रमिक गिरावट के लिए एक समय सारिणी निर्धारित की जाएगी।
- हालांकि, अमेरिकी सैनिकों की पूर्ण वापसी, इस बात पर निर्भर करेगी कि राष्ट्रपति अशरफ गनी – जिसे तालिबान ने एक अमेरिकी कठपुतली के रूप में कहकर खारिज कर दिया है – की सरकार के साथ बातचीत शुरू करने में तालिबान की कितनी इच्छा है?

- यह एक निर्विचार बात है कि शांति समझौते के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों का बाहर निकलना वाशिंगटन द्वारा अमेरिका में एक चुनावी वर्ष में एक अविश्वसनीय विदेश नीति की उपलब्धि के रूप में महिमामंडित किया जाएगा। हालांकि, यह सौदा इस बात पर बहुत अधिक टिका हुआ है कि अंतर-अफगान वार्ता कैसे आगे बढ़ती है, एक प्रक्रिया जिसमें अमेरिका का नियंत्रण बहुत कम है।

पाकिस्तान का हस्तक्षेप

- अगस्त 2017 में राष्ट्रपति ट्रम्प की अफगान रणनीति की घोषणा एवं अमेरिकी-पाक में मित्रता की फिर से शुरुआत के बाद, अमेरिकी कूटनीतिक एवं लगातार वित्तीय दबाव में सितंबर 2019 में इस्लामाबाद के विदेश मंत्री की अमेरिकी यात्रा के बाद संबंधों ने तालिबान को वार्ता की मेज पर पहुंचा दिया। इस्लामाबाद ने इस उपलब्धि का पूरा श्रेय लिया है।
- फिर भी, पाकिस्तान तालिबान के बीच शांति वार्ता में अपने पत्ते कैसे खेलेगा यह काबुल सरकार के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगा।

सामान्य अध्यायन !!!

(प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव-विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रबंधन)

रेपो दरें 5.15 प्रतिशत पर पहुंचाई गई

समाचार –

- भारिबा ने वित्त वर्ष 2015 के लिए अपनी छठी द्विमासिक बैठक में रेपो दरों को, लगातार 135 आधार अंकों द्वारा पांच बार काटने के बाद, 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।
- रेपो दर वह दर है जिस पर भारिबा वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है एवं अधिकांश बैंकों के लिए अपनी उधार दरों को तय करने के लिए एक बैंचमार्क के रूप में कार्य करता है। रेपो दर में कटौती का अनुवाद उधार दरों में कमी के रूप में होता है। लेकिन दर संचरण पूर्व में खराब रहा है अर्थात बैंकों में रेपो दरों की तुलना में उधार दरों में प्रर्याप्त कमी को नहीं दर्शाया है।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने नीतिगत रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है इसका लक्ष्य विकास को पुनर्जीवित करने के लिए जब तक आवश्यक है, मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित करना है।

- भारिबा ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के महेनजर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
- 2020–21 की पहली छमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के लिए 5.0–5.4 प्रतिशत का द्रष्टिकोण रखा गया है।
- इसने रेपो दर, 5.15 प्रतिशत पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की पूँजी के विस्तार की एक राह बनाई है।
- होम, ऑटो एवं एमएसएमई ऋण जो कि 31 जनवरी से 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाए गए हैं, के लिए बैंकों को कैश रिजर्व अनुपात (सीआरआर) को बनाए रखने से छूट दी गई है, जो अब शुद्ध मांग एवं समय देनदारियों का 4 प्रतिशत है।
- एमपीसी ने 2019–20 में 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया।
- नीतिगत दर एवं मौद्रिक रुख को अपरिवर्तित रखने के लिए आरबीआई के कदम से मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने एवं वृद्धि को समर्थन प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति की दर में तेज वृद्धि ने मौद्रिक नीति दर में कटौती को विवश किया है।

आगे की राह –

- यदि पॉलिसी दर में 135–आधार बिंदु कटौती के बावजुद विकास को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है, एवं कर के सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है, तो समय की आवश्यकता अधिक संरचनात्मक सुधार की है।
- मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर होने के साथ, दर में एक और कटौती की संभावना धूमिल है। भारिबा मांग एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों को कम रखने के लिए एलटीआरओ जैसे अपरंपरागत तरीकों का उपयोग कर रहा है। आगे के उपाय डेटा आधारित होने की संभावना है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

समाचार –

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश को तकनीकी वस्त्रों में एक वैशिक नेता के रूप में स्थान देने की दृष्टि से, 1480 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक कुल चार वर्षों की होगी।

विवरण –

टेक्निकल टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल का फ्यूचरिस्टिक एवं अच्छे अवसरों वाला सेगमेंट है, जिनका इस्तेमाल कृषि, सड़क, रेलवे ट्रैक, स्पोर्ट्सवियर, हेल्थ से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट, फायर प्रूफ जैकेट, हाई एलटीट्यूड कॉर्षेट गियर तथा स्पेस एप्लिकेशन के लिए किया जाता है।

समाजिक स्वास्थ्य के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

समाचार –

- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के आवेदन में गिरावट आई है अतः मृदा स्वास्थ्य कार्ड के शुभारंभ के पांचवें वर्ष में योजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया गया। देश भर में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8–10 प्रतिशत एवं उत्पादकता में 5–6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधान मंत्री ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना शुरू की थी।
- इस योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मृदा में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।
- यह योजना पैदावार में वृद्धि से किसानों को अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती है तथा टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देती है।
- इसने किसानों को मृदा स्वास्थ्य मापदंडों को समझने एवं मिट्टी के पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग द्वारा इसकी उत्पादकता में सुधार करने में सक्षम बनाया है।
- देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए योजना शुरू की गई है।
- यह किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है एवं साथ ही मृदा स्वास्थ्य एवं इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें देता है।
- एसएचसी चरण—I (वर्ष 2015 से 2017 तक) 10.74 करोड़ कार्ड वितरित किए गए।
- दूसरे चरण में, पिछले दो वर्षों में किसानों को 11.69 करोड़ एसएचसी वितरित किए गए हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एसएचसी जारी करता है।

- वित्त वर्ष 2019–20 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक पायलट परियोजना, ‘मॉडल गांवों का विकास’ भी कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, यह परियोजना सासंद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाय) से अलग है, जिसे अक्टूबर 2014 में गांवों के सामाजिक-आर्थिक एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था।

बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास – 2020

समाचार –

- दुसरी बंगाल की खाड़ी इनीशीएटिव मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) आपदा प्रबंधन अभ्यास 11–13 फरवरी, 2020 के बीच भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया।
- अभ्यास के दूसरे संस्करण का लक्ष्य विरासत संरचनाओं के संरक्षण पर है।
- अभ्यास का उद्देश्य प्रमुख प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिसूचना, तैयारियों एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रक्रियाओं का परीक्षण करना है।
- इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार एवं नेपाल जैसे देशों ने भाग लिया जबकि अन्य दो सदस्य देशों भूटान एवं थाईलैंड ने अभ्यास में भाग नहीं लिया।
- अभ्यास में भाग लेने वालों में अन्य वैशिक संस्थाएँ जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह (INSARAG), संरक्षण के केंद्र एवं पुनर्स्थापन सांस्कृतिक संपत्ति का अध्ययन केंद्र (ICCROM) आदि शामिल हैं।
- बिम्सटेक डीएमएक्स के पहले संस्करण को 2017 में भारत द्वारा भी आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र की तैयारियों का परीक्षण करने एवं आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्रीय संसाधनों की तत्काल तैनाती के लिए अंतर-सरकारी सहभागिता / संवाद / समझौतों के प्रभावी सक्रियण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

विशेषताएं –

- अभ्यास सदस्य राज्यों के लिए मौजूदा क्षमताओं का मूल्यांकन करने, सर्वोत्तम आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रथाओं को साझा करने, आपातकालीन तैयारियों में सुधार करने एवं क्षेत्रीय प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने, आपदाओं के समय सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संदर्भ में जोखिम मूल्यांकन करने एवं परीक्षण करने के लिए एक मंच प्रदान करना चाहता है।
- बहुअंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय एजेसियों को शामिल करने वाले आपदा परिदृश्य में हितधारकों का समन्वय भी इसका लक्ष्य है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) अपनी सेना की क्षमता का निर्माण विरासत स्थलों पर पहले उत्तरदाता की भूमिका निभाने के लिए कर रहा है, जो पूरे भारत में भूकंप, बाढ़, चक्रवात एवं सुनामी जैसी आपदाओं की चपेट में हैं।
- हाल ही में नेपाल में आए भूकंप (2015) में हुए नुकसान की पृष्ठभूमि में, गुजरात भूकंप (2001) में विरासत स्थलों को नुकसान, आपदाओं के दौरान उनकी सुरक्षा एवं एनडीआरएफ कर्मियों की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

प्रौद्योगिकी समूह

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सशक्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन को मंजूरी दे दी है।
- इस नए गठित प्रौद्योगिकी समूह में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के साथ 12 सदस्य होंगे।
- इस समूह की भूमिका** – यह समूह नवीनतम तकनीकों पर समय पर नीति सलाह प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैटिंग। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित दोहरी उपयोग प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण। चयनित प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए एक स्वदेशीकरण रोड मैप विकसित करना। एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए अग्रणी उचित अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का चयन करना।
- प्रौद्योगिकी समूह के काम के तीन स्तंभ –**
 - नीति समर्थन
 - खरीद समर्थन
 - अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों पर समर्थन

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मुद्दे –

- प्रौद्योगिकी समूह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निम्नलिखित 5 समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है –
 - प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साइलो-केंट्रिट दृष्टिकोण।
 - प्रौद्योगिकी मानक या तो विकसित या लागू नहीं हुए हैं, जिससे उप-इष्टतम औद्योगिक विकास हो रहा है।
 - दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से व्यावसायीकरण नहीं किया जा रहा है
 - अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों से जुड़े नहीं हैं।
 - समाज एवं उद्योग में अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की आवश्यकता।

प्रौद्योगिकी समूह यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है –

- भारत के पास सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास एवं भारतीय उद्योग के सतत विकास के लिए नवीनतम तकनीकों के प्रभावी, सुरक्षित एवं संदर्भ के लिए उपयुक्त नीतियां एवं रणनीतियाँ हों।
- क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं एवं रणनीतियों पर सरकार को सलाह देना।
- भारत भर में उपलब्ध एवं विकसित किए जा रहे प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों के अद्यतन मानचित्र को बनाए रखना।
- चयनित प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशीकरण रोडमैप विकसित करना।
- सरकार को अपने प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता एवं खरीद रणनीति पर सलाह देना।
- सभी मंत्रालयों एवं विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को नीति में इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करने तथा डेटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के पहलुओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं इसके लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का दृष्टिकोण विकसित करता है।
- विश्वविद्यालयों एवं निजी कंपनियों के साथ क्रॉस-सेक्टर सहयोग एवं अनुसंधान गठजोड़ को प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों / प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की स्थिरता के लिए नीतियां तैयार करना। तथा
- अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को लागू करने के लिए मानक एवं आम शब्दावली तैयार करना।

भारतीय जीनोम परियोजना (जीआईपी)

समाचार –

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 238 करोड़ रुपये के भारतीय जीनोम परियोजना (जीआईपी) को मंजूरी दे दी है।
- इसका उद्देश्य अंतः विविध भारतीय आबादी वाले रोगों एवं लक्षणों के प्रकार एवं प्रकृति को पूरी तरह से समझने के लिए, भारतीय 'संदर्भ जीनोम' की एक ग्रिड का निर्माण करना है।
- जीआईपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट (एचजीपी 1990–2003) से प्रेरित है, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसने पूरे मानव जीनोम को डिकोड करने का नेतृत्व किया।
- इस महत्वाकांक्षी जीन-मैपिंग परियोजना में 20 प्रमुख संस्थान शामिल होंगे, जिनमें बैंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) एवं कुछ SITs शामिल हैं।
- आईआईएससी का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एक स्वायत्त संस्थान है, जो परियोजना के नोडल बिंदु के रूप में काम करेगा।
- इसमें शामिल संस्थान परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे, जिसमें नैदानिक नमूने प्रदान करना एवं अनुसंधान में सहायता करना शामिल है। कुछ आईआईटी गणना के नए तरीकों के साथ मदद करेंगे, जो नई योजनाओं को बजट में करने के लिए आवश्यक हैं।
- पहले चरण में एक भारतीय प्रतिनिधि जीनोम प्राप्त करने के लिए, भारत भर से 10,000 नमूनों को इकट्ठा करने के बाद मेंगा प्रोजेक्ट से ग्रिड बनाने की उम्मीद है।

महत्व –

- जीआईपी भारत के लिए जैव प्रौद्योगिकी, कृषि एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रगति एवं सीमा बनाने का अवसर प्रदान करता है।
- इस परियोजना को भारत की विशाल आनुवांशिक विविधता की सतह पर 'पहली खरोंच' के रूप में वर्णित किया गया है।
- कहा जाता है कि यह परियोजना अपने पैमाने एवं विविधता के कारण दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वपूर्ण है एवं यह आनुवांशिक अध्ययनों में विविधता लाएगी।
- भारत के आनुवांशिक पूल की विविधता का मानचित्रण वैयक्तिकृत चिकित्सा का आधार होगा एवं इसे वैशिक मानचित्र पर रखा जाएगा।

- यह स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा एवं जीवन विज्ञान में नई क्षमताएँ सक्षम करेगा।
- जीआईपी मरीजों के जीनोम के अनुसार व्यक्तिगत दवा के विकास, रोगों की आशंका एवं उपचार को संशोधित करने में मदद करेगा।
- कीट एवं अन्य मुद्दों पर पौधों की संवेदनशीलता के आनुवंशिक आधार की बेहतर समझ कृषि में रसायनों पर निर्भरता को कम कर सकती है।
- वैश्विक विज्ञान भी दुनिया के सबसे विविध जीन पूल में से एक में मानचित्रण परियोजना से लाभान्वित होगा।

चुनौतियाँ –

- जीआईपी चिकित्सा नैतिकता, राजनीतिक दुरुपयोग आदि से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है।
- यह डॉक्टरों को निजी तौर पर जीन संशोधन करने का जोखिम देता है जबकि इसका उद्देश्य केवल आनुवंशिक जानकारी का डेटाबेस बनाना है।
- डेटा गोपनीयता विधेयक के पारित होने से पहले GIP को शुरू करना समस्याओं का एक और सेट हो सकता है, क्योंकि डेटा की गुमनामी एवं इसके संभावित उपयोग एवं दुरुपयोग के सवालों पर विचार करना होगा करना होगा।
- आनुवंशिकता एवं नस्लीय शुद्धता के प्रश्न सभ्यताओं से संबंधित है, एवं जीनों के अधिक वैज्ञानिक अध्ययन एवं उन्हें वर्गीकृत करने से रुद्धियों को मजबूत किया जा सकता है एवं एक नस्लीय मोड हासिल करने के लिए राजनीति एवं इतिहास की अनुमति दी जा सकती है।
- भारत में, पहचान की राजनीति से विभाजित एक देश, आनुवंशिक समूहों के मानचित्रण में वैज्ञानिक कार्य, जाति की प्रचलित धारणा के आधार पर जातीय विभाजन को और मजबूत कर सकते हैं। जीनों का अध्ययन एवं उन्हें वर्गीकृत करना रुद्धियों को मजबूत कर सकता है एवं राजनीति एवं इतिहास को एक नस्लीय मोड हासिल करने की अनुमति देता है। भारत में बहुत सारी राजनीति अब इस बात की तर्ज पर है कि कौन “स्वदेशी” लोग हैं एवं कौन नहीं।

चीन पर हैकिंग के आरोप

समाचार –

- अमेरिका ने चीनी सेना के चार सदस्यों पर इकिवफैक्स क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के कंप्यूटर नेटवर्क में सेंध लगाने एवं दसियों लाख लोगों की निजी जानकारी चुराने का आरोप लगाया था लेकिन चीन ने अगले दिन किसी भी हैकिंग गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया है।
- अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि वह इंजीनियरिंग में इतिहास के सबसे बड़े हैक में से एक है जिसने कुछ 145 मिलियन अमेरिकियों के उपभोक्ता डेटा को लक्षित किया है।
- इकिवफैक्स प्रकरण में देश के अमेरिकी लक्ष्यों की कथित हैकिंग पर चीन के साथ अमेरिका की नवीनतम झड़प के निशान हैं। चीनी हैकर्स पर स्टील निर्माताओं, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता, एक होटल श्रृंखला एवं अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ करने का भी आरोप लगाया गया है।
- अमेरिका ने विश्व के नेताओं को चीनी दूरसंचार दिग्गज हुआवेई को अपने 5 जी सेलुलर नेटवर्क से इस चिंता से बाहर रखने की चेतावनी दी है कि कंपनी का गियर बीजिंग के जासूसी प्रयासों में मदद कर सकता है, जिसे हुआवेई ने नकार दिया है।
- लेकिन चीन ने यह कहकर अपना बचाव किया कि यह ‘किसी भी तरह के साइबर हमले का दृढ़ता से विरोध एवं मुकाबला करने के लिए’ प्रतिबद्ध है, यह कहते हुए कि यह साइबर सुरक्षा एवं इसके कट्टर रक्षक है संस्थाएं ‘व्यापार रहस्य के साइबर अपराध में कभी शामिल नहीं होती हैं।’
- वास्तव में, चीन ने उल्टा अमेरिका पर आरोपों लगाए थे जिसमें कहा गया था कि पिछली वर्षों में यह देखा गया है कि अमेरिका बड़े पैमाने पर अंधाधुंध साइबर, जासूसी एवं विदेशी गतिविधियों पर निगरानी सरकारें, उद्यम एवं व्यक्तियों पर नजर रखने जैसे कार्यों में संलग्न हैं।

सारोकार के मुद्दे

- घुसपैठ ने कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया एवं चीन की आक्रामक एवं परिष्कृत खुफिया जानकारी एकत्रित करने के तरीकों की साथ को धक्का लगा है।

- कंपनियों के पास अपने सिस्टम पर बहुत अधिक डेटा एवं जानकारी होती है। एक साइबर हमला प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी (जैसे पेटेंट या मूल काम) के नुकसान के कारण कर्मचारियों / ग्राहकों के निजी डेटा की हानि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप इकिवफैक्स की विश्वसनीयता कम होती है।
- इस चोरी ने न केवल इकिवफैक्स को महत्वपूर्ण वित्तीय क्षति पहुंचाई, बल्कि कई लाखों अमेरिकियों की गोपनीयता पर हमला किया, एवं उन पर पर्याप्त लागत एवं बोझ बढ़ाया क्योंकि उन्हें पहचान की चोरी से बचाने के लिए उपाय करना पड़े हैं।
- डेटा तक अनधिकृत पहुंच से देश पर गंभीर खतरे भी हो सकते हैं।

चिकित्सा डेटा लीक

समाचार –

- एक जर्मन साइबर सुरक्षा फर्म, ग्रीनबोन सस्टेनेबल रेजिलिएंस द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 120 मिलियन से अधिक भारतीय रोगियों के चिकित्सा विवरण लीक किए गए हैं एवं इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं।
- यह रिपोर्ट महाराष्ट्र को लीक से प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर रखती है, इसके बाद कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना एवं गुजरात हैं।
- पहली रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ग्रीनबोन ने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड्स की व्यापक डेटा लीक का खुलासा किया था, जिसमें सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई एवं यहां तक कि रोगियों की तस्वीरें भी शामिल थीं।
- पहली रिपोर्ट सामने आने के 60 दिनों के बाद, मरीजों की जानकारी को प्रभावित करने वाले डेटा ट्रावलों की संख्या 6,27,000 से बढ़कर 1.01 मिलियन हो गई, एवं यह कि मरीजों के विवरण की छवियां 105 मिलियन से बढ़कर 121 मिलियन हो गई।
- ग्रीनबोन की मूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रिसाव को इस तथ्य से सुगम बनाया गया था कि पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्प्युनिकेशंस सिस्टम्स (PACS) सर्वर, जहाँ ये विवरण संग्रहीत हैं, सुरक्षित नहीं हैं एवं बिना किसी सुरक्षा के सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिससे वे आसानी से मैलिक तत्वों तक पहुंच सकते हैं।

- अनुवर्ती रिपोर्ट, जिसे नवंबर 2019 में प्रकाशित किया गया था, में वर्गीकृत देशों पहली रिपोर्ट के बाद उनकी सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के आधार पर 'अच्छा', 'बुरा' एवं 'बदसूरत' श्रेणियां सार्वजनिक किया। यू.एस. के बाद भारत 'बदसूरत' श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

चिंता का विषय –

- रिसाव चिंताजनक है क्योंकि प्रभावित रोगियों में आम कामकाजी आदमी से लेकर राजनेता एवं मशहूर हस्तियां तक कोई भी शामिल हो सकता है। राजनीति या मनोरंजन जैसे छवि-संचालित क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ बीमारियों के बारे में ज्ञान उनकी छवि को बहुत बड़ा झटका दे सकता है।
- दूसरी चिंता विवरणों का उपयोग करके बनाई जा रही नकली पहचानों की है, जिसका किसी भी संभावित तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है।

SyRI - सिस्टम रिस्क इंडिकेटर

समाचार –

- दुनिया में पहली बार, नीदरलैंड की एक अदालत ने डेटा गोपनीयता एवं मानवाधिकारों की चिंताओं के कारण SyRI (सिस्टम रिस्क इंडिकेटर) नामक एक डिजिटल पहचान योजना को रोक दिया।
- SyRI को सामाजिक मामलों के डच मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था ताकि उन लोगों को बाहर निकाला जा सके जो धोखाधड़ी करने एवं सरकारी लाभ प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं।
- इसने सरकारी एजेंसियों को कल्याणकारी प्राप्तकर्ताओं के बारे में 17 श्रेणियों के डेटा को साझा करने की अनुमति दी जैसे कि करों, भूमि रजिस्ट्रियों, रोजगार रिकॉर्ड एवं वाहन पंजीकरण के साथ निजी कंपनी, जिसे 'द इंटेलिजेंस एजेंसी' कहा जाता है।
- इस कंपनी ने चार शहरों के डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक एल्गोरिद्म का उपयोग किया एवं जोखिम स्कोर की गणना की।
- चयनात्मक रोलआउट कम आय एवं आप्रवासी लोगों में किया गया था, जिसमें लाभार्थियों की संख्या अधिक है।
- उन्नत जोखिम अंक, प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों को भेजे गए थे, जो इन्हें अधिकतम दो वर्षों के लिए सरकारी डेटाबेस पर संग्रहीत करता है। सरकार, उस समयावधि में, लक्षित व्यक्ति पर जांच की शुरुआत कर सकती है।

योजना एवं क्रृक्षकेत्र पत्रिकाओं का सार

अदालतों द्वारा हाल के निर्णय –

- नीदरलैंड की अदालत ने कहा कि SyRI ने यूरोपीय मानवाधिकार नियमों तथा ईयु के जनरल डेटा प्रोटोकशन विनियमन (यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन) का उल्लंघन तथा इन नियमों द्वारा प्रदान की गई निजता का अतिक्रमण किया है।
- इसने इसे 'एल्गोरिदमिक शासन' का मामला कहा। क्योंकि एल्गोरिथ्म गरीबी एवं अप्रवासी स्थिति जैसे सामाजिक-आर्थिक मापदंडों को धोखाधड़ी के जोखिम से जोड़ देगा।
- इस तरह के अपारदर्शी एल्गोरिदम निर्णय लेने से नागरिकों को नुकसान हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप देश की लोकतांत्रिक विशेषताओं को खतरा हो सकता है।
- जबकि हेग जिला अदालत ने पाया कि धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए इस नई तकनीक का उपयोग स्वीकार्य था।

सरकार का बचाव –

- डच सरकार ने अदालत में कार्यक्रम का बचाव किया एवं दावा किया कि नई तकनीक ने दुरुपयोग को रोका एवं अंतिम निर्धारण के बजाय आगे की जांच के लिए केवल एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम किया।
- सामाजिक मामलों के डच मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वह आदेश का अध्ययन करेगा, और अभी प्रणाली को पूरी तरह से नहीं हटाएगा।

दुनिया भर में निहितार्थ –

- डिजिटल आईडी सिस्टम को केन्या, फिलीपींस, नाइजीरिया, मैक्सिको, इत्यादि जगहों पर तेज गति से चलाया जा रहा है।
- भारत में, इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के 'आधार' निर्णय ने आईडी के उपयोग पर सीमा तय की, हेग कोर्ट ने व्यक्तिगत गोपनीयता के साथ सामाजिक हित को संतुलित करने का प्रयास किया। हालाँकि, आधार निर्णय एल्गोरिथ्म निर्णय लेने से संबंधित नहीं था, यह डेटा संग्रह के बारे में था।
- भारत के प्रस्तावित पर्सनल डेटा प्रोटोकशन बिल (2019) में कई खामियां भी हैं जिनका यूएसए की तरह संभावित फायदा उठाया जा सकता है।

कौशल विकास एवं स्वास्थ्य –

- भारत ने एक दशक पहले अपनी स्वास्थ्य सुधार यात्रा शुरू की थी। भौगोलिक एवं आर्थिक रूप से विविध आबादी के लिए बढ़ती बीमारी के बोझ को दूर करने की आवश्यकता को ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मान्यता दी गई थी।
- अभी भी स्वास्थ्य सेवा प्रोफाइल, कौशल विकास, संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं एवं बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल एवं कमियों के संकेत देती है।
- कौशल विकास को प्रवीणता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से हासिल या विकसित किया जाता है। कौशल निर्माण को व्यक्ति को सशक्त बनाने एवं उसकी सामाजिक स्वीकृति या मूल्य में सुधार करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी देखा जा सकता है।

सांख्यिकी

- श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट, 2014 के अनुसार, भारत के औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का वर्तमान आकार केवल 2 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015 में NSDC द्वारा जारी एक रिपोर्ट में, 2022 तक भारत में लगभग 7.4 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होगी।
- हाल ही में, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एनएचपी) 2018 ने 31 मार्च, 2017 तक 5.8 मिलियन स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता की सूचना दी है। इसका मतलब है कि भारत में डॉक्टरों, नर्सों, दाइयों का संयुक्त घनत्व लगभग 30 : 10,000 लोग हैं, जो कि सीमा से काफी नीचे है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए इसे 44 : 10,000 होने की आवश्यकता है।
- एनएचपी 2017 ने स्वास्थ्य कार्यबल की कमी एवं असमान वितरण की चुनौतियों को मान्यता दी है, एवं देश में यूएचसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक के रूप में कुशल स्वास्थ्य मानव संसाधन की उपलब्धता एवं वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।

- नीति आयोग के 2018–2022 न्यू इंडिया स्ट्रेटेजिक प्लान @75 ने 2022–23 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 1.5 मिलियन नौकरियां बनाने का लक्ष्य रखा है।

हेल्थकेयर में कौशल विकास के पीछे अर्थशास्त्र

- यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य पर निवेश किए गए प्रत्येक डॉलर (या रुपये) पर 9 से 10 गुना आर्थिक रिटर्न देता है।
- 2016–17 में भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत था। इसलिए, वर्ष 2025 (एनएचपी 2017) द्वारा स्वास्थ्य के लिए सरकारी निवेश को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता, बेहतर आर्थिक विकास में योगदान कर सकती है।
- स्वास्थ्य रोजगार एवं आर्थिक विकास (ComHEEG) पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च–स्तरीय आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वास्थ्य कार्यबल में निवेश से कई सतत विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, जिसमें शामिल हैं –
एसडीजी 1 (गरीबी उन्मूलन),
एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण),
एसडीजी 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा),
एसडीजी 5 (लिंग समानता)
एसडीजी 8 (अच्छे काम एवं आर्थिक विकास)
स्वास्थ्य क्षेत्र के कौशल विकास पर निवेश पर वापसी स्पष्ट रूप से उच्च एवं वांछनीय है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौजूदा कमी को देखते हुए एवं स्किलिंग, री–स्किलिंग एवं अप स्किलिंग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत में कुशल स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता में सुधार के लिए धन में वृद्धि करके तत्काल तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

उपाय –

- निश्चित बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के साथ कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।
- हेल्थकेयर बाधाओं को दूर करने के लिए स्किल ऑन व्हील प्रकार की पहल का उपयोग किया जा सकता है।
- विशिष्ट डिग्री प्रोग्राम पेश करने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करना जो अग्रिम कौशल प्रदान करेगा।
- व्यावसायिक छात्रों के लिए विशेष रूप से 2 स्तर पर तुल्यता देकर पार्श्व गतिशीलता प्रदान करना ताकि वे स्नातक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें।

- व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली विभिन्न एजेसियों में मानक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन का निर्माण।
- व्यावसायिक संकाय एवं प्रशिक्षकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे इस शिक्षाशास्त्र को समझें।

हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल –

- विभिन्न रूपों में कौशल विकास (स्किलिंग, री–स्किलिंग एवं अप–स्किलिंग) किसी भी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिक।
- हेल्थकेयर सेक्टर स्किल काउंसिल (HSSC), को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत नॉन–फॉर–प्रॉफिट, नॉन–वैधानिक प्रमाणित संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।
- भारत ने आयुष्मान भारत कार्यक्रमों के माध्यम से दो घटकों – स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) एवं प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।
- एचडब्ल्यूसी के कार्यान्वयन में, नए मिड–लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स (MLHP) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, ‘कौशल’ कार्यक्रम की सफलता की कुंजी बन जाता है।

बेरोजगार युवा: भारत का 33 प्रतिशत कुशल युवा बेरोजगार है –

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017–18 के अनुसार, युवाओं के केवल एक छोटे वर्ग ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना दी, एवं उनमें से एक बड़ा हिस्सा या तो बेरोजगार था या श्रम बल से बाहर था।
- राष्ट्रीय स्तर पर, केवल 1.8 प्रतिशत लोगों ने 2017–18 में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना दी।
- 5.6 प्रतिशत ने अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना दी (जैसे वंशानुगत, स्व–शिक्षा एवं नौकरी प्रशिक्षण पर)।
- इसका मतलब है कि 93 प्रतिशत आबादी को औपचारिक या अनौपचारिक स्रोतों से कोई व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ।
- युवाओं (15–29 वर्ष) में आधे से अधिक लोग शामिल थे, जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

- लगभग 42 प्रतिशत युवा (15–29 वर्ष), जिन्होंने औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, वे श्रम बल का हिस्सा नहीं थे (यानी, वे काम नहीं कर रहे थे या रोजगार के अवसर नहीं तलाश रहे थे)।
- ऐसे युवा जिन्होंने इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था, 62.3 प्रतिशत श्रम बल से बाहर थे।

डॉ. के सिवन कार्यक्रम (इसरो, चेयरमेन तथा सचिव, डॉस) –

- कैलासवादिवु सिवन एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं।
- उन्होंने पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एवं तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया है।
- सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट (SITE)
- SITE 1975 में भारत में शुरू की गई एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार परियोजना थी, जिसे नासा एवं इसरो द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था।
- इस परियोजना ने ग्रामीण भारत को सूचनात्मक टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध कराया।
- SITE के दौरान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन एवं कृषि जैसे विषयों पर टीवी कार्यक्रमों को उपग्रह के माध्यम से (36,000 किमी उच्च भूस्थिर कक्ष में तैनात) किया गया।

सैटेलाईट इंस्ट्रक्शनल टेलिविजन एक्सपेरिमेंट –

- SITE एक प्रायोगिक संचार उपग्रह प्रोजेक्ट है जिसे 2004 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह पहला भारतीय उपग्रह है जो विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए बनाया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए एक संवादात्मक उपग्रह—आधारित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मांग को पूरा करना है।

ध्रुव –

- डीएचआरयूवी, प्रधान मंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने एवं उनके कौशल एवं ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
- प्रतिभाशाली बच्चों को देश भर में उत्कृष्टता के केंद्रों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा सलाह एवं पोषण किया जाएगा, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें।

- देश भर से आए बच्चों के साथ, डीएचआरयूवी कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है।

युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (युविका) 2020 –

- ISRO ने स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है जिसे वर्ष 2019 से "युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम" कहा जाता है।
- कार्यक्रम का दूसरा सत्र मई 2020 में आयोजित किया जाना है।
- कार्यक्रम मुख्य रूप से अंतरिक्ष गतिविधियों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवा लोगों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से है। इस प्रकार इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा जो हमारे राष्ट्र के भविष्य निर्माता है, के बीच जागरूकता पैदा करना है। इसरो ने इस कार्यक्रम को 'कैच देम यंग' नाम दिया है।

संवाद विद स्टूडेंट्स

- इसे इसके द्वारा इसके संवर्धित आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। छात्रों के साथ वैज्ञानिकों की बातचीत छात्र समुदाय के अंदर पड़ी जिज्ञासा एवं रचनात्मकता को जगाने में एक लंबा रास्ता तय करती है।
- संवाद विद स्टूडेंट्स पहल के माध्यम से, इसरो का लक्ष्य है कि वे अपने वैज्ञानिक स्वभाव को समझने के लिए भारत भर के युवाओं को लगातार संलग्न करें। नया वार्तालाप मिशन स्कूलों एवं कॉलेजों में कटने वाले छात्रों को प्रेरित करेगा।

जल एवं सफाई की अर्थव्यवस्था

समाचार –

- 2014 के बाद से, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने देश फैला दिया है एवं आज यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जाता है।
- वित्त मंत्रालय ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ दिया है।
- हाल ही में, आदिस अबाबा में हुई 'स्कैलिंग अप सैनिटेशन' बैठक में इथियोपिया, सेनेगल, नाइजीरिया सभी ने एसबीएम के माध्यम से स्वच्छता में भारत के खगोलीय लाभ पर ध्यान दिया।
- स्वच्छता में सुधार के लिए इन देशों की बड़ी अड्डचन का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें भारी निवेश करना उनके वित्त मंत्रालयों की अक्षमता थी।

- भारत में, अधिकांश धन करोड़ों गरीब एवं सीमांत घरों में शौचालय बनाने एवं व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की दिशा में खर्च किया गया है।
- टॉयलेट बोर्ड गठबंधन ने अनुमान लगाया है कि भारत में 2021 तक स्वच्छता एवं सेवा बाजार \$ 60 बिलियन हो जाएगा, जिससे नौकरियां पैदा होंगी एवं स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लागत कम होंगी।
- एसबीएम ने टॉयलेट हार्डवेयर एवं सामान के कई व्यवसायों के लिए विकास उत्पन्न किया है।
- इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता में निवेश से रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक एवं सामाजिक लाभ में उन्नति होती है।

तथ्य एवं डेटा –

- ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं।
- लगभग 55 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है।
- इसने खुले में शौच करने वाली आबादी को आधा करने में योगदान दिया है।
- यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि भारत में, स्वच्छता में निवेश 400 प्रतिशत की वापसी लाता है।
- यूनिसेफ के अध्ययन ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि एसएमबी ने 75 लाख से अधिक पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियां बनाई हैं।

अगला कदम –

- 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ओपन डिफेकेशन फ्री (ओडीएफ) होने की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह एक मील का पत्थर है तथा फिनिश लाइन नहीं है, एवं हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग शौचालय का उपयोग करना जारी रखें एवं कोई भी पीछे नहीं रहे।
- बजट 2020.21 में, एफएम ने 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता एवं ओडीएफ स्थिरता, जैव-अपव्यय योग्य अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रेवाटर प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 10,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है।
- स्वच्छता का अगला महत्वपूर्ण बुनियादी कदम, पाइप पानी होगा, इस प्रकार पीएम ने 2024 तक सभी घरों में पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की घोषणा की।
- इसके अलावा, सबसे बड़ा प्रोत्साहन ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 वें वित्त आयोग द्वारा 90,000 करोड़ के आवंटन का 50 प्रतिशत हिस्सा है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज – भारत की यात्रा

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में अपने भाषण में, पीएम मोदी ने स्वास्थ्य के लिए एक नई दृष्टि की बात की।
- भारत में स्वास्थ्य के लिए यह नई दृष्टि 4 स्तंभों पर आधारित है –
 - सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना,
 - गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में सुधार
 - मिशन मोड में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना।
 - निवारक स्वास्थ्य।
- पहले स्तंभ के तहत टीकाकरण, आयुर्वेद, योग एवं फिटनेस पर विशेष जोर दिया जाना है। इसमें ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में टीकों की पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
- सस्ती स्वास्थ्य सेवा के दूसरे स्तंभ के तहत, आयुष्मान भारत योजना ने कैशलेस माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल के लिए 5 लाख के कवर के साथ स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करने की मांग की है। इसके अलावा, सस्ती कीमत पर दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाओं को प्रदान करने के लिए 5000 विशेष फार्मसियों की स्थापना की गई है।
- तीसरा स्तंभ बुनियादी ढांचे के विकास एवं गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम चिकित्सा शिक्षा के विनियमन एवं प्रमाणन की एक नई प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा। यह छात्रों पर कई परीक्षाओं के बोझ को कम करेगा, शिक्षा की लागत में कमी लाएगा, प्रक्रियाओं को सरल करेगा एवं मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाएगा।
- चौथा स्तंभ विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है, मातृ, नवजात, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है।
- सरकार ने बच्चों एवं महिलाओं में एनीमिया एवं कृपोषण के मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन एवं पोशन अभियान शुरू किया है।
- इसके अलावा, एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन एवं 2022 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की कसम खाई है।

सरकार द्वारा किए गए कार्य –

1. ई-सिगरेट पर प्रतिबंध।
2. स्वच्छ भारत मिशन
3. आयुष्मान भारत मिशन
4. प्रधानमंत्री जन आरोग्य
5. स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

मजबूत इच्छाशक्ति का बजट में प्रभाव –

- स्वास्थ्य सेवा के लिए बजटीय आवंटन में पिछले वर्ष 62,000 करोड़ रुपयों की तुलना में 2020–21 में 69,000 करोड़ रुपयों तक की वृद्धि की गई।
- भारत 15–65 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या के साथ सबसे युवा देशों में से एक है।
- आवंटन ने कई योजनाओं को भी शामिल किया है जैसे कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जिसमें 5 नए टीके शामिल करके इसका विस्तार 12 बीमारियों तक कर दिया गया है।
- फिट इंडिया आंदोलन शुरू करने से गैर–संचारी रोगों से निपटने की भी प्रेरणा मिली है।
- स्वच्छ भारत एवं जल जीवन सभी को एवं सभी बड़ी बीमारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मजबूत किया गया है।
- पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, 20,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया।
- जनऔषधि केंद्र योजना 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं एवं 300 सर्जनों की पेशकश करने की।
- 2025 तक क्षय रोग को समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ – ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ अभियान शुरू किया गया।

चुनौतियां एवं अवसर –

- योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- अधिक सार्वजनिक अस्पतालों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- इसके प्रभाव को देश के सभी कमज़ोर समूहों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
- किसी भी तरह के कदाचार से बचने के लिए फ्रॉड एंड एब्यूज कंट्रोल मशीनरी को और शक्तिशाली करने की आवश्यकता है।

शिक्षा क्षेत्र के बजट का विश्लेषण –

- भारतीय शिक्षा क्षेत्र में कई बदलाव देखे गए हैं, समागम शिक्षा जैसी योजनाओं को मजबूत किया गया है एवं दूसरी ओर, आईआईटी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा से संबंधित संशोधनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस बजट में शिक्षा क्षेत्र पर 99,300 करोड़ एवं कौशल विकास पर 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- जिसमें से स्कूल शिक्षा के लिए 59,845 करोड़ रुपये एवं उच्च शिक्षा के लिए शेष 3,9,466 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
- वर्तमान आवंटन पिछले वर्ष से 5 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 2015 में पिछले 5 वर्षों में आवंटन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- नई शिक्षा नीति जल्द ही घोषित की जाएगी।
- राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने पुलिसिंग विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान एवं साइबर–फोरेंसिक में कोर्सेस के प्रस्ताव दिए हैं।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष–100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर पूर्ण ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम। इस तरह की पहल से हमें शिक्षा में वैशिक मानकों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी एवं सकल नामांकन दर में भी वृद्धि होगी।
- नए इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किए जाने वाली 1–वर्षीय इंटर्नशिप।
- बजट में मौजूदा जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड द्वारा मेडिकल कॉलेज संलग्न करने का प्रस्ताव है।
- स्वास्थ्य, एवं कौशल विकास मंत्रालयों द्वारा डिजाइन किए जाने वाले विशेष ब्रिज पाठ्यक्रम –
 - विदेशों में शिक्षकों, नर्सों, पैरा–मेडिकल स्टाफ एवं देखभाल करने वालों की मांग को पूरा करना तथा
 - कार्यबल के कौशल सेट तथा नियोक्ताओं के मानकों में समानता लाना
- मार्च 2021 तक अपरेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 150 उच्च शिक्षण संस्थान।
- ‘प्रतिभा पलायन’ के कारण असंतुलन को दूर करने के लिए, Ind&SAT ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है।

- प्रौद्योगिकी के वेतन के लिए वित्त वर्ष 2021 में 1,900 करोड़ रुपयों के साथ पिछले वित्त वर्ष के 1800 करोड़ रुपयों की तुलना में वृद्धि की गई है।
- राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान जैसे संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार DISHA पोर्टल को संशोधित करने का भी प्रयास कर रही है।

उत्तर-पूर्व के समग्र विकास में वृद्धि

- केंद्रीय बजट 2020-21 में क्षेत्र में आमूल-चूल बदलावों को शुरू किया गया है।
- 45 मिलियन की आबादी के साथ, क्षेत्र का 2/3 तक हिस्सा कृषि पर निर्भर है।
- गरीबी रेखा के नीचे भी लगभग 13.9 मिलियन लोग हैं।
- बजट में उत्तर एवं उत्तर-पूर्व में 5 पुरातात्त्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को 16,200 किमी से बढ़ाकर 27,000 किमी करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कैबिनेट द्वारा 5559 करोड़ रुपये का आवंटन शुरू किया गया है।
- वित्त मंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' के अनुरूप क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा है।

उद्योग की स्थिति

- कृषि क्षेत्र के लिए 16-बिंदुएंजेंडे के अनुसार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी अस्पतालों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, एवं नई शिक्षा नीति से रोजगार सृजन एवं कौशल विकास की सुविधा की संभावना है।
- सरकार ने 5 वर्षों के लिए ईएसओपी पर कर विराम के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप के योगदान को मान्यता दी है, 100 करोड़ टर्नओवर वाले स्टार्टअप के लिए कर युक्तिकरण की योजना भी है।
- निर्विक योजना की तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, लाभांश वितरण कर को हटाने एवं जीएसटी शासन के सरलीकरण के लिए उपाय किए गए हैं।
- NBFC ने MSME को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग स्कीम के माध्यम से चालान वित्तपोषण को सीमित करने में सक्षम किया है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस का एक एकीकृत खरीद चैनल के रूप में विस्तार करके अधिक विक्रेताओं को मंच पर लाया जाएगा।

- छोटे एनबीएफसी को अब ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करने की अनुमति दी गई है जो एनपीए को कम करने में लाभदायक होगा।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कराधान प्रस्तावों जैसे व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी, लाभांश वितरण कर को समाप्त करना, लाभांश पर कर छूट, बिजली उत्पादन कंपनियों को कर रियायतों का विस्तार एवं एमएसएमई के लिए कर अनुपालन में छुट बहुत फायदेमंद होगा।
- बजट में, आर्थिक विकास एवं कल्याणकारी समाज के विषय दिए गए हैं।
 - एस्प्रेशनल इंडिया:** यह उच्च मानकों के साथ जीवन जीने के लिए इसकी पहुँच सभी व्यक्तियों तक होनी चाहिए। जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तक पहुँच। ब्लू-इकोनॉमी, कुसुम, शून्य बजट प्राकृतिक खेती एवं अन्य जैसे 16 एकांश पॉइंट्स के साथ 2.83 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं।
 - आर्थिक विकास:** 2024 तक 4 साल के कार्यान्वयन की अवधि के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (नेशनल टेक्निकल टेक्सटाईल मिशन) स्थापित किया जाना है। स्टार्टअप्स के लिए प्रारंभिक जीवन निधि एवं बीज वित्तपोषण।
 - कल्याणकारी समाज** – पर्यटन क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिव सागर, धोलावीरा एवं आदिचन्नालुरु में पांच पुरातात्त्विक स्थल विकसित किए जाने हैं।
 - निर्यातकों** एवं सामान्य बीमाकर्ताओं दोनों के लिए तेजी से दावा-प्राप्ति के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं फायदेमंद होंगी।

कुछ नवीनतम रुझान –

- बजट प्राप्तियों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है।
- 10 प्रतिशत की नॉमिनल जीडीपी विकास दर
- 2.7 प्रतिशत पर राजस्व घाटे 2.4 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक होने का अनुमान है।
- पिछले बजट की तुलना में सरकारी खर्च 12.7 प्रतिशत अधिक है।

किसानों की प्रगति के लिए योजना –

- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कृषि, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को प्रस्तुत किया।
- हाल ही में सरकार ने मॉडल लैंड लीजिंग एकट, मॉडल कृषि विपणन एवं पशुधन अनुबंध कृषि अधिनियम जैसे कई सुधारकारी कार्य किए।

- उसने 100 जल-दुर्लभ जिलों के लिए व्यापक उपाय भी प्रस्तावित किए ताकि पानी फसलों की उत्पादकता को सीमित न करे। इसके लिए एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि 'हर खेत को पानी' के तहत कवरेज क्षेत्र में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
- 2018–19 के दौरान, सरकार ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों एवं शहर की खाद के लिए सब्सिडी में 7000 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
- कुसुम योजना को 20 लाख से अधिक किसानों तक पहुंचाने का प्रस्ताव दिया गया है, इस योजना से 15 लाख, अन्य किसानों को अपने पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने किसानों को अपने बंजर भूमि में पंप स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की।
- भारत में एग्री-वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, रेफर वैन सुविधाओं आदि की 162 मिलियन टन की अनुमानित क्षमता है। अब नाबार्ड उनके भू-टैगिंग का प्रयास करेगा।
- भारतीय खाद्य निगम के साथ रोप-वे द्वारा वेयरहाउसिंग सुविधाओं का एवं विस्तार प्रस्तावित किया गया है।
- ऐसे गोदामों के निर्माण के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी प्रस्ताव किया गया है।
- 2020–21 के बजट में, सरकार ने भारतीय रेलवे के साथ सहयोग करके खराब हो सकने योग्य खाद्य प्रदार्थों के लिए राष्ट्रीय शीत आपूर्ति शृंखला की शुरूआत करने की योजना बनाई है।
- एक विशेष किसान रेल शुरू की जाएगी एवं प्रशीतित डिब्बों को माल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़ा जाएगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूर्वोत्तर एवं अन्य दूरदराज के क्षेत्रों में मूल्य वसूली में सुधार करने में मदद करने के लिए कृषि उदयन का शुभारंभ करेगा।
- जैविक कृषि उत्पाद के विपणन का विस्तार करने के लिए, सरकार ने 'जैविकखेती पोर्टल' को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया है जो एक ऑनलाइन जैविक पोर्टल है।
- मछली उत्पादन को वर्तमान 140 लाख टन से बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- सरकार को 2024–25 तक मत्स्य निर्यात के 1 लाख करोड़ तक बढ़ाने की भी उम्मीद है।
- पशुधन के लिए कृत्रिम गर्भाधान को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी किया गया है।

- पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को कवर करने के लिए नाबार्ड पुनर्वित्त योजना का विस्तार किया जाएगा।

क्रेडिट एवं आवंटन –

- ई-एनएएम के साथ एकीकृत होने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कृषि ऋण लक्ष्य को पिछले वर्षों के 13 लाख करोड़ की तुलना में इस वर्ष 15 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के तहत गतिविधियों के लिए 22 लाख रुपये का आवंटन किया गया है।

उधारकर्ता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भुगतान –

- यह कहा जाता है कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के बिना कोई समुद्धि नहीं हो सकती है।
- पिछले 3 दशकों से, महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता सरकार की पहलों में सबसे आगे है।
- एक समावेशी विकास का लक्ष्य एक समावेशी समाज को प्राप्त करना है जो सभी प्रकार के मतभेदों को समायोजित करने में सक्षम हो।
- सशक्तीकरण केवल तभी प्राप्त होगा जब महिलाएं लैंगिक सशक्तीकरण को सार्थक लक्ष्य के रूप में समझेंगी।
- सशक्तीकरण बहुआयामी है एवं एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाएं संसाधनों में अधिक नियंत्रण एवं हिस्सेदारी हासिल करती हैं।
- 'भारत की देखभाल' विषय के तहत महिलाओं एवं बच्चों पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए रुपये 3,5,600 करोड़ की घोषणा की।
- उन्होंने यह भी कहा कि 6 लाख आंगनवाड़ियों को स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा, जो 10 करोड़ से अधिक घरों की पोषण स्थिति को सुधारेगा।
- सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सकल नामांकन अनुपात अब लड़कों की तुलना में अधिक है। प्राथमिक स्तर पर यह लड़कों के लिए 89.29 प्रतिशत की तुलना में 94.32 प्रतिशत एवं माध्यमिक स्तर पर लड़कों के 78 प्रतिशत की तुलना में 81 प्रतिशत है। उच्च माध्यमिक स्तर पर, लड़कों में 57.54 प्रतिशत की तुलना में लड़कियों ने 59.70 प्रतिशत हासिल किए।

- बजट में महिला एवं बाल विकास को 30,007 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो पिछले वर्ष के 3000 करोड़ रुपयों की तुलना में कहीं अधिक है।
- पोषण अभियान का बजट भी 3400 करोड़ से बढ़ाकर 3700 करोड़ कर दिया गया है।
- 2019 में वन-स्टॉप केंद्रों के लिए आवंटन भी 204 करोड़ से बढ़ाकर 2020 में 385 करोड़ कर दिया गया है।
- पीएम मातृ वंदना योजना के आवंटन को 2300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वरिष्ठ नागरिक

- वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए 9,500 करोड़ का ऐकेज प्रस्तावित किया गया है।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आय में 5 लाख तक की छूट दी गई है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) : भारत के लिए उपलब्ध अवसर एवं चुनौतियाँ

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), जिसे कभी—कभी मशीन इंटेलिजेंस कहा जाता है, मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है जो मनुष्यों की तरह सोचने एवं उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं।

- एआई में मनुष्यों के कम्प्यूटेशनल रूप से गहन, बौद्धिक एवं शायद रचनात्मक सीमाओं को पार करने की क्षमता है।
- इसलिए, यह विनिर्माण, कानून, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकार, कृषि, विपणन, बिक्री, वित्त, संचालन एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन, सार्वजनिक सेवा वितरण एवं साइबर सुरक्षा के भीतर नए अनुप्रयोगों के क्षेत्र खोलता है।

अवसर एवं उपयोग

शिक्षा क्षेत्र

- यह शिक्षकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रशासनिक कर्तव्यों के अभियान को स्वचालित कर सकता है।
- एआई को बुद्धिमान खेल—आधारित सीखने के वातावरण, ट्यूशन सिस्टम एवं बुद्धिमान कथा प्रौद्योगिकियों जैसी क्षमताओं की पेशकश करके शिक्षक की प्रभावशीलता एवं छात्र जुड़ाव में सुधार करने के लिए तैनात किया जा सकता है।

- विकसित देशों (भारत 2.4 / हजार बनाम यूके 6.3 / हजार) की तुलना में भारत में प्रति हजार छात्रों पर लगभग 50: कम शिक्षक हैं। इस परिदृश्य में, 1% दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है।

स्वास्थ्य

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल एवं अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिसमें बीमारी का पता लगाना, पुरानी स्थितियों का प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी एवं दवा की खोज शामिल है।
- भारत में प्रति हजार डॉक्टर—रोगी अनुपात 0.8 (यूके — 2.8, ऑस्ट्रेलिया — 5, चीन — लगभग 4) है।
- भारत में, डॉक्टर प्रति मरीज सिर्फ 2 मिनट खर्च करते हैं, जबकि अमेरिका में यह 20 मिनट के करीब है।

कृषि

- यह तापमान, वर्षा, हवा की गति एवं सौर विकिरण जैसे डेटा अंतर्दृष्टि को समझने में किसानों की मदद कर सकती है।
- मौसम पूर्वानुमान एवं बीमारी या कीट पहचान के लिए स्वचालित मशीन समायोजन जैसे अनुप्रयोगों में एआई का उपयोग किया जा रहा है।
- भारत में प्रति हेक्टेयर अनाज की उत्पादकता चीन एवं ब्रिटेन की लगभग आधी है (3000 किलोग्राम / हेक्टेयर बनाम 6000 किलोग्राम / हेक्टेयर)। कीटों एवं बीमारियों के कारण उत्पादकता नुकसान होता है।

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए एआई का उपयोग करना

- एआई संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन कर सकता है। इसके अलावा, एआई से छोटी एवं लंबी अवधि में वैश्विक उत्पादकता, समानता एवं समावेश, पर्यावरणीय परिणामों एवं कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने की उम्मीद है।
- यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की भविष्यवाणी करने, फसल रोगों का निदान करने एवं समय पर ढंग से कीटों की पहचान करने के लिए कृषि संबंधी तबाही की घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए संसाधन आवंटन में सहायता करके “शून्य गरीबी एवं शून्य भूख” (एसडीजी 2) को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

- SDGs जैसे 'स्वच्छ पानी' स्वच्छता "एवं" सस्ती स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऊर्जा एवं उपयोगिता मांग की भविष्यवाणी करने के लिए एआई आधारित सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रमुख सार्वजनिक नीति चुनौतियाँ –

- आचार विचार – कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नैतिकता के दो आयाम हैं— गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण, एवं मानव तथा पर्यावरण मूल्य
- लेखा परीक्षा एवं पारदर्शिता प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को उपयोगकर्ता को निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाना होगा ताकि एआई प्रणाली एक ब्लैक बॉक्स न रहे। इन एआई सिस्टमों को न केवल कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए फैसलों का एक ऑडिट ट्रेल प्रदान करना चाहिए, बल्कि हमें पिछले फैसलों के बारे में जानने एवं सुधार करने के लिए भी करना चाहिए।
- कानूनी मुद्दे एवं जवाबदेही एक बार जब मशीनें एआई से सुसज्जित होती हैं एवं स्वायत्त निर्णय लेती हैं, तो जवाबदेही का सवाल बहुत कठिन हो जाता है, एवं तब जब एल्गोरिदम डिजाइनर के लिए अज्ञात होता है तब और भी अधिक।
- डिजिटल डिवाइड एवं डेटा की कमी, चूंकि संपूर्ण एआई क्रांति का अपनी नींव में डेटा है, इसलिए कई समाजों के पीछे होने का एक वास्तविक खतरा है। अच्छे गुणवत्ता वाले डेटा वाले देशों एवं सरकारों को अधिकतम लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

क्षमता –

- भारत में 600 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं एवं 374 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ 1.18 बिलियन मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं।
- इसकी दुनिया में सबसे सस्ती डेटा दरें (\$0.24/GB) एवं 6 MBPS की औसत डेटा गति है।
- ये कारक भारत में एआई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बड़ी संभावनाएं खोलते हैं।

चुनौतियाँ –

- व्याख्यात्मकता का अभाव
- प्रासंगिक जागरूकता की कमी एवं सीखने की अक्षमता
- नौकरी के नुकसान
- मानकीकरण का अभाव

- एआई एवं मानव कार्यों को एक साथ सफलतापूर्वक सुनिश्चित करने के तरीके पर चुनौती
- भरोसे की कमी
- योग्यता का अभाव
- रि-स्किलिंग एवं अप-स्किलिंग श्रमिकों की आवश्यकता

नेत्रहीनों के लिए शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी –

19 वीं शताब्दी के अंतराल के अंत में, सामान्य नेत्रहीनों को शिक्षित करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। वर्ष 1887 में दृष्टिहीनों के लिए अमृतसर में एक सुविधा शुरू करने में मिस एनी शार्प, एक एंगिलकन की भूमिका थी।

नेत्रहीनों के लिए शैक्षिक सेवाओं का कालक्रम –

- 1887 – अमृतसर में नेत्रहीनों के लिए एक सुविधा शुरू की गई
- 1944 – लेपिटनेंट कर्नल सर क्लूट मैकेंजी ने अंधेपन पर जीओआई रिपोर्ट लिखने में एक प्रमुख भूमिका निभाई।
- 1947 – शिक्षा मंत्रालय में दृष्टिबाधितों के लिए एक इकाई स्थापित की गई
- 1951 – भारत ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए समान ब्रेल कोड अपनाया
- 1952 – भारत का पहला ब्रेल मुद्रण संयंत्र देहरादून में स्थापित किया गया
- 1954 – ब्रेल उपकरण विनिर्माण इकाई की स्थापना की गई
- 1959 – देहरादून में दृष्टिहीन बच्चों के लिए अपना पहला स्कूल स्थापित किया गया
- 1960 – नेत्रहीनों के शिक्षकों के लिए चार क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए
- 1974 – भारत ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (प्कब) शुरू की
- 1981 – इंटरनेशनल ओड डिसेबल पर्सन का पालन
- 1983–92 – विकलांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र का फैसला
- 2016 – विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम अधिनियमित

शिक्षा –


- विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाली समागम शिक्षा 'जैसी समग्र योजनाओं' के साथ, भारत ने समावेशी शिक्षा में एक भारी परिवर्तन देखा है। हालांकि, दृष्टिहीनों के बीच समानता हासिल करने के लिए देश को लंबा रास्ता तय करना है एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई संभावनाएं हैं।
- बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
 - आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) में यह प्रावधान है कि सभी निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल एवं बिना मान्यता वाले स्कूल कम से कम 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के बच्चों को स्वीकार करेंगे।
 - पढ़े भारत बढ़े भारत 'पूर्ववर्ती सर्व शिक्षा अभियान' (एसएसए) का एक उप-कार्यक्रम है जो स्कूली शिक्षा के संस्थापक वर्षों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई एकीकृत योजना समागम के तहत जारी है।
 - नवोदय विद्यालय योजना देश के प्रत्येक जिले में सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए एक जेएनवी खोलने का प्रावधान करती है।
 - मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 वर्तमान में विचाराधीन है। स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का पुनरीक्षण नई शिक्षा नीति के अंतिमकरण एवं अनुमोदन पर निर्भर करेगा।
 - मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने पांच वर्षीय दृष्टि योजना जारी की है शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशी कार्यक्रम (मफ्न्च)।
 - स्वयं 2.0, दीक्षारंभ एवं परामर्श इस विभाग की कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं।

प्रमुख भारतीय शैक्षिक सुधार एवं पहल –

- भारत की शैक्षिक प्रणाली में व्यापक रूप से स्कूली शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक), उच्च शिक्षा (सामान्य एवं व्यावसायिक) एवं व्यावसायिक शिक्षा शामिल है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) इस क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय है। क्षेत्र में मानकों को विनियमित करने एवं बनाए रखने में शामिल अन्य निकायों में एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई एवं एससीईआरटी शामिल हैं।

- प्रधान मंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम (डीएचआरयूवी) प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने एवं उनके कौशल एवं ज्ञान को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन, जिसे एनआईटीटीएचए – स्कूल प्रमुखों के लिए राष्ट्रीय पहल 'एवं शिक्षकों की समग्र प्रगति की शुरुआत की गई थी।
- देश के सभी स्कूलों से गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं समय पर सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, संशोधित UDISE लॉन्च किया गया है।
- विश्व के सबसे बड़े एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन में से एक – स्कूल शिक्षा शागुन 'स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग' की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों एवं वेबसाइटों के लिए एक जंक्शन बनाकर स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक शानदार पहल है।
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का लक्ष्य मार्च 2023 तक हर माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए दो स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराना है।
- 2017 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) 2.0 को शिक्षकों को डिजिटल मंच प्रदान करने एवं उन्हें स्वयं को प्रशिक्षित करने एवं शिक्षक समुदाय से जुड़ने का अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- पंचवर्षीय दृष्टि योजना शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेश कार्यक्रम।
- (EQUIP) पांच वर्षों (2019–24) से अधिक क्षेत्र में रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की शुरुआत करने का लक्ष्य रखता है।
- स्वयं 2.0 को शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों द्वारा 'स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए उन्नत सुविधाओं एवं सुविधाओं के साथ शुरू किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के दस संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के 10 संस्थानों को IoE घोषित किया जाना है। प्रत्येक IoE अगले 5 वर्षों के दौरान 1000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- दीक्षारम्भ – स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए एक गाइड लॉन्च किया गया है।

PROMINENT THEMES OF THE BUDGET



GOVERNANCE

STRUCTURAL REFORMS

IBC

- Honourable exit through IBC for companies.

GST

- 20 per cent reduction in turn around time for trucks.
- Benefit to MSMEs through enhanced threshold and composition limits.
- Savings of about 4 per cent of monthly spending for an average household.
- In last 2 years, 60 lakh new taxpayers added and 105 crore e-way bills generated

DIGITAL REVOLUTION

Shift to DBT

- During 2018-19, ₹7 lakh crore transferred through DBT.

Next wave

- Digital Governance.
- Improve physical quality of life through National Infrastructure Pipeline
- Disaster Resilience.
- Social Security through Pension and Insurance penetration.

INCLUSIVE GROWTH

- Governance guided by “Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas” with focus on:
 - Preventive Healthcare: Provision of sanitation and water
 - Healthcare: Ayushman Bharat
 - Clean energy: Ujjawala and Solar Power
 - Financial Inclusion, Credit support and Pension
 - Affordable Housing
 - Digital penetration

FINANCIAL SECTOR




- Deposit Insurance Coverage to increase from ₹1 lakh to ₹5 Lakh per depositor.
- Eligibility limit for NBFCs for debt recovery under SARFAESI Act proposed to be reduced to asset size of ₹100 crore or loan size of ₹50 Lakh.
- Proposal to sell balance holding of government in IDBI Bank.
- Separation of NPS Trust for government employees from PFRDAI.

- Specified categories of government securities would be opened for non resident investors
- FPI Limit for corporate bonds to be increased to 15 per cent.
- New debt ETF proposed mainly for government securities.




India is the 5th largest economy in the world in terms of GDP at current US \$ Trillion.




BUDGET AT A GLANCE


Rupee Comes From



Rupee Goes To



TAX PROPOSALS



- Concessional corporate tax rate of 15 per cent to new domestic companies in manufacturing and power sector.
- Tax concession for sovereign wealth fund of foreign governments and other foreign investments.
- Tax benefits to Start-ups by way of deduction of 100 per cent of their profits are enhanced by increasing turnover limit and period of eligibility.
- Concessional tax rate for cooperatives proposed.
- Turnover threshold for audit of MSMEs increased.
- Extension of time limits pertaining to the tax benefits for affordable housing.
- Issuance of Unique Registration Number to all charity institutions for easy tax compliance.
- Health cess to be imposed on imports of medical equipment given these are made significantly in India.



Dividend Distribution Tax removed and classical system of dividend taxation adopted.



Simplified and New Income Tax Regime as an option to the old regime.

Income Bracket (₹ lakh)	Below 5	5-7.5	7.5-10	10-12.5	12.5-15	Above 15
Tax Rate (per cent)	Exempt	10	15	20	25	30



Simplified GST return shall be implemented from 1st April 2020. Refund process to be fully automated.

AGRICULTURE, IRRIGATION AND RURAL DEVELOPMENT


PM KUSUM to cover 20 lakh farmers for stand alone solar pumps and further 15 lakh for grid connected pumps.

- Viability gap funding for creation of efficient warehouses on PPP mode.
- SHGs run Village storage scheme to be launched.
- Integration of e-NWR with e-NAM.



“Kisan Rail” and “Krishi Udaan” to be launched by Indian Railways and Ministry of Civil Aviation respectively for a seamless national cold supply chain for perishables.

- Elimination of FMD and brucellosis in cattle and PPR in sheep and goat by 2025.
- Increasing coverage of artificial insemination to 70 per cent.
- Doubling of milk processing capacity by 2025.
- Agricultural credit target of ₹15 lakh crore for 2020-21.



- Fish Production target of 200 lakh tonnes by 2022-23.
- Another 45000 acres of aqua culture to be supported.
- Fishery extension through 3477 Sagar Mitras and 500 fish FPOs.
- Raise fishery exports to ₹1 lakh crore by 2024-25.

WELLNESS, WATER AND SANITATION



- More than 20,000 empanelled hospitals under PM Jan Arogya Yojana.
- FIT India movement launched to fight NCDs.

Coverage
under
Nikshay
Poshan
Yojana (₹
Lakh)

35



- “TB Harega Desh Jeetega” campaign launched to end TB by 2025.

- Viability gap funding proposed for setting up hospitals in the PPP mode.
- Expansion of Jan Aushadhi Kendra Scheme to all districts by 2024.



- ODF Plus to sustain ODF behaviour.
- Focus on liquid and grey water management along with waste management.


CHAHAL

EDUCATION AND SKILLS




- About 150 higher educational institutions will start apprenticeship embedded courses.
- Internship opportunities to fresh engineers by urban local bodies.
- Special bridge courses to improve skill sets of those seeking employment abroad.


Allocation 2020-21 (BE)
₹ crore)



Study in
India (crore)




EQUIP (₹ crore)



- Degree level online education programmes for students of deprived sections of the society.
- Ind-SAT to be conducted in Asia and Africa under Study in India programme.



Programme for Apprenticeship
Training (₹ crore)



NEW ECONOMY

- Knowledge Translation Clusters for emerging technology sectors
- Scaling up of Technology Clusters harbouring test beds and small scale manufacturing facilities.
- National Mission on Quantum Technologies and applications with an outlay of Rs.8000 crore proposed.

INDUSTRY, COMMERCE AND INVESTMENT




- Scheme to encourage manufacturing of mobile phones, electronic equipment and semi conductor packaging.
- National Technical Textiles Mission for a period of 4 years.

- NIRVIK Scheme for higher export credit disbursement launched.
- Setting up of an Investment Clearance Cell to provide end to end facilitation.



- Extension of invoice financing to MSMEs through TReDs.
- A scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of MSMEs.
- Scheme anchored by EXIM Bank and SIDBI to handhold MSMEs in exports markets.

CORPORATE TAX RATE CUT



INFRASTRUCTURE



- National Logistics Policy to be launched soon.
- **Roads:** Accelerated development of Highways.
- **Railways:** Four station redevelopment projects
- 150 passenger trains through PPP mode.
- More Tejas type trains for tourist destinations.
- **Port:** Corporatizing at least one major port.
- **Air:** 100 more airports to be developed under UDAAN.





- **Power:** Efforts to replace conventional energy meters by prepaid smart meters.



- **Gas Grid:** Expand National Gas Grid to 27,000 km



- **Infrastructure Financing:** ₹103 lakh crore National infrastructure Pipeline projects announced.
- An international bullion exchange to be set up at GIFT City.




CARING SOCIETY

Women & child, social Welfare

- More than 6 lakh anganwadi workers equipped with smart phones.
- A task force to be appointed to recommend regarding lowering MMR and improving nutrition levels.



Nutrition related programmes (₹ crore)



Culture and Tourism

- Proposal to establish Indian Institute of Heritage and conservation.
- 5 archaeological sites to be developed as iconic sites.
- A museum on Numismatics and Trade to be established
- Tribal museum in Ranchi .
- Maritime museum to be set up at Lothal.



Environment and Climate Change

- Coalition for Disaster Resilient Infrastructure launched in September 2019.
- Encouragement to states implementing plans for cleaner air in cities above 1 million.





Tourism promotion (₹ crore)





2500

2020-21 (BE)



BUDGET ALLOCATION TO MAJOR SCHEMES







In ₹ Crore



BUDGET ALLOCATION TO MAJOR SCHEMES



In ₹ Crore



EXPENDITURE OF MAJOR ITEMS

In ₹ Crore

Rs. 50040



Ministry of Housing and Urban Affairs

Rs. 67112



Ministry of Health and Family Welfare

Rs. 72216



Ministry of Railways

Rs. 91823



Ministry of Road Transport and Highways

Rs. 99312



Ministry of Human Resource Development

Rs. 122398



Ministry of Rural Development

Rs. 124535



Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Rs. 142762



Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare

Rs. 167250



Ministry of Home Affairs

Rs. 471378



Ministry of Defence



VISIT US AT

- N** New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara
Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7,
New Delhi - 110060
- A** Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar,
Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue,
Anand - 388120
- G** Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor ,
Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road,
Gandhinagar, Gujarat 382421
- R** Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society
Opp LIC Of India Tagore Road
Rajkot 360001
- M** Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor,
Exactly opp Station Next to Mc Donalds.
Andheri West, Andheri West,
Mumbai, Maharashtra,-
- B** Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi
Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli,
Bhubaneswar - 751006, Odisha.
- K** Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema,
The Mall Road, Kanpur Cantonment,
Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.
- R** Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian
Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli,
Ranchi - 834001, Jharkhand.
- K** Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore,
Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor,
Opposite Corporation Bank,
Kolkata - 700053, West Bengal
- C** Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D,
Above Chandigarh University Office,
Chandigarh - 160036.
- P** Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan
Hero Showroom, Kankarbagh
Patna - 800020, Bihar
- S** Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business
Centre, Besides World Trade Centre,
Near Udhna Darwaja, Ring Road
Surat - 395002
- A** Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square,
Opp. H.K.College, Ashram Road,
Ahmedabad - 380009
- D** Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk,
General Mahadev Singh Road,
Kanwali, Dehradun,
Uttarakhand- 248001.
- R** Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir,
Sector-1, Devendra Nagar, Raipur,
Chattisgarh- 492009.
- V** Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda
Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump,
Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU | GUWAHATI | HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at:     